असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

27 मार्च, 2023

सप्तदश विधान-सभा शुक्रवार, तिथि 27 मार्च, 2023 ई0
अष्टम सत्र 06 चैत्र, 1945 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

(व्यवधान)

श्री भाई वीरेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को लक्ष्मी प्राप्त हुई है, पुत्री प्राप्त हुई है इसके लिए बधाई देता हूँ ।

अध्यक्ष: ठीक है, इसके लिए बहुत शुभकामना है, बैठिये । अल्पसूचित प्रश्न ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, बिजली बिल बढ़ाने का जो दर निर्धारित किया गया है, उससे पूरा बिहार प्रभावित है महोदय, सब लोग आंदोलन के मूड में है । माननीय मंत्री जी बोले थे कि इससे प्रभावित नहीं होगा तो अब मात्र एक-दो दिन शेष बचा है, इस पर महोदय विमर्श करवाया जाय । कार्यस्थगन भी दिया गया है, इससे उद्योग व्यापार भी प्रभावित होगा । बिहार गरीब राज्य है, गरीबों को..

अध्यक्ष: श्री अजीत शर्मा ।

(व्यवधान)

सुना दिये, अब आप स्थान ग्रहण कीजिये । अब आप स्थान ग्रहण कीजिये, जो व्यवस्था है जो परिपाटी है ।

प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 77(श्री अजीत शर्मा, क्षेत्र सं0-156 भागलपुर)

श्री अजीत शर्मा: सर, जो लोकतंत्र की हत्या हुई है..

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब इनके नेता बोल दिये, इनको इजाजत दिये, ये बोल भी दिये । सरकार के सामने, सदन के सामने बात रख दिये, ये नियम है, आप कह दिये, नेता प्रतिपक्ष अब आप स्थान ग्रहण कर लीजिये । सरकार तुरंत जवाब नहीं न दे देगी, बैठिये न। अभी अल्पसूचित प्रश्न शुरू किया गया है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है सरकार से पूछा जायेगा । श्री अजीत शर्मा ।

श्री अजीत शर्मा: सर, अल्पसूचित का जवाब हम नहीं पूछ रहे हैं । अभी हमारे शकील साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिये ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः माननीय श्री अजीत शर्मा जी, आप पूरक पूछें ।

श्री अजीत शर्माः सर, पहले जो लोकतंत्र की हत्या हुई है । आदरणीय राहुल गांधी जी को जो तंग किया गया, सदस्यता समाप्त किया गया, पहले हमलोग उसका विरोध कर रहे हैं ।

(इस अवसर पर कांग्रेस सहित सत्ता पक्ष के भी कई माननीय सदस्यगण वेल में आ गये।)

अध्यक्षः आप शून्यकाल में उठावें । आप अपनी बात को शून्यकाल में उठा सकते हैं ।

(व्यवधान जारी)

श्री अजीत शर्माः पहले उस पर निर्णय होना चाहिए सर।

अध्यक्षः माननीय सदस्या, श्रीमती शालिनी मिश्रा ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण भी वेल में आ गये)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 78(श्रीमती शालिनी मिश्रा, क्षेत्र सं0-15, केसरिया)

श्रीमती शालिनी मिश्राः महोदय, उत्तर नहीं आया है । माननीय मंत्री जी उत्तर पढ़ दें एक बार।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः आप पोस्टर हटा लें । पोस्टर हटाईए । श्रीमती शालिनी मिश्रा ।

श्रीमती शालिनी मिश्राः महोदय, उत्तर नहीं आया है, माननीय मंत्री जी एक बार उत्तर पढ़ दें।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्षः माननीय मंत्री, विधि विभाग ।

डॉ0 शमीम अहमद, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम...

अध्यक्षः माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग कुछ कह रहे हैं, आप बैठ जाइये । विद्युत मंत्री क्या कह रहे हैं सुनिये । माननीय मंत्री विद्युत विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, ये क्वेश्चन जो है, ट्रांसफर कर दिया गया है नगर विकास विभाग को ।

अध्यक्षः नगर विकास विभाग को स्थानांतरित है ।

(व्यवधान जारी)

आप अपना जवाब दीजिये । आपलोग पोस्टर हटा दीजिये । पोस्टर एलाऊ नहीं है, अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिये। मार्शल पोस्टर ले लें।

(व्यवधान जारी)

डॉ0 शमीम अहमद, मंत्रीः1- स्वीकारात्मक है ।

2- बिहार हिन्दू धाार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 के प्रवृत्त होने पर अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत यह अधिनियम पूरे राज्य में अवस्थित सार्वजनिक धार्मिक मंदिरों पर लागू हो गया है । ऐसे सभी मंदिरों का दायित्व है कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद से संपर्क कर मंदिरों का निबंधन कराये । बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा-34 में प्रावधान है कि यदि बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को स्वयं सार्वजनिक मंदिर के संबंध में कोई सूचना प्राप्त होती है या कोई हिन्दू आवेदन के द्वारा ऐसी सूचना उपलब्ध कराता है तो जांचोपरांत न्यास के निबंधन के संबंध में निर्णय लिया जाता है । बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद हमेशा निबंधन को प्रोत्साहन देती है । न्यास से संबंधित अनिबंधित न्यासों के संबंध में सार्वजनिक्ता संबंधित तथ्य प्राप्त होने पर निबंधन किया जाता है । यह कार्य सतत् चलने वाली प्रक्रिया है । धार्मिक न्यास की सम्पत्ति को अवैध कब्जा से मुक्त कराने हेतु अधिनियम की धारा-43 के अंतर्गत न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, जहां अतिक्रमित संबंधित वाद विनिश्चित किये जाते हैं ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष: माननीय सत्ता और विपक्ष के माननीय सदस्यगण,अपने अपने स्थान पर जायें ।

(व्यवधान जारी)

मैं अल्पसूचित प्रश्न पुकारा हूॅ और सरकार जवाब दे रही है । आप कृपया स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्यगण, अपने अपने जगह पर जायें अल्पसूचित प्रश्न चल रहा है सरकार जवाब दे रही है ।

डॉ0 शमीम अहमद, मंत्री: अधिनियम की धारा-44 के अंतर्गत ये प्रावधान है कि किसी भी न्यास की न्यासधारी/पुजारी/सेवायत/महंत/प्रबंधक न्यास समिति को तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टे पर नहीं दे सकता है । किसी भी न्यासधारी को न्यास की सम्पत्ति को विक्रय करना/बंधक रखना अवैध है । जबतक इस संबंध में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद से कोई पूर्वानुमति प्राप्त न हो । किसी भी तरीके की शिकायत प्राप्त होने पर बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद द्वारा कार्रवाई की जाती है ।

3- किसी भी मठ/मंदिर के सार्वजनिक स्वरूप पाये जाने पर उसका निबंधन बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद में अधिनियम की धारा-34 के अंतर्गत किया जाता है । अनिबंधित मठ/मंदिरों की भूमि का विवरण यथा-खाता, खेसरा, रकबा, मौजा एवं वर्तमान फोटो सहित प्राप्त होने पर अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत निबंधन किया जाता है । निबंधित किये जाने वाले मठ/मंदिर की जो

भूमि/सम्पत्ति होती है, उसका विवरण भी निबंधित पंजी में अंकित किया जाता है । बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद हमेशा सार्वजनिक मंदिरों/मठों के तथ्य प्राप्त होने पर निबंधन की कार्रवाई शीघ्रतापूर्वक की जाती है । यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के सदस्यगण सदन से बहिर्गमन किये)

श्रीमती शालिनी मिश्रा: जवाब उन्होंने दिया । महोदय, अब मैं पूरक पूछ रहीं हूँ । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या- 33675/2017 एवं ..

अध्यक्ष: आप पूरक पूछिये ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: पूरक ही पूछ रही हूँ, महोदय बोलने का मौका तो दीजिये । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल अपील संख्या- 33675/2017 एवं सिविल अपील संख्या 4850/2021 के आदेश के आलोक में मठ मंदिर, कबीर पंथ से संबंधित भूमि के आलोक में मठ मंदिर कबीरपंथ से संबंधित भूमि के आलोक में खतियान के मालिक के कॉलम एवं कब्जाधारी के कॉलम में इष्टदेवता का नाम और रिमार्कस कॉलम में सेवादार/महंत/सचिव का नाम अंकित किये जाने का आदेश पारित किया गया है जिसका अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है ।

(इस अवसर पर कांग्रेस सहित सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी सीट पर लौटे)

अध्यक्ष: पूरक तो पूछिये । सरकार ने लंबा जवाब दिया है और आप भी लंबा पढ़ ही रही हैं। आप सरकार के जवाब को सुन लिये, पूरक पूछिये ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: जवाब नहीं आया है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि सरकार कबतक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

डॉ0 शमीम अहमद,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब में पूरा विस्तृत दिया है अभी तक हमने बिहार में 4406 मठ मंदिर का निबंधन किया गया है और जितने भी वाद चलते हैं इसमें अभी 94 पर वाद चल रहा है और हमलोग लगातार प्रक्रिया कर रहे हैं कि मठ मंदिर का जमीन अब कोई बेच नहीं सकता है । इसके लिए मैंने 27-03-23 को पत्रांक 1605 द्वारा मैंने लेटर भेजा है सभी प्रमंडलीय आयुक्त को और जिला पदाधिकारी को कि जितने भी हमारे पोर्टल पर खाता खेसरा रकवा के साथ जो आ गया है उस पर रोक लगा दिया जाय ताकि कोई बेच नहीं सके ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा: महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 4 हजार के ऊपर की रजिष्ट्री हो गयी है फिर भी अभी तक 5 हजार मठ, मंदिर, धर्मशाला का निबंधन अभी तक बिहार में नहीं हुआ है इसलिए माननीय मंत्री जी ने ये भी कहा कि अवैध कब्जा को भी रोकने का काम वे कर रहे हैं इसलिए मैं जानना चाह रही हूँ कि अबतक

बिहार में कितने मठ मंदिर, उन पांच हजार में से कितने मठ मंदिरों के अबैध कब्जा को रोकने के लिए कार्रवाई की गयी है ?

अध्यक्षः माननीय मंत्री, विधि विभाग ।

डॉ0 शमीम अहमद,मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी कहा कि 94 पर वाद चल रहा है, जो भी कम्पलेन आता है हमलोग उस पर कार्रवाई करते हैं और लगातार जिला पदाधिकारी को लेटर जा रहा है कि निबंधन कराने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। हम सदन के माध्यम से सारे सदस्यों से भी आग्रह करूंगा कि जितने क्षेत्र में मंदिर मठ हैं तो वे भी जरा प्रोत्साहित करके निबंधन कराने की कोशिश करें ।

टर्न-2/मधुप/27.03.2023

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह । अधिकृत किये गये हैं श्री अजीत कुमार सिंह ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न सं0-79, श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह(क्षेत्र सं0-221, नवीनगर)</u>

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1- बिहार स्टार्ट-अप नीति के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा रु0 500.00 करोड़ की प्रारंभिक कोष के साथ बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट की स्थापना की गई, जो इस नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य कर रही है ।

2- बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2022 के अन्तर्गत प्रमाणीकृत स्टार्ट-अप को सीड फंड के रूप में 10.00 लाख रुपये मात्र की ब्याज मुक्त ऋण 10 वर्षों के लिए दिये जाने का प्रावधान है । यदि स्टार्ट-अप एजेंल ग्रुप्स एवं कैटेगरी-1 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स से निवेश प्राप्त करते हैं तो स्टार्ट अप को प्राप्त निवेश के समतुल्य मैचिंग लोन/सहायता प्रदान किया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा रु0 50.00 लाख तक है । इसके अतिरिक्त एक्सलरेशन प्रोग्राम में भाग लेने के लिए प्रति स्टार्ट-अप अधिकतम रु0 3.00 लाख तथा घरेलू और विदेशी पेटेंट दाखिल करने से जुड़ी सभी लागतों का वहन बिहार स्टार्ट-अप फंड ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है ।

3- बिहार स्टार्ट-अप नीति के अन्तर्गत 300 स्टार्ट-अप का चयन किया गया है, जिसमें से 246 स्टार्ट-अप को सीड फंड के रूप में ब्याज मुक्त ऋण कुल 1,637.93 लाख रूपये दिया गया है ।

अध्यक्ष : आपके पास उत्तर पहुँच गया है ? उत्तर मुद्रित है ।

श्री अजीत कुमार सिंह : हमारे पास उत्तर उपलब्ध है, उत्तर मुद्रित है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री अजीत कुमार सिंह : मैं पूरक पूछता हूँ । महोदय, हमारे कहने का मतलब यह है कि हमने जो सवाल पूछा है, वह स्पष्ट है कि सरकार की यह मंशा है कि वह स्टार्ट-अप के लिए नौजवानों को लोन दे, लोग व्यवसाय में आयें, उद्योग लगायें । लेकिन हमारे यहाँ पूरे बिहार भर में जो बैंकों की स्थिति है, वह काफी दयनीय है और जैसा कि हमने सवाल में कहा है कि अभी तक मात्र 1 प्रतिशत ही लोगों को बैंक लोन दे पाये हैं । उद्योग विभाग से लोन सैंक्शन होने के बावजूद भी उनको बैंक द्वारा लोन नहीं दिया जा रहा है ।

मैं मंत्री महोदय से पहला पूरक यही पूछना चाहता हूँ कि जो बैंक लोन नहीं दे रहे हैं उनके उपर सरकार की तरफ से कार्रवाई का क्या नियम है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट है । बैंक द्वारा 2021-22 में 251.83 लाख और इस बार केवल 7 महीने के अंदर 675 लाख, टोटल 16 करोड़ 37 लाख रूपये दिये गये हैं । निश्चित तौर पर माननीय सदस्य का जो कहना है, बैंक को जिस ढंग से मदद करना चाहिए सारे व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, उसमें एक दूसरे स्टेट के प्रति जो हमारा डिपोजिट रेशियो है, उसके हिसाब से दूसरी जगह 100 प्रतिशत से ज्यादा ये लोग मदद करते हैं, हमारे यहाँ 40 प्रतिशत से ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं । इसलिए एस0एल0बी0सी0 की बैठक हुई और लगातार यह 7 महीने में दो बार एस0एल0बी0सी0 की बैठक हुई, सरकार को चिन्ता है जो चिन्ता माननीय सदस्य को भी है और निश्चित तौर पर इस बीच में केवल 3 प्रतिशत ही ये लोग बढ़ाये हैं । 7 महीने का यह क्रियाकलाप रहा कि लगातार ये निगेटिव जा रहा था पिछले 5 वर्षों में तो इतना तो जरूर हुआ है कि दूसरी बैठक के बाद सारे बैंक को स्पष्ट कहा गया कि एस0एल0बी0सी0 की बैठक भले ही चार महीना में होती है लेकिन जो बैंक ढंग से काम नहीं करेंगे और डिपोजिट रेशियो के हिसाब से जो उद्योग खोलने वाले हैं इन्टरप्रेन्योर को मदद नहीं करेंगे उसको सरकार अलग से बुलाकर, यह नहीं है कि एस0एल0बी0सी0 का हम इंतजार करेंगे । हम डाटा के हिसाब से अलग से सरकार के वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री और साथ में अन्य मंत्री रहते हैं, हमलोग इसकी अलग से समीक्षा करके बिहार को निश्चित तौर पर न्याय दिलाने की बात करेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय उद्योग मंत्री, एस0एल0बी0सी0 की बात छोड़िये, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाईडलाईन है कि डिपोजिट के 40 परसेंट, अगर 60 परसेंट डिपोजिट हुआ है तो उनको उस इलाके में या जो लोन चाहते हैं, उनको 40 परसेंट बैंक को ऋण देना है।

माननीय सदस्य ने भी जो प्रश्न किया है, मैं चाहूँगा कि बैंक अगर उदासीन है तो सरकार उसके उपर कड़ाई करके जो आर0बी0आई0 का गाईडलाईन है, उसके मुताबिक वह लोन देने का काम करें और माननीय मंत्री उस आदेश का कार्यान्वयन करावें ।

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : निश्चित तौर पर, अध्यक्ष महोदय ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, एकमात्र पूरक है कि सरकार की मंशा और उद्योग मंत्री की मंशा पर हमारा कोई सवाल नहीं है । सरकार लोन देना चाहती है और लोग इसके लिए एप्लाई भी कर रहे हैं लेकिन वह जनता तक पहुँच नहीं पा रहा है, यह सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और इसके बारे में बजट में चर्चा भी है । महोदय, हम यह पूछना चाहते हैं कि यदि किसी बैंक के पास लोन सैंक्शन होकर पहुँचा तो वह मैनेजर कितने दिनों तक लोन नहीं देगा और उसके खिलाफ, अगर बैंक का मैनेजर छः महीने तक लोन नहीं दे रहा है, साल भर तक लोन नहीं दे रहा है तो उसके खिलाफ जो लोन लेने वाले लोग हैं, जो स्टार्ट-अप कर रहे हैं, वे कहाँ आवेदन दें और सरकार उनपर क्या कार्रवाई करेगी ? यह हमारा सवाल है कि हम कहाँ आवेदन दें और कैसे कार्रवाई करायें ?

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हरेक जिला पदाधिकारी को निश्चित तौर पर निर्देश दिया गया है और उद्योग विभाग अभी तक पिछले 7 महीने में तीन बार हरेक जिला में बैठक कर चुकी है कि जो इस तरह की बातें हैं तो अगर हम डी0एम0 को सूचित करते हैं और पूरे बिहार के सभी बैंकों को एक निर्देश दिया गया है कि किसी कारण अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो अभियुक्ति में लास्ट कॉलम में आप बताइये कि किन कारणों से आप रिजेक्ट कर रहे हैं । जब तक यह कारण नहीं पता चलता है, तब तक यह हमारी सरकार के संज्ञान में भी नहीं आता है । हम धीरे-धीरे इस प्रकार तीन बार बैठक करके, हरेक 38 जिलों में बैठक की गई है इसीलिए यह प्रतिशत बढ़ रहा है ।

लेकिन जो अभी माननीय अध्यक्ष जी का निर्देश हुआ है, उसके हिसाब से अनुपालन करके हम सरकार को, अलग दूसरे स्टेट में जो डिपोजिट रेशियो है 100 प्रतिशत, हमलोग चाहेंगे कि 40 प्रतिशत से इसको और बढ़ाने का जल्द से जल्द तीन महीने के अंदर रिजल्ट दें ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2543, श्री कृष्ण कुमार मंटू (क्षेत्र सं0-120, अमनौर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 2544, श्रीमती ज्योति देवी (क्षेत्र सं0-228, बाराचट्टी(अ0जा0))

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती ज्योति देवी, आप पूरक पूछिये । आपको प्रश्न का जवाब मिला है ?

श्रीमती ज्योति देवी : नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, विभाग ऑनलाईन जवाब भेजता है । माननीय सदस्या को नहीं मिला तो यह तो विधान सभा सचिवालय की जवाबदेही है न ।

अध्यक्ष : आपका जवाब आया है या नहीं है, यह बताइये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : आ गया है, 100 प्रतिशत जवाब भेजा गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आपको एक महत्वूपर्ण सूचना देना चाहता हूँ कि सरकार से आज भी सभी विभागों से शत-प्रतिशत प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए हैं ।

मैं माननीय सदस्या को कहना चाहता हूँ कि आपने जो प्रश्न किया है और माननीय गृह मंत्री जी, कहीं से उनको उपलब्ध नहीं हो पाया है, जवाब नहीं निकाल पायी हैं इसलिये महिला सदस्या हैं, आप एक बार जवाब पढ़ दें ।

श्रीमती ज्योति देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : आप अभी बैठिये न ।

श्रीमती ज्योति देवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यहाँ व्यवस्था है जवाब देने का, जल्दी-जल्दी में हमलोग आ गये हैं, यहाँ व्यवस्था है तो जवाब देना चाहिए । दोनों विकल्प होना चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय महिला सदस्या, मैंने मंत्री जी से कहा कि जवाब नहीं मिल पाया है तो आप कृपया पढ़ दीजिये ।

श्रीमती ज्योति देवी : महोदय, मैं यह कहना चाहती हूँ कि यह जो प्रश्न है....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी जवाब पढ़ रहे हैं । सुनिये न ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वह समझ ही नहीं पा रही हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : देखिये, सेक्रेटेरिएट ने काम किया है, जवाब भेजवा दिया है लेकिन वे बहुत तेजी से आयी हैं, जवाब निकाल नहीं पायी हैं । वे स्वयं कबूल कर रही हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि गया जिलान्तर्गत प्रखंड बोधगया के ग्राम-बरैनी एवं ग्राम-करमाढ़ाब में अवस्थित कब्रिस्तान जिला स्तर पर तैयार

प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है । प्रश्नगत कब्रिस्तान की भूमि अतिक्रमित नहीं है ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

महोदय, 100 प्रतिशत को घेराबंदी कराना, सरकार का दायित्व है कि जहॉ विवाद होता है प्राथमिकता के आधार पर, उसके लिए डी0एम0 और एस0पी0 की अध्यक्षता में कमिटी है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या ।

श्रीमती ज्योति देवी : महोदय, इनका जवाब नहीं सुन पायी । मैं यही कहना चाह रही हूँ कि बहुत अतिक्रमण हो रहा है, काफी लोग परेशान हैं । इसको जल्द से जल्द अतिक्रमण से मुक्त कराया जाय और बाउंडरी कराया जाय । यही कहना चाहूँगी ।

अध्यक्ष : सरकार ने जवाब दिया कि शत-प्रतिशत नहीं घेरवाया जा सकता है लेकिन अगर कहीं कोई विवादित है और प्रशासन के द्वारा सरकार को सूचना दी जाती है तो सरकार उसपर नियमानुसार कार्रवाई करती है । इसलिये जो आपने सूचना दी उसको सरकार ने ग्रहण किया है और उसपर नियमानुसार ये देखेंगे और निर्णय लेंगे । आप स्थान ग्रहण करें ।

श्रीमती ज्याति देवी : बहुत-बहुत धन्यवाद । लेकिन जल्दी ही होना चाहिए ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2545, श्री शकील अहमद खॉ (क्षेत्र सं0-64, कदवा)

श्री शकील अहमद खॉ : महोदय, मैं इसका जवाब देख नहीं पाया हूँ ।

अध्यक्ष : हम समझते हैं कि क्यों नहीं देख पाये होंगे ।

श्री शकील अहमद खॉ : वाकई नहीं देख पाया हूँ ।

अध्यक्ष : वास्तव में नहीं देख पाये होंगे इसलिये कि जिस स्वरूप में आज आप हैं, तेजी में होंगे इसलिये नहीं देख पाये हैं ।

श्री शकील अहमद खॉ : प्रोटेस्ट में हूँ ।

अध्यक्ष : मैं सरकार को जवाब के लिए कह रहा हूँ । माननीय मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ।

टर्न–3/आजाद/27.03.2023

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, जवाब में यही है कि कोई भी दिवंगत महानुभाव की प्रतिमा स्थापित करने के लिए राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर जो कलक्टर, जो जिला पदाधिकारी होते हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति होती है, जो किनकी मूर्त्ति लगायी जाय, इसके संबंध में विमर्श करके अपनी अनुशंसा भेजती है तब उसपर सरकार निर्णय लेती है । यह जो दो महानुभावों का जिक्र है इसमें खखन मिश्र एवं झींगुर मंडल जी का, उसके बारे में अभी जिला स्तर से कोई अनुशंसा प्राप्त नहीं हुई है । जिला स्तर से प्राप्त होगी तो सरकार इसपर निर्णय लेगी ।

श्री शकील अहमद खॉ : महोदय, मेरा इसमें एक पूरक है क्योंकि ये जो दो स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन के महानुभाव जिनका जिक्र है और जिला से आ जायेगा, क्योंकि इस बात की जरूरत महसूस की जाती है और करनी भी चाहिए कि स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन में उनकी तस्वीर लग जाती है जो 6 बार माफी मांगते हैं अंग्रेज से और 60रू0 पेंशन पर रहते हैं । ये लोग इन्होंने तो जान की कुर्बानी इस तरह के लाखों लोगों ने दिया है, इसलिए इसपर त्वरित तरजीह दिया जाय । उनको महिमामंडप न किया जाय जो अंग्रेजों से माफी मांगते हैं और तमाम आन्दोलन में पीछे रहते हैं । इसलिए इनकी तस्वीरें जल्द से जल्द लगें तो बहुत अच्छा होगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने जो बातें बतला दी आपको कि वहां से आ जायेगा, उसपर त्वरित कार्रवाई सरकार करेगी, यही नीति है ।

तारांकित प्रश्न सं0–2546(श्री मनोज मंजिल,क्षेत्र सं0–195,अगिऑव(अ0जा0)

अध्यक्ष : नहीं हैं । (अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–2547(श्री मनोज मंजिल,क्षेत्र सं0–195,अगिऑव(अ0जा0)

अध्यक्ष : नहीं हैं । (अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–2548(श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय,क्षेत्र सं0–102,कुचायकोट)

अध्यक्ष : नहीं हैं । (अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0–2549(श्री आबिदुर रहमान,क्षेत्र सं0–49,अररिया)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1. अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार जाति आधारित गणना, 2022 के अन्तर्गत सर्वेक्षण का कार्य दिनांक 15.04.2023 से आरंभ होना है, जिसके अधीन गणना प्रपत्र में प्रत्येक नागरिकों की जाति अंकित की जाएगी । द्वितीय चरण के अन्तर्गत सभी जाति की भांति सेखड़ा जाति के सदस्यों की गणना की जाएगी । जाति सूची कोड के अन्तर्गत सेखड़ा जाति को जाति कोड 190 आवंटित है ।

2. उपर्युक्त प्रश्न की कंडिका-1 के उत्तर में स्थिति स्पष्ट की गई है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिए ।

श्री आबिदुर रहमान : अध्यक्ष महोदय, जो जवाब दिया गया है, यह तो बिल्कुल अजीब तरह का है । हमको कहना है कि हमारे जिला में अररिया और पूर्णिया सेखड़ा बिरादरी का बहुत दयनीय स्थिति है । उनको रहने के लिए मकान भी नहीं है और वे गुरवत की जिन्दगी की तरह काटते हैं, इस तरह के 1 प्रतिशत भी लोग नहीं हैं जो अपने घर से खा-पी सकते हैं । इसीलिए हमारी मांग यही है कि हुजूर इसको एनेक्सचर-2 में शामिल किया जाय सेखड़ा बिरादरी को, हमारे यहां अररिया और पूर्णिया में, उतना ही भर आबादी है इसकी । इसलिए इसपर गौर किया जाय और देखा जाय ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको उत्तर प्राप्त हुआ है न ?

श्री आबिदुर रहमान : जी हां, उत्तर प्राप्त हुआ है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछे हैं ।

श्री आबिदुर रहमान : जी हां, पूरक पूछे हैं सर ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, द्वितीय चरण के अन्तर्गत सभी जाति की भांति सेखड़ा जाति के सदस्यों की भी गणना की जायेगी । जाति सूची कोड के अन्तर्गत सेखड़ा जाति को जाति कोड-190 आवंटित किया गया है, उत्तर तो साफ स्पष्ट है ।

अध्यक्ष : हो गया है, कार्रवाई सरकार कर दी है ।

तारांकित प्रश्न सं0-2550(श्री सुधाकर सिंह,क्षेत्र सं0-203,रामगढ़)

अध्यक्ष : नहीं हैं । (अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2551(श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव,क्षेत्र सं0-17,पिपरा)

अध्यक्ष : नहीं हैं । (अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2552(श्री इजहारूल हुसैन,क्षेत्र सं0-54,किशनगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि यातायात के सुचारू रूप से संचालन के लिए किशनगंज बस स्टैंड और शहर के सभी चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की गई है । यातायात संचालन हेतु उक्त स्थल पर पालीवार एवं कोटिवार 40 पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है ।

किशनगंज जिला में वर्ष 2023 में दो पहिया एवं चार पहिया कुल-627 वाहनों से कुल-5,22,000/-(पॉच लाख बाईस हजार) रूपया शमन की राशि वसूली गई है ।

किशनगंज जिलान्तर्गत ट्रैफिक सिग्नल लगाने का वर्त्तमान में कोई प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में विचाराधीन नहीं है ।

श्री इजहारूल हुसैन : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि यातायात के सुचारू रूप से संचालन के लिए किशनगंज बस स्टैंड और शहर के सभी चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की गई है । यातायात संचालन हेतु उक्त स्थल पर पालीवार एवं कोटिवार 40 पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है ।

किशनगंज जिलान्तर्गत ट्रैफिक सिग्नल लगाने का वर्त्तमान में कोई प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में विचाराधीन नहीं है । सर, मैं बोल रहा हूँ .....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री इजहारूल हुसैन : जी वही पूछ रहा हूँ सर । बसस्टैंड में एनीटाईम वहां से बंगाल जाती है, नेपाल की गाड़ी जाती है, एनीटाईम ट्रैफिक जाम रहता है । इसलिए मैंने मांग किया है कि वहां पर ट्रैफिक सिग्नल लगाया जाय सर .....

अध्यक्ष : मांग नहीं कीजिए, आप प्रश्न के रूप में पूछिए । जो मांग है, उसी को प्रश्न के रूप में पूछिए, वही तो पूरक हो जाता है ।

श्री इजहारूल हुसैन : जी सर । मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि वहां पर ट्रैफिक सिग्नल लगाया जाय क्योंकि वहां पर आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं सर । वहां पर इतनी भीड़-भाड़ रहती है सर .....

अध्यक्ष : महोदय, सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने का अभी कोई प्रस्ताव वहां नहीं है । कोई ऐसी बात नहीं है जो माननीय सदस्य चिन्ता करें । वहां पर ट्रैफिक पुलिस रहती है और निदान करती है ।

श्री इजहारूल हुसैन : सर, मैं चाह रहा हूँ कि इसको जल्दी किया जाय क्योंकि वहां पर आये दिन एक्सीडेंट होती है और इससे काफी परेशानी होती है । सरकार कब तक विचार रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार स्वयं संतुष्ट है, सरकार के द्वारा जो वहां पूर्व से और अभी तक व्यवस्था चल रही है, दुरूस्त व्यवस्था है । इसलिए आपने कहा और सरकार ने जवाब दे दिया कि व्यवस्था ठीक है । फिर भी सरकार को और सदन को आपने जानकारी दी, आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री इजहारूल हुसैन : सर, पुलिसकर्मी वहां पर रहते हैं लेकिन वहां पर ट्रैफिक सिग्नल की बात हो रही है सर, वहां पर आये दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए न ।

श्री इजहारूल हुसैन : सर, इसको करवा दिया जाय ।

अध्यक्ष : आप ट्रैफिक सिग्नल के बारे में कहते हैं और मैंने कहा कि सरकार के पास जानकारी आयी है, सरकार उस जानकारी के आधार पर अपना जवाब दी है और जो बात आप कह रहे हैं, सरकार सुन रही है । आप बैठिए ।

अब मैं आगे बढ़ गया ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, मेरा पूरक है । सर, हमलोगों का सातों दिन वहां आने-जाने का पाला पड़ता है .....

अध्यक्ष : ठीक है, हो गया, अब आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री अख्तरूल ईमान : एन0एच0 है सर, एन0एच0 के बगल में बस अड्डा है और उस पार कोर्ट कैम्पस है और वहां पर हमेशा ऐसे गाड़िया लगी रहती है कि लोग जाने के लिए ट्रेन नहीं पकड़ पाते हैं और एन0एच0 को क्रौस करने में भी दिक्कत होती है सर, इसलिए मैं समझता हूँ कि यह मांग बहुत ही मुनासिब है । अतः सरकार इस सिलिसिले में गंभीर होकर वहां पर लगाने का काम करे सर ।

अध्यक्ष : आपने सूचना दी और सरकार की दुरूस्त व्यवस्था जो है, उसके बारे में सरकार ने कहा है । आपने जो सूचना दिया....

श्री अख्तरूल ईमान : सर, मैं सरकार के इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ कि वहां पर सरकार की व्यवस्था सही है । वहां पर लोगों को रोज परेशानी हो रही है । वहां पर ट्रैफिक सिग्नल लगाना चाह रहे हैं या नहीं लगाना चाह रहे हैं ?

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें । चूँकि मैं आगे बढ़ गया हूँ और माननीय प्रश्नकर्त्ता भी बैठ गये और दूसरे माननीय सदस्य आपका पूरक पूछ लिये । इसलिए आपको नियम के मुताबिक अब नहीं खड़ा होना है ।

माननीय सदस्य श्री अजीत शर्मा, तारांकित प्रश्न सं0-2554 ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सरकार का उत्तर स्पष्ट है, लेकिन एक ही प्रश्न करना चाहता हूँ .....

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता जी ने हमें अधिकृत है सर तारांकित प्रश्न सं0-2553 में ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अजीत बाबू, आप जरा स्थान ग्रहण कर लीजिए । हम यह पत्र देख नहीं पाये, इसलिए वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता जी ने अधिकृत किया है श्री सुदामा प्रसाद जी को ।

तारांकित प्रश्न सं0-2553(श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता,क्षेत्र सं0-9,सिकटा)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी, आप पूरक पूछिए ।

श्री सुदामा प्रसाद : सर, जवाब नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गन्ना, उद्योग विभाग ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, यह स्थानान्तरित किया गया है ।

महोदय, जवाब तो भेज दिया गया है ।

1. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि ईख पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा मेसर्स मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि0, इकाई-भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया, गोपालगंज पर पेराई वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में किसानों के गन्ना प्रभेद बी0ओ0-150 का अन्तर राशि सूद सहित वसूली हेतु जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, गोपालगंज के न्यायालय में नीलाम पत्र वाद संख्या-07/20-21 दायर किया गया । दायर वाद में विभिन्न तिथियों में सुनवाई के उपरान्त जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा पेराई वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 का बी0ओ0-150 का अन्तर राशि भुगतान करने हेतु सिधवलिया चीनी मिल को आदेश दिया गया । पारित आदेश के विरूद्ध भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0नं0-17254/21 दायर किया गया है ।

2. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0नं0-17254/21 वाद में दिनांक 22.01.2022 को न्यायादेश पारित किया गया कि याचिकाकर्त्ता उचित प्राधिकार के समक्ष दिनांक 18.02.2022 तक अपना आवेदन याचिका प्रति के साथ पुनः प्रस्तुत करेंगे । जिसके आलोक में मेसर्स मगध सुगर एण्ड एनर्जी लि0, इकाई-भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया द्वारा अपना पक्ष जिला नीलाम पदाधिकारी, गोपालगंज के समक्ष रखा गया । दोनों पक्षों (ईख पदाधिकारी, गोपालगंज एवं सिधवलिया चीनी मिल) के सुनवाई के उपरान्त दिनांक 18.04.2022 को जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, गोपालगंज ने अपने पत्रांक-163/नी0

दिनांक 18.04.2022 द्वारा सूद सहित कुल राशि 2,80,70,430/- (दो करोड़ अस्सी लाख सत्तर हजार चार सौ तीस) रू0 भुगतान करने हेतु प्रबंधक, मेसर्स भारत सुगर मिल्स, सिधवलिया को आदेश दिया गया ।

..... क्रमशः .....

टर्न-4/शंभु/27.03.23

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री : क्रमशः....पुनः मे0 भारत सुगर मिल, सिधवलिया द्वारा जिला निलाम पत्र पदाधिकारी, गोपालगंज के पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0-7503/22 दायर किया गया, जो माननीय उच्च न्यायालय, पटना में लंबित है ।

श्री सुदामा प्रसाद : सर, ये किसानों का.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सुदामा बाबू, जो प्रश्न माननीय सदस्य श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी ने किया है उसके जवाब में सरकार ने एक-एक चीज को बताने का काम किया और इसके बाद मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं पूरक की गुंजाइश है ।

श्री सुदामा प्रसाद : पैसा तो नहीं मिला न सर, ये तो कोर्ट का चक्कर लगाते रहेंगे किसान और उनका पैसा उनको नहीं मिलेगा । सरकार क्या उनका पैसा नहीं दिलवाना चाहती है? हमको लगता है कि सरकार के द्वारा वहां बढ़िया से पक्ष नहीं रखा जा रहा है ।

अध्यक्ष : सरकार का पक्ष तो आपने सुना, सरकार ने अपने पक्ष को रखा है ।

श्री आलोक कुमार मेहता,मंत्री : महोदय, जवाब में स्पष्ट रूप से सभी न्यायालय के सन्दर्भ में चर्चा की गयी है और जो सरकार चाहती है कि किसान को जल्द से जल्द पैसा मिले । इसलिए सरकार ने अपने तरफ से कार्रवाई की । अब प्राइवेट चीनी मिल है उसको पूरा अधिकार है अपने न्यायिक अधिकारों का सदुपयोग करने का और विभिन्न तरह के न्यायालय उसकी सुनवाई के लिए हैं उसमें वे जाते हैं तो नेचुरल जस्टिस के तहत उनको उतना मौका दिया जाता है । इसलिए सरकार भी इस पक्ष में है कि जल्द से जल्द उसका निर्णय हो जाय और किसानों को उनकी राशि मिल जाय ।

तारांकित प्रश्न सं0-2554(श्री अजीत शर्मा)क्षेत्र सं0-156, भागलपुर

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : 1- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी सहायकों का पद जिला, अनुमण्डल तथा प्रखंड स्तर पर

सृजित है । इनका नियोजन जिलास्तरीय पैनल से संबंधित जिला चयन समिति द्वारा किया गया है ।

2–अस्वीकारात्मक है । प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आइ0टी0 अथवा कम्प्यूटर के क्षेत्र में न्यूनतम स्नातक की उपाधि होनी चाहिए । रिक्त पदों से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से निर्गत उपाधि को नियमानुसार प्राथमिकता का प्रावधान है।

(क) आइ0टी0 अथवा कम्प्यूटर शाखा में अभियंत्रण स्नातक की उपाधि

(ख) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0(आइ0टी0/कम्प्यूटर)

(ग) बी0सी0ए0/बी0एस0सी0(आइ0टी0/कम्प्यूटर)

(घ) समान स्थिति होने पर उच्चतर प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जायेगी ।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी सहायक के चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से आइ0टी0 अथवा कम्प्यूटर के क्षेत्र में न्यूनतम स्नातक की उपाधि है । यह उल्लेखनीय है कि प्रखंड प्रौद्योगिकी सहायक का पद संविदात्मक पद है । इनके मानदेय का निर्धारण सक्षम प्राधिकार द्वारा किया गया है । 01.07.2018 के प्रभाव से इनका निर्धारित वेतनमान में कुल मानदेय रूपये 29564 है । जिसमें इनके मूल मानदेय पर प्रत्येक वर्ष दस प्रतिशत मानदेय वृद्धि का प्रावधान है । पांच वर्ष से अधिक सेवा वाले प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी सहायकों को 01.01.2023 के प्रभाव से 3000 विशेष भत्ता का दिनांक 01.01.2023 से प्रावधान किया गया है । उक्त स्थिति में प्रखंड प्रौद्योगिकी सहायकों को कुल मानदेय वर्तमान में रूपये 32564 प्रतिमाह है । प्रखंड प्रौद्योगिकी सहायक का पद संविदात्मक पद है, जिसकी तुलना चतुर्थ वर्गीय कर्मी से किया जाना समीचीन नहीं होगा ।

3– उपर्युक्त खंड–2 में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है ।

श्री अजीत शर्मा : सरकार का उत्तर स्पष्ट है लेकिन एक ही प्रश्न करना चाहता हूँ कि कोई भी संविदा पर नियुक्ति नियमित पद के विरूद्ध होती है और क्या सरकार नियमित पद के वेतन के अनुरूप आइ0टी0 सहायकों को वेतनमान देने का विचार रखती है और कब तक ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : उत्तर में स्पष्ट कर दिया गया है कि संविदा पर हैं इसलिए अन्य से तुलना इसकी नहीं की जा सकती है । ये टेम्पोरेरी एप्वाइंटमेंट है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने सही ही जो है उसके बारे में उन्होंने आपको जानकारी दिया माननीय शर्मा जी ।

तारांकित प्रश्न सं0-2555(श्री पवन कुमार यादव)क्षेत्र सं0-155,कहलगांव

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2556(श्री रत्नेश सादा) क्षेत्र सं0-74, सोनवर्षा (अ0जा0)

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री रत्नेश सादा : उत्तर नहीं मिला है सर ।

अध्यक्ष : उत्तर क्यों नहीं मिला है । एक मात्र मैं सूचना देना चाहता हूँ विधान सभा के द्वारा सरकार ने जो उपलब्ध कराया सभी माननीय सदस्यों को सभी प्रश्नों का शत-प्रतिशत जवाब दिया गया है, लेकिन चूंकि आज महागठबंधन के द्वारा जो आपलोगों ने धरना- प्रदर्शन किया, तेजी में कोई आये, चले आये और विधान सभा कहीं पीछे नहीं है, पूरे सदस्यों को भेजा गया सदा जी, आप भी उसी क्रम में आते हैं । इसलिए यह न कहिये। सभी माननीय सदस्य जो प्रश्न किये हैं उसका सरकार ने शत-प्रतिशत तैयार होकर जवाब दिया है । इसलिए यह कहना कि नहीं मिला है, यह कहिये कि हम कोशिश ही नहीं किये, हम धरना में व्यस्त थे ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि आपने सही कहा कि विधान सभा कहीं पीछे नहीं है और सरकार भी कहीं पीछे नहीं है ।

अध्यक्ष : बिल्कुल सरकार जवाब देती है वही तो हम माननीय सदस्यों को कहते हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, पढ़ देते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी की उदारता है । आप सुने रत्नेश सदा जी पढ़ रहे हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : 1-अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि आजीवन सजावार बंदी वास्तविक कारा संसीमन अवधि 14 वर्ष एवं परिहार सहित 20 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत समय पूर्व कारा मुक्ति पर विचारण के पात्र होते हैं ।

2- स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बन्दी विश्वनाथ यादव, पिता स्व0 सौखी यादव वर्तमान में केन्द्रीय कारा, पूर्णियां में आजीवन सजावार के रूप में संसीमित है । उक्त बंदी का दिनांक 20.03.23 के गणना अनुसार वास्तविक संसीमन अवधि 14 वर्ष 2 माह 21 दिन एवं परिहार सहित 17 वर्ष 9 माह 2 दिन होता है ।

3- अस्वीकारात्मक है । गृह विशेष विभाग की अधिसूचना सं0-3106, दिनांक-10.12.2002 में समय पूर्व रिहाई के लिए वर्णित अर्हता के आलोक में सजावार बंदियों को राज्य दंडादेश परिहार पर्षद् के अनुशंसा के आलोक में असमय कारामुक्त किया जाता है । उक्त बंदी वर्तमान में परिहार सहित 20 वर्ष की सजा पूर्ण नहीं किया है । अतः समय पूर्व कारामुक्ति का विचार का पात्र नहीं है ।

श्री रत्नेश सादा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि श्री विश्वनाथ यादव जेल मैनुवल के अनुसार उसके आचरण में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उनके रिहाई की मांग करता हूँ ।

तारांकित प्रश्न सं0-2557(श्री पवन कुमार जायसवाल)क्षेत्र सं0-21, ढाका

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2558(श्री अरूण सिंह)क्षेत्र सं0-213,काराकाट

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2559(श्री रणविजय साहू)क्षेत्र सं0-135,मोरवा

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोरवा प्रखंड के सारंगपुर पूर्वी पंचायत के वार्ड नं0-3 एवं चकपहाड़ पंचायत के कमतौल ग्राम में कब्रिस्तान अवस्थित नहीं है । मोरवा प्रखंड के सारंगपुर पूर्वी पंचायत के वार्ड नं0-1 में कब्रिस्तान अवस्थित है जिसकी घेराबन्दी पूर्व में ही हो चुकी है । इसके अतिरिक्त सारंगपुर वार्ड नं0-8 में स्थित कब्रिस्तान थाना नं0-279, खेसरा-4214 एवं 4213, रकवा-4 कट्ठा जमीन किस्म रैयती है । राज्य सरकार द्वारा सरकारी भूमि पर अवस्थित संवेदनशीलता के आधार पर चयनित कब्रिस्तानों की घेराबन्दी कराये जाने की नीति है ।

श्री रणविजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर मुझे प्राप्त हुआ है । महोदय, ये कब्रिस्तान का मामला है और संवेदनशीलता के आधार पर जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा इसका चयन किया जाता है । हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जो वहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं क्या उनको उस कमिटी में शामिल करना चाहते हैं ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : पहले एक काम तो करिये माननीय सदस्य, उसको निबंधित कराइये, वह निबंधित नहीं है । पहले निबंधित कराइये तब फिर मांग कीजियेगा ।

श्री रणविजय साहू : बहुत धन्यवाद ।

तारांकित प्रश्न सं0-2560(श्री उमाकांत सिंह)क्षेत्र सं0-7,चनपटिया

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2561(श्री मुरारी मोहन झा)क्षेत्र सं0-86,केवटी

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2562(श्री मनोहर प्रसाद सिंह)क्षेत्र सं0-67,मनिहारी

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2563(श्री प्रमोद कुमार)क्षेत्र सं0-19,मोतिहारी

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2564(डा0 निक्की हेम्ब्रम)क्षेत्र सं0-162,कटोरिया (अ0जा0)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2565(श्री ऋषि कुमार)क्षेत्र सं0-220,ओबरा

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि वादी श्री अमरेष कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर एयरटेल टावर से बी0टी0एस0 पावर कार्ड को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिये जाने के आरोप में दाउदनगर थाना कांड सं0-142/23, दिनांक 12.03.2023, धारा-379 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है । वर्तमान में कांड अनुसंधानान्तर्गत है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछें ।

श्री ऋषि कुमार : महोदय, मुझे उत्तर मिला है मैं सरकार से सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि थाना प्रभारी महोदय ने इतना विलंब क्यों किया एफ0आइ0आर0 दर्ज करने में क्या उनपर कार्रवाई होगी ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, 22.02.23 के रात में है । 12.03.23 को दर्ज किया गया है । वस्तुस्थिति यह है कि वादी श्री अमरेष कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर एयरटेल टावर के बी0टी0एस0 पावर कार्ड को अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर लिये जाने के आरोप में दाउदनगर थाना कांड सं0-142/23, दिनांक-12.03.2023, धारा-79 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है । वर्तमान में कांड अनुसंधान अन्तर्गत है ।

श्री ऋषि कुमार : महोदय, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि जो विलंब किया गया एफ0आइ0आर0 दर्ज करने में और वह भी जब विधान सभा का प्रश्न गया विधान सभा के माध्यम से उस दिन उन लोगों ने एफ0आइ0आर0 दर्ज किया तो इस तरह से सिस्टम को इतना डिले करना यह न्यायसंगत नहीं है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, इसको देखवा लेंगे ।

टर्न–5/पुलकित/27.03.2023

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस प्रश्न में पूरक यह है कि यह मसला सिर्फ माननीय सदस्य का नहीं है, उनके क्षेत्र का नहीं है । यह मसला पूरे बिहार का है और बिहार के अंदर थाना में एफ0आई0आर0 दर्ज करने के लिए जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो एफ0आई0आर0 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन तक दर्ज नहीं होती है। जब तक कोई पॉलिटिक्ल एप्रोच या दबाव नहीं होता है या फिर उनका कहना है कि विधान सभा में जब माननीय सदस्य क्वेश्चन किए और फिर वहां गया तब एफ0आई0आर0 दर्ज हुई । माननीय सदस्य का जो सवाल है उनका कहना है कि जिस पदाधिकारी ने लेट एफ0आई0आर0 दर्ज की, क्या उसके ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं ? महोदय, मैं भी यही कह रहा हूं कि वैसे पदाधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगी या नहीं ? पुलिस महकमा के लोग यहां बैठे हुए हैं, बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं और पूरे बिहार के अंदर यह धड़ल्ले से हो रहा है इसीलिए जो पदाधिकारी एफ0आई0आर0 दर्ज करने में देर करता है, आपका एक्ट, आपका मैनुअल बना हुआ है कि 24 घंटे के अंदर एफ0आई0आर0 दर्ज करके उसको कोर्ट में भेजना है। लेकिन एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं करते हैं, इसलिए मेरा यह सवाल है कि क्या उनके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी या नहीं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप स्थान ग्रहण कीजिए । जब मंत्री जी खड़े हो जाए तब बैठ जाना चाहिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, कई इस तरह के आरोप लगाये गये हैं, लेकिन कोई स्पेस्फिक मामला होगा तभी तो सरकार जांच करायेगी । अगर...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, इतने योग्य हमारे माननीय सदस्य हैं, कोई थाना अगर एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं करता है तो डी0एस0पी0, एस0पी0 के यहां पेटिशन करें, नहीं तो कोर्ट में पेटिशन देने की प्रक्रिया है । ऐसा थोड़ी है नहीं होगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री अजय कुमार : महोदय, यह बिल्कुल संगीन सवाल है । महोदय, मेरी बात सुन ली जाए, मैं इसी सदन में, इसी सत्र में जब एक माननीय सदस्या ने सवाल उठाया था कि सोशल मीडिया पर, आज उसके आधार पर घटनाएं हो रही है और इसके बारे में

बोला गया था आप एविडेंस दीजिए । मैंने दूसरे ही दिन एविडेंस दिया, कहां कार्रवाई हुई ? क्या वैसे लोगों पर होगी या नहीं, ये मूल सवाल है ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : इस सवाल का इससे कोई संबंध नहीं है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य, आपको पहले आसन से इजाजत लेनी चाहिए और इजाजत हम जब देंगे तभी आप पूरक पूछ सकते हैं । आप हमसे इजाजत मांगिये ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने की इजाजत चाहिए ।

अध्यक्ष : आप बोलिये, आपको बोलने की इजाजत दी । प्रहलाद जी, अभी आप बैठ जाइये । जब एक सदस्य खड़े हैं, तब दूसरे सदस्य खड़े नहीं हो सकते हैं ।

श्री भाई वीरेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही संगीन मामला है और आये दिन इस तरह की घटनाएं घटती है । महोदय, सूचना देने के बाद, लिखित देने के बाद भी एफ0आई0आर0 नहीं होता है या तो चढ़ावा का इंतजार करते हैं, नहीं तो फिर पॉलिटिक्ल दबाव के बाद करता है । इसलिए सरकार को बदनाम करने के लिए भी कुछ पुलिस पदाधिकारी जमे हुए हैं, उनको सस्पेंड किया जाए, इस सदन से घोषणा की जाए । जो लोग एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं किए है उसको सस्पेंड करने की घोषणा करवाई जाए ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रहलाद यादव जी ।

श्री प्रहलाद यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी बोले कि एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं करता है तो कोर्ट चले जाइये । महोदय, फिर इतने सारे सरकार ने थाना बनाये हैं, उसमें खर्चा होता है, स्टाफ रहते हैं, पदाधिकारी रहते हैं । जब कोर्ट ही जाने की बात होगी तो थाना किसलिए है ? इस पर माननीय मंत्री जी जवाब दें ।

अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे जी ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का सवाल था और यह बात सत्य है कि राज्य में ऐसी घटनाएं कतिपय घटती रहती है कि थाना में व्यक्ति को लॉकअप में बंद कर दिया जाता है, एफ0आई0आर0 बाद में होती है । महोदय, बिना किसी चार्जेज के एफ0आई0आर0 बिना दर्ज किए किसी आदमी को लॉकअप में एक मिनट रखना अपराध है और ऐसी घटनाएं घटती रहती है । सरकार के स्वीकार करना चाहिए, माननीय मंत्री जी बुजुर्ग हैं और काफी अनुभवी हैं । महोदय, प्रायः यहां ऐसी घटनाएं घटती हैं, सरकार को देखना चाहिए, 24 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति को लॉकअप में लेने के बाद कोर्ट में हाजिर करना है लेकिन ऐसा होता नहीं है । तीन दिन, चार दिन बिना एफ0आई0आर दर्ज किए व्यक्ति को लॉकअप में

रखा जा रहा है, यह अच्छी बात नहीं है । सरकार को भी बदनाम करने की साजिश हो सकती है । यह मैं कहना चाहता हूं, आसन से निवेदन करना चाहता हूं और आसन को भी इस मसले को देखना चाहिए क्योंकि यह राज्य का मामला है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, एस0पी0 को निदेशित किया जाएगा, इस तरह के किसी भी मुकदमें में अगर कहीं कोई देरी हुई, कोई चूक हुई तो कठोर कार्रवाई की जायेगी ।

अध्यक्ष : बहुत अच्छा ।

श्री ऋषि कुमार : महोदय...

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये । माननीय सदस्य ऋषि जी, आप अब नहीं पूछ सकते हैं इसलिए बैठ जाइये ।

श्री ऋषि कुमार : महोदय, यह प्रश्न मेरा ही है ।

अध्यक्ष : अब प्रश्न नहीं पूछ सकते, बैठ जाइये, जो प्रक्रिया है उसे मत तोड़िये ।

माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार यादव ।

तारांकित प्रश्न सं0-2566, श्री मुकेश कुमार यादव (क्षेत्र सं0-27, बाजपट्टी)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2567, श्री अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय (क्षेत्र सं0-102, कुचायकोट)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2568, श्री जनक सिंह (क्षेत्र सं0-116, तैरया)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2569, श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद (क्षेत्र सं0-57, बायसी)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णियां जिला के डगरूआ प्रखंड के ग्राम बभनी पंचायत में अमना में कब्रिस्तान भाग-1 एवं भाग-2 का एकरारनामा कर लिया गया है ।

जिला पदाधिकारी, पूर्णियां को प्रश्नगत कब्रिस्तान के विवाद का निपटारा शीघ्र कराते हुए नियमानुकूल घेराबन्दी कराने का निदेश दिया गया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य पूरक पूछिये ।

श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद : अध्यक्ष महोदय, चूंकि डगरूआ प्रखंड के अमना और निखैर कब्रिस्तान की घेराबंदी अगले वित्तीय वर्ष में हो गयी है । मैं पूछना चाहता हूं कि

किस कारण से अब तक कार्य आरम्भ नहीं हुआ है । उन दोनों समुदायों में तनाव व्याप्त रहता है ।

अध्यक्ष : आपने कहा कि घेराई का काम हो गया है ।

श्री सैयद रूकनुद्दीन अहमद : महोदय, निविदा हुई है, टेंडर हो गया है लेकिन कार्य आरम्भ नहीं हुआ है, एक वित्तीय वर्ष हो गया है । यह पूछना चाहता हूं ।

अध्यक्ष : यह बात कहनी चाहिए । माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद प्रखंड अंतर्गत प्रखंड मदनपुर के मौजा- मदनपुर, थाना-785.....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, यह प्रश्न पूर्णिया जिला के डगरूआ प्रखंड का किया गया है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, भूल से पढ़ा गया । वस्तुस्थिति यह है कि पूर्णियां जिला के डगरूआ प्रखंड के ग्राम बभनी पंचायत में अमना में कब्रिस्तान भाग-1 एवं भाग-2 का एकरारनामा कर लिया गया है । जिला पदाधिकारी, पूर्णियां को प्रश्नगत कब्रिस्तान के विवाद का निपटारा शीघ्र कराते हुए नियमानुकूल घेराबन्दी कराने का निदेश दिया गया है कि जल्दी काम प्रारम्भ करें ।

अध्यक्ष : बहुत अच्छा । माननीय सदस्य श्री छत्रपति यादव ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-2570, श्री छत्रपति यादव (क्षेत्र सं0-149, खगड़िया)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक है । खगड़िया जिला में जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी का एक पद स्वीकृत है तथा जुलाई, 2018 से विभागीय जन सम्पर्क पदाधिकारी पदस्थापित नहीं हैं । परन्तु प्रभारी जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, खगड़िया में कार्यरत हैं । वर्तमान में विभाग में मात्र 14 जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी तथा 07 अपर जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी कार्यरत हैं ।

विभागीय पत्रांक-698, दिनांक-09.06.2020 द्वारा कुल 31 जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी एवं विभागीय पत्रांक-654, दिनांक-29.01.2020 द्वारा 13 अपर जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी के पदों पर सीधी भर्त्ती हेतु अधियाचना क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गयी है। पदाधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर विभागीय पदाधिकारियों का पदस्थापन किया जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य पूरक पूछिये ।

श्री छत्रपति यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब मिला है । हम इनके प्रति आभार प्रकट करते हैं लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं है । हम यह जानना चाहते हैं कि

वर्ष 2018 से पद खाली है और इसमें लिखते हैं कि 29.01.2020 को हम अग्रसारित किए हैं । महोदय, वर्ष 2020 में हुई है और 2020 से अभी तक कोई बहाली नहीं हुई । वर्ष 2018 से अब वर्ष 2023 आ गया है तो सरकार में जब पदाधिकारी ही नहीं रहेंगे तो कौन से ऐसे पदाधिकारी सरकार के साथ बैठे हुए हैं जो बहाली की प्रक्रिया पूरा नहीं कर पा रहे हैं ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री छत्रपति यादव : महोदय, हम जानना चाहते हैं कि कब तक पदाधिकारी को वहां पदस्थापित करेंगे ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कम ऑफिसर है । बहाली के लिए हमने ऑलरेडी बी0पी0एस0सी0 को लिखा हुआ है । अब वह प्रक्रिया है, बहुत से उसमें से कोर्ट चले जाते हैं, कभी कोर्ट का स्टे हो जाता है । महोदय, प्रक्रिया 2020 में ही लिखी हुई है लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ । जैसे ही फाइनल हो जाएगा तो हरेक जिला में जन सूचना सम्पर्क पदाधिकारी पदस्थापित करेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0–2571, श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्षेत्र सं0–224, रफीगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : वस्तुस्थिति यह है कि औरंगाबाद जिला अन्तर्गत प्रखंड मदनपुर के मौजा–मदनपुर, थाना–785, खाता नं0–176, खेसरा नं0–1103, रकबा–1.57 एकड़ तथा मौजा दशवतखाप थाना नं0–784, खाता नं0–67, खेसरा नं0–512, रकबा– 2.22 एकड़ भूमि पर अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी का कार्य दोनों समुदायों के बीच विवाद के कारण प्रारंभ नहीं हो सका है । जिला प्रशासन, औरंगाबाद के पहल पर विवाद का हल निकाल कर शीघ्र ही घेराबन्दी करा ली जायेगी ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : अध्यक्ष महोदय, जवाब आ गया है, हम पूरक पूछ रहे हैं ।

अध्यक्ष : पूछा जाए ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : महोदय, सबसे पहले ये जो कब्रिस्तान की घेराबंदी होती है इसकी सूची 2007 में तैयार की गयी थी । उसके बाद आज तक कोई सूची तैयार नहीं हुई है, बहुत से कब्रिस्तान उस सूची में छूट गये थे । क्या सरकार छूटे हुए कब्रिस्तानों की सूची बनाना चाहती है जिससे उनका नाम दर्ज किया जा सके ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, आधार यह है कि जहां विवाद होने की संभावना होती है, जिला पदाधिकारी, एस0पी0 बैठकर उसको निर्धारित करते हैं क्योंकि सूची उन्हीं

को बनानी है । जहां विवाद नहीं है, वहां हंड्रेड परसेंट कब्रिस्तान की घेराबंदी करना सरकार का लक्ष्य भी है और यह विवाद को समाप्त करने का महत्वपूर्ण काम है ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : अध्यक्ष महोदय, जब यह सूची नहीं बनी है, जो कब्रिस्तान छूट गया है और उसपर विवाद है तो फिर कहां सवाल पैदा होता है कि उसकी सूची होगी ।

अध्यक्ष : माननीय प्रश्नकर्ता आप जिस जगह की घेराबंदी की बात कर रहे हैं । क्या उस पर विवाद है ?

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : हां ।

अध्यक्ष : इस पर प्रशासन रिपोर्ट तो करे ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : महोदय, हमने दूसरा सवाल किया था । क्या सरकार उन कब्रिस्तानों की सूची बनाना चाहती है जिसमें विवाद है ताकि वह उस सूची में आ जाए और प्रशासन उस विवाद को खत्म कराकर उसकी घेराबंदी करा सके ।

(क्रमशः)

टर्न-6/अभिनीत/27.03.2023

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन (क्रमशः) : महोदय, दूसरी बात, जब कमेटी बनी हुई है, जब जिला पदाधिकारी और एस0पी0 सबलोग रहते हैं तो यहां जो सरकार का जवाब है, हालांकि ऐसी बात नहीं है, कोई विवाद नहीं है, चूंकि मैं वहां से आता हूं । मैंने वहां अपनी कमेटी को भी लेकर गया और वहां जाकर देखा, स्पॉट पर भी जाकर देखा, पहले भी गये थे, बाद में भी गये, कहीं कोई विवाद नहीं है । सिर्फ एक-दो आर0एस0एस0 के आदमी वहां जाकर उलटी-सीधी बात किये और उसके बाद प्रशासन ने उसको रोक दिया । मेरा कहना सिर्फ यह है कि जब सरकार कहती है कि जहां विवाद है वहां घेराबंदी करायेगी । जब खुद सरकार कह रही है कि यहां विवाद है तो सरकार घेराबंदी क्यों नहीं करा रही है ?

महोदय, प्रश्नों की सूची में प्रश्न संख्या-4262 और 4265, मेरे दोनों प्रश्न कब्रिस्तान से संबंधित हैं और इनका विषय एक ही है । ढूढूआ कब्रिस्तान जो रफीगंज में पड़ता है, दशवतखाप कब्रिस्तान मदनपुर में पड़ता है और ये दोनों ही औरंगाबाद के हैं । महोदय, सरकार का जो जवाब आया है कि विवादित है, विवाद के बाद ही तो सरकार ने घेराबंदी कराने की बात कही है, तो सरकार कबतक घेराबंदी कराने का मुक्कमल इरादा रखती है ? जबकि दोनों कब्रिस्तानों की निविदा हो चुकी है, पैसा उपलब्ध है, ठेकेदार बहाल हो चुके हैं और अबतक घेराबंदी नहीं हुई है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिला प्रशासन, औरंगाबाद की पहल पर विवाद का हल निकालकर शीघ्र घेराबंदी करा ली जायेगी । यह निर्देश दिया गया है ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : महोदय...

अध्यक्ष : अब हो गया नेहालउद्दीन साहब ।

श्री मोहम्मद नेहालउद्दीन : महोदय, माननीय मंत्री सिर्फ समय बता दें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, इन्होंने शीघ्र कहा है । जवाब बिल्कुल स्पष्ट है और स्वीकारात्मक है ।

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, कब्रिस्तान का मामला पूरे बिहार का है । जहां तक मुझे स्मरण है 2008-09 में माननीय मुख्यमंत्रीजी ने यह स्पष्ट किया था, माननीय सदस्य श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी के प्रश्न के जवाब में कि क्या आप बिहार के सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी करेंगे ? माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी करेंगे । महोदय, सारे कब्रिस्तानों की घेराबंदी का वादा किया गया लेकिन जो कब्रिस्तान विवादित हैं, एस0पी0 और डी0एम0 के जरिए से बराबर उसकी रिपोर्ट नहीं भेजी जाती है । क्या ऐसी कमेटी में वहां के स्थानीय विधायक और सांसद, जो मामले को भलीभांति जानते हैं को शामिल करने का सरकार इरादा रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप लिखकर सरकार को दे दीजिए । सरकार देख लेगी और यदि नियम के मुताबिक होगा...

श्री अखतरूल ईमान : महोदय, ऐसा हो जाय, सभी की भावनाओं को देखा जाय..

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य को मैं कई वर्षों से जानता हूं । क्या हम वहां के एम0एल0ए0 है और हमारा स्वयं दायित्व नहीं बनता है कि कोई विवादित मामला है तो हम जाकर उसको बैठकर करवा लें । कमेटी में रहने या नहीं रहने से क्या फर्क पड़ता है । दूसरी बात, अगर विवादित है तो विधायक फंड से भी घेराबंदी कराने का प्रावधान है । आप डी0एम0 के साथ बैठकर फैसला कर लीजिए और अपने विधायक फंड से करवा दीजिए । वह आपका पैसा नहीं है, विधायक फंड भी सरकार का ही पैसा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य डॉ0 रामानुज प्रसाद ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-2572 (डॉ0 रामानुज प्रसाद, क्षेत्र सं0-122, सोनपुर)</u>

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का प्रथम खंड स्वीकारात्मक है ।

शेष खंडों के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि प्रखंड कार्यालय, दिघवारा में पदस्थापित 03 लिपिकों का कार्यकाल तीन वर्ष से कुछ अधिक माह हुए हैं जिनका गृह जिला सारण नहीं है ।

प्रखंड कार्यालय, सोनपुर में 05 लिपिक पदस्थापित हैं जिनमें से 02 लिपिक इसी वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले हैं एवं 02 नवनियुक्त लिपिकों का पदस्थापन वर्ष 2022 में हुआ है । जबकि 01 सुशील कुमार सिंह, लिपिक का पदस्थापन आदेश ज्ञापांक- 109, दिनांक- 23.01.2023 द्वारा किया गया है ।

राज्य सरकार के कर्मियों का माह जून में स्थानांतरण किए जाने का प्रावधान है, उस समय जिनका पदस्थापन अवधि तीन वर्ष से ज्यादा पूर्ण होगी उनके स्थानांतरण के संबंध में जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी के द्वारा जो जवाब दिया गया है वह बिल्कुल भ्रामक है, जो पदाधिकारियों ने इनको बनाकर दिया है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे भी आग्रह है कि मैंने जो सवाल किया था विधान सभा में वह सवाल भी, उसे सुधार भी कराया गया उसके बावजूद, सवाल का स्वरूप बदल कर गया जवाब के लिए । महोदय, जवाब जो आया है इसमें यह कहा जाता है कि हां साहब यह जो हमने दिया है हवाला कि बिहार के पत्रांक- 881, दिनांक- 03 जून, 2009 की कंडिका -3 के आलोक में राज्य संवर्ग, जिला संवर्ग के सभी विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को तीन वर्ष से अधिक की सेवा पर स्थानांतरण का प्रावधान है । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि मंत्रीजी जो जवाब आया है इसकी सत्यता की पहले जांच करायें । मैंने नेमली दिया है, पटना जिला का हमने उदाहरण दिया है । पटना के एक शिक्षा विभाग के कर्मचारी का मैंने नेमली दिया है । अध्यक्ष महोदय, जवाब भी बदल कर आया है और सवाल भी बदला हुआ है । साथ-साथ मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं । मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि यह जो सरकार का प्रावधान है, क्या सरकार इसको मैंडेटरी करना चाहती है ? इसको बाध्यकारी बनाती है कि सरकार, एक बात और दूसरी..

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, आप भी सुन लीजिए कि क्या लिखा हुआ है । विद्वान आदमी हैं, प्रोफेसर हैं ।

प्रश्न का प्रथम खंड स्वीकारात्मक है ।

शेष खंडों के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि प्रखंड कार्यालय, दिघवारा में पदस्थापित 03 लिपिकों का कार्यकाल तीन वर्ष से कुछ अधिक माह हुए हैं

जिनका गृह जिला सारण नहीं है । ये वे हैं जिनका जिला में पदस्थापन नहीं होना चाहिए ।

प्रखंड कार्यालय, सोनपुर में 05 लिपिक पदस्थापित हैं जिनमें 02 लिपिक इसी वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले हैं एवं 02 नवनियुक्त लिपिकों का पदस्थापन वर्ष 2022 में हुआ, इनका तीन साल नहीं हुआ है, जबकि 01 सुशील कुमार सिंह, लिपिक का पदस्थापन आदेश ज्ञापांक- 109, दिनांक- 23.01.2023 द्वारा किया गया है ।

राज्य सरकार के कर्मियों का माह जून में स्थानांतरण किए जाने का प्रावधान है, उस समय जिनका पदस्थापन अवधि तीन वर्ष से ज्यादा पूर्ण होगी उनके स्थानांतरण के संबंध में जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा द्वारा निर्णय लिया जायेगा । यह स्पष्ट है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था, प्रश्न के माध्यम से, पूरा सदन, सबलोग सुन रहे हैं । मैं चाहता हूं कि अभी जो एक सवाल आया था पुलिस विभाग का, गृह विभाग, जब मंत्रीजी ने जवाब दिया कि एफ0आई0आर0 नहीं होता है..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उसको छोड़ दीजिए । आप अपने प्रश्न से संबंधित विषय पर बात करें ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : महोदय, मैं अपने ही सवाल पर आता हूं कि इस तरह की जो करतूत है, अगर हम सुशासन देना चाहते हैं, अकाउंटेबल गवर्नमेंट चाहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली गवर्नमेंट चाहते हैं, तो क्या सरकार, मैंने प्रश्न दिया, मेरा प्रश्न बदल दिया गया है, क्या सरकार इसको बाध्यकारी करेगी कि अपने गृह प्रखंड में कोई कर्मचारी नहीं रहे ? अपने गृह जिला में नहीं रहे और अगर किसी कारण से रहे तो तीन वर्ष से अधिक तक नहीं रहे । यह मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्रीजी, यह प्रावधान है और इसका अनुपालन हो रहा है ? मैंने स्पष्ट लिखा है...

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : माननीय सदस्य, आप सुनने को तैयार नहीं हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जरा सुनिए तो मंत्रीजी क्या कह रहे हैं ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, एक आदमी का तीन साल हो रहा है, जून में ट्रांसफर हो जायेगा । यह जवाब में स्पष्ट लिखा हुआ है ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता ।

श्री प्रहलाद यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य प्रहलाद बाबू, आप बैठ जाइये । सरकार का उत्तर हो गया है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : माननीय प्रहलाद बाबू, माननीय रामानुज बाबू, सरकार के द्वारा स्पष्ट कह दिया गया है कि स्थानांतरण उनका कर दिया जायेगा ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : जी महोदय, स्पष्ट है लेकिन मैंने पटना की भी चर्चा की थी, पूरे बिहार की चर्चा की थी कि अकाउंटेबल गवर्नमेंट अगर लाना चाहते हैं तो थानों में, ब्लॉकों में, जिलों में जो एक ही जगह घर के बगल में जमे रहते हैं, दबंगई करते हैं, वे अफसर लोगों को भी काम नहीं करने देते हैं, कर्मचारियों को भी काम नहीं करने देते हैं, विकास में बाधक हैं तो क्या सरकार इस तरह के, इनपर कार्रवाई करेगी...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें । पदस्थापन के नियम, नियमावली पूर्व से बने हुए हैं । उसी नियम और नियमावली के मुताबिक सरकार मई-जून में स्थानांतरण की कार्रवाई करती रही है, कर रही है और करेगी । जिनके ऊपर दोष होगा, कम अवधि में भी उनका स्थानांतरण उस दोष के आधार पर होगा ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, उसी अनुपालन की बात मैं कर रहा हूं..

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप जो चाहते थे उसका जवाब..

(व्यवधान)

अजीत बाबू, जबाब तो उनका कितना बढ़िया माननीय मंत्री ने दिया है । इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि उसकी बदली कर दी जायेगी ।

माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 'क'- 2573 (श्री केदार प्रसाद गुप्ता, क्षेत्र सं0-93, कुढ़नी)

(अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 2574

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ।

(श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, क्षेत्र सं0-221, नवीनगर)

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2575

(श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह, क्षेत्र सं0-1, वाल्मीकिनगर)

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री मनोहर प्रसाद सिंह ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2576

(श्री मनोहर प्रसाद सिंह, क्षेत्र सं0-67, मनिहारी (अ0ज0जा0))

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिए जायं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 27 मार्च, 2023 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं । श्री संजय सरावगी, श्री जनक सिंह, श्री ललन कुमार, श्री मुरारी मोहन झा । आज सदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक से संबंधित बिहार विनियोग विधेयक के व्यवस्थापन का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

टर्न-7/हेमन्त/27.03.2023

अध्यक्ष : अब शून्यकाल की सूचनाएं ली जायेंगी ।

शून्यकाल

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती मंजु अग्रवाल ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखण्ड स्थित ग्राम-कमात में ऐतिहासिक सूर्य तालाब का जीर्णोद्धार कराने की मांग करती हूं ।

श्री सउद आलम : अध्यक्ष महोदय, ठाकुरगंज विधान सभा के दिघलबैंक प्रखंड के ताराबारी पंचायत के डुमरिया-फुलगाछी पथ एवं आठगछिया पंचायत के तलवारबंधा-बालुबारी पथ तथा ठाकुरगंज प्रखंड के डुमरिया-टेलीभीटा पथ नदी कटाव के जद में है । इस पथ को कटाव से रोकथाम करने हेतु आवश्यक एवं ठोस तकनीकी कार्रवाई की मांग करता हूं ।

श्री इजहारूल हुसैन : अध्यक्ष महोदय, किशनगंज जिलान्तर्गत पोठिया प्रखंड के कोलथा पंचायत में पी0डब्ल्यू0डी0 सड़क रंगीयाडार पथ से खोकशाबाड़ी व शीमलबाड़ी होते हुए बल्दिया घाट तक पक्की सड़क नहीं रहने के कारण आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

अतः मैं उक्त स्थल में पक्की सड़क के निर्माण की मांग सरकार से करता हूं ।

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्रियों इन्दिरा गांधी, राजीव गांधी की प्रतिमाओं को जिला प्रशासन सड़क चौड़ीकरण हेतु दिनांक-05.01.2019 को रामाशीष चौक, हाजीपुर (वैशाली) से हटा दिया, जिसका कांड सं0-173/19 हाजीपुर सदर थाना में दर्ज है । मैं सदन से तीनों प्रतिमाओं की ससम्मान पुनःस्थापना की मांग करती हूं ।

श्री अजीत कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, डुमरांव निवासी कवलेश्वर सिंह के पुत्र विनोद सिंह उर्फ सोमारू की अपराधियों ने अपहरण कर दिनांक-25.03.2023 को हत्या कर दी। विशेष टीम गठित कर अपराधियों की त्वरित गिरफ्तारी, मृतक के परिवार को 20 लाख रुपये तथा आश्रित को सरकारी नौकरी देने की मांग करता हूं ।

श्री महा नंद सिंह : अध्यक्ष महोदय, महंगाई के आधार पर कार्यपालक सहायकों के मानदेय का पांच वर्षों में पुनर्निरीक्षण नहीं हुआ है । भुगतेय मानदेय की 30 प्रतिशत राशि बढ़ाने, काम से हटाये गये कार्यापालक सहायकों का पुनर्नियोजन करने, समस्त कार्यपालक सहायक जिस पद पर कार्यरत हैं, उसी पद पर स्थाई समायोजन कररने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललन कुमार ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री मोहम्मद अंजार नईमी ।

श्री मोहम्मद अंजार नईमी : अध्यक्ष महोदय, प्रस्वीकृत मदरसा 1128 के हाफिजों को 17,990 रुपया तथा नियोजित हाफिजों को 20,690 रुपया का पे-स्केल दिया जाता है, जो 40 वर्ष पूर्व बहाल हाफिजों को 2,700 रुपया कम दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है ।

पे-स्केल की विसंगतियों को दूर कर समान पे-स्केल देने की मांग करता हूं ।

श्री अखतरूल ईमान : अध्यक्ष महोदय, जिला पूर्णिया अन्तर्गत बैसा प्रखंड के अनगढ़ से धर्मबाड़ी वाया धुसमल एवं पियाजी से खाड़ी वाया किलपाड़ा जाने वाली सड़क बहुत ही जर्जर हो गई है जिस कारण लोगों को आवागमन में बड़ी कठिनाई होती है।

अत: मैं यथाशीघ्र उपरोक्त दोनों सड़कों के निर्माण की मांग सरकार से करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती रेखा देवी जी, आपने शून्यकाल दिया, आपके शून्यकाल के शब्दों की गिनती की गयी, आपने शून्यकाल 58 शब्दों का दिया है । इसीलिए आपका शून्यकाल नियमानुकूल नहीं रहने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया है ।

माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार यादव ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिला अन्तर्गत घोघरडीहा प्रखंड के बसुआरी पंचायत राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री विनोद कुमार सरस्वती का वेतन बिना स्पष्टीकरण पूछे गलत तरीके से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा रोक दिया गया है ।

अस्तु विनोद कुमार के वेतन भुगतान की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री विजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, दुर्घटनाग्रस्त मरीजों के शीघ्र उचित उपचार हेतु सदर अस्पताल शेखपुरा में ट्रामा सेंटर की स्थापना जनहित में शीघ्र कराने की मांग सदन के माध्यम से सरकार से करता हूं ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के ताजपुर प्रखण्ड अंतर्गत डीह सरसौना में मो0 मुजफ्फरूल हक की गोली मारकर हत्या कर दी गई जिसका बंगरा थाना कांड संख्या-38/23 है ।

अतः घटना में शामिल अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को सुरक्षा एवं 10 लाख रुपये मुआवजा की मांग करता हूं ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, भू-अर्जन नीति 2013 के पूर्व सरकारी योजनाओं के लिए जिन किसानों की जमीन अधिगृहीत की गयी है और उन्हें या तो मुआवजा नहीं मिला अथवा कार्य पूरा नहीं हो सका । उन सभी किसानों को नई नीति में निर्धारित चार गुना मुआवजा देने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री राजवंशी महतो : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिलान्तर्गत प्रखंड खोदावंतपुर के पंचायत सागी अन्तर्गत सागीडीह-मिल्की पथ पर क्षतिग्रस्त पुल के पुनर्निमाण की मांग सरकार से करता हूं ताकि उक्त क्षेत्र से पानी की निकासी हो सके ।

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिलान्तर्गत सोनवर्षा गांव अस्तपात से मथार दियारा क्षेत्र के कारूमंडल टोला तक सड़क नहीं रहने के कारण आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

अतः सोनवर्षा गांव से मथार दियारा के कारूमंडल टोला तक पी0सी0सी0 सड़क पुल/पुलिया सहित निर्माण करने हेतु मैं सदन से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य डा0 मुरारी मोहन झा ।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी ।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री मिश्री लाल यादव ।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री अचमित ऋषिदेव ।

श्री अचमित ऋषिदेव : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत नगर पंचायत रानीगंज वार्ड नं0-17 में स्थित ठाकुरबाड़ी की 1 एकड़ 32 डीसमिल खाली जमीन पर सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराने की मांग मैं सरकार से करता हूं ।

श्री रामवृक्ष सदा : अध्यक्ष महोदय, राज्य के तमाम टोला सेवक, विकास मित्र, तालिमी मरकज, आशा-ममता एवं रसोइयों के स्थायीकरण एवं वेतन बढ़ोतरी की मांग सदन से करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जनक सिंह ।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, आरा नगर निगम में कार्यरत सफाईकर्मियों के 2009 में चार माह, 2012 में डेढ़ माह और 2020 में डेढ़ माह के बकाये वेतन का शीघ्र भुगतान करने की मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह ।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार ।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता ।

(अनुपस्थित)

अध्यक्ष : अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली जायेंगी ।

टर्न-8/धिरेन्द्र/27.03.2023

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उसपर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री सुदामा प्रसाद, गोपाल रविदास एवं अन्य सात सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (कृषि विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद, अपनी ध्यानाकर्षण सूचना को पढ़ें ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, बिहार में घाटे की खेती का भार बटाईदार किसानों के कंधों पर है । जिन रैयत किसानों और भू-स्वामियों के पास रोजगार के दूसरे विकल्प मौजूद हैं, वे अपनी खेती बटाई पर लगा रहे हैं । 80 प्रतिशत से ज्यादा खेती बटाई पर हो रही है । कल के खेत-मजदूर आज बटाईदार किसान बन चुके हैं । पूँजी के अभाव में खेती शुरू करने से पहले ही वे भू-स्वामी, ट्रैक्टर मालिक, खाद-बीज के दुकानदार, सूदखोर आदि से ज्यादा फसल या कम कीमत पर अपनी फसल देने का समझौता कर लेते हैं । आपदा से फसल नष्ट होने पर वे पूरी तरह बर्बाद हो जाते हैं । कृषिगत योजनाओं की जानकारी, जमीन का कागजात और पहचान-पत्र के अभाव में वे कृषि बजट का लाभ नहीं उठा पाते हैं । जमीन के कागज के आधार

पर खेती नहीं करने वाले भू-स्वामी और बिचौलिये कृषि बजट का बड़ा हिस्सा हड़प लेते हैं ।

अतः लोकहित में खेती के मुख्य कर्णधार बटाईदार किसानों का रजिस्ट्रेशन कर पहचान-पत्र देने, बैंकों में के॰सी॰सी॰ खोलकर जरूरत के अनुसार उन्हें ब्याजमुक्त कर्ज देने तथा गाँव-गाँव में सरकारी कृषि योजनाओं का प्रचार कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जिन रैयत किसानों को भू-स्वामियों के पास रोजगार के दूसरे विकल्प मौजूद हैं और अन्यत्र शहरों में निवास करते हैं वे अपनी खेती बटाईदारों के माध्यम से कर रहे हैं ।

राज्य में खेती करने वाले गैर-रैयत/बटाईदार किसानों की संख्या काफी अधिक है । बिहार की कृषि में इनका काफी योगदान है । सरकार इन गैर-रैयत/बटाईदार किसानों के लिए काफी संवेदनशील है ।

बिहार के विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ लेने हेतु राज्य के कुल 1.90 करोड़ से अधिक किसानों को बायोमेट्रिक आधार पर निबंधन करते हुए 13 अंक का निबंधन संख्या दिया गया है, इसमें रैयत किसानों के साथ-साथ गैर-रैयत किसान भी शामिल हैं । कृषि विभाग के विभिन्न योजनाओं में गैर-रैयत किसानों को भी लाभ दिया जा रहा है ।

ओलावृष्टि/अतिवृष्टि/आँधी-तूफान/बाढ़-सुखाड़ इत्यादि प्राकृतिक आपदा की स्थिति में इन्हें फसल क्षति होने पर राज्य सरकार द्वारा रैयत एवं गैर-रैयत सभी प्रकार के किसानों को आर्थिक मदद दी जाती है । फसल क्षति होने पर कृषि इनपुट अनुदान योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश निर्गत किया गया है जिसमें यह प्रावधान किया गया है-कि इस बात का ध्यान रखा जाय कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले । जो किसान दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं उन्हें वास्तविक खेतीहर (बटाईदार) के रूप में स्थानीय वार्ड सदस्य एवं कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार द्वारा सत्यापित किया जाता है ।

इस प्रकार बटाईदार किसानों को भी कृषि इनपुट अनुदान का लाभ दिये जाने का प्रावधान है । वर्ष 2018-19 में 3.43 लाख (तीन लाख तेतालीस हजार), वर्ष 2019-20 में 6.67 लाख (छः लाख सड़सठ हजार), वर्ष 2020-21 में 2.87 (दो लाख सतासी हजार) एवं वर्ष 2021-22 में 4.44 लाख (चार लाख चौवालीस हजार) तक कुल 17.38 लाख (सत्रह लाख अड़तीस हजार) गैर-रैयत/बटाईदार किसानों को कृषि इनपुट अनुदान का लाभ दिया गया है ।

इसी प्रकार डीजल अनुदान योजना हेतु निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश में बटाईदार किसानों को भी डीजल अनुदान का लाभ दिये जाने का प्रावधान किया गया है ।

वर्ष 2018-19 में 4.07 लाख (चार लाख सात हजार), वर्ष 2019-20 में 4.36 लाख (चार लाख छत्तीस हजार) एवं वर्ष 2022-23 में 1.59 लाख (एक लाख उनसठ हजार) कुल 11.98 लाख (ग्यारह लाख अंठानवे हजार) बटाईदार/गैर रैयत किसानों को डीजल अनुदान का लाभ भी दिया गया है ।

इस प्रकार कृषि विभाग द्वारा बटाईदार किसानों को हर संभव मदद प्रदान किया जा रहा है ।

जहाँ तक बटाईदार किसानों को पंजीकृत कर उन्हें पहचान पत्र उपलब्ध कराने का प्रश्न है यह कार्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के क्षेत्राधीन है । इससे संबंधित एक तारांकित प्रश्न विभाग को प्राप्त हुआ था जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक-1416, दिनांक-20.03.2023 के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है ।

(इस अवसर पर विपक्ष के कुछ माननीय सदस्य सदन में वापस आ गए)

जहाँ तक किसानों को ब्याजमुक्त के॰सी॰सी॰ ऋण देने का प्रश्न है इस पर सांस्थिक वित्त निदेशालय द्वारा निरंतर अनुश्रवण किया जा रहा है तथा सभी बैंकों को अधिक से अधिक संख्या में किसानों को के॰सी॰सी॰ ऋण देने हेतु निदेश भी दिया जा रहा है तथा इसका निरंतर अनुश्रवण के लिए slbconline.bih.nic.in पोर्टल विकसित किया गया है । जिसके द्वारा प्रत्येक दिन किसानों के द्वारा दिए गए आवेदनों के साथ-साथ ऋण स्वीकृत एवं निष्पादित किए जाने की समीक्षा की जा रही है । राज्य सरकार द्वारा कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान स्कीम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष फसल ऋण/के॰सी॰सी॰ ऋण/अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण पर किसानों के द्वारा 03 लाख रुपये तक लिए गए ऋण पर 01 प्रतिशत अनुदान अतिरिक्त दिया जा रहा है। नाबार्ड द्वारा आयोजित राज्य ऋण संगोष्ठी 2023-24 में जारी स्टेट फोकस पेपर में प्रकाशित किया गया है कि बिहार में लघु एवं सीमांत किसानों की भू-धारिता 97 प्रतिशत है । वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रति खाताधारकों को औसतन 87,034 रुपये के॰सी॰सी॰ ऋण विमुक्त किया गया है जो वित्तीय वर्ष 2021-22 में बढ़कर 90,043 रुपया हो गया है । नाबार्ड द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में के॰सी॰सी॰ ऋण विमुक्ति बढ़कर 94,000 रुपया तक होने का अनुमान लगाया गया है ।

कृषि विभाग की योजनाओं का वृहद प्रचार-प्रसार तथा जानकारी किसानों को उपलब्ध कराने के लिए जिला मुख्यालय तथा सभी प्रखण्ड मुख्यालयों में

फ्लैक्स/होर्डिंग के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें योजनाओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है । इसके साथ ही विज्ञापन के माध्यम से समाचार पत्रों तथा रेडियों एवं दूरदर्शन के माध्यम से भी कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी तथा प्रचार-प्रसार किया जा रहा है । इसके साथ ही पंचायत स्तर पर कार्यरत किसान सलाहकार, कृषि समन्वयकों, प्रखण्ड तकनीकी प्रबंधक तथा सहायक तकनीकी प्रबंधक के माध्यम से भी योजनाओं की जानकारी किसानों को उपलब्ध करायी जा रही है ।

कृषि विभाग द्वारा समय-समय पर आयोजित किसान चौपाल, विभिन्न प्रकार के मेला के माध्यम से भी किसानों की योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब तो बहुत बड़ा है लेकिन हमारे ध्यानाकर्षण का जो मूल प्रश्न है कि सरकार बटाईदार किसानों को पहचान पत्र देने का विचार रखती है या नहीं ? इसके अभाव में बिचौलिये जमीन को हड़प ले रहे हैं, जमीन के मालिक हड़प ले रहे हैं और ज्यादा-से-ज्यादा बीज सब्सिडी और डीजल सब्सिडी किसानों को मिलता है, बटाईदारों को । माननीय मंत्री जी यह बतायें कि पहचान पत्र दिया जायेगा या नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि विभाग ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, मैं माननीय सदस्य को दो-तीन वस्तुस्थिति पर अवगत करा देता हूँ ।

इनका एक प्रश्न था कि बटाईदार किसानों को जो सरकार की योजना है उसका लाभ मिलता है या नहीं ? उसमें मैंने माननीय सदस्य को कहा कि जो बटाईदार किसान हैं महोदय, वे कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, वार्ड सदस्य, जो गाँव में वार्ड सदस्य होते हैं, प्रखण्ड में हमारा कृषि समन्वयक होता है । ये सब लोग स्थल पर जाकर समीक्षा करते हैं कि ये जमीन किसकी है और इसमें खेती कौन लोग कर रहे हैं ? और जो लोग बटाई खेती कर रहे हैं उनको हमलोग 13 अंक का एक कोड देते हैं ।

दूसरा इनका था कि योजना की जानकारी । महोदय, जब से यह महागठबंधन की सरकार बनी, माननीय सदस्य की चिंता लाजमी थी । जब हमने इसकी समीक्षा की, एक भी ऐसा प्रखण्ड नहीं था जहाँ पर योजनाओं की जानकारी दी जा रही थी, हमने तुरंत इसको पूरी की पूरी योजना को प्रखण्ड स्तर पर, जितनी हमारे विभाग की योजनाएँ थी सब को हमने प्रखण्ड में डिस्प्ले कर दिया ताकि हर किसान प्रखण्ड मुख्यालय जाता है तो पूरी योजनाओं की जानकारी वे ले लें ।

इनका अंतिम प्रश्न था कि उनको पहचान पत्र दे सकते हैं या नहीं ? महोदय, इसमें भूमि सुधार विभाग ही न तय करेगा कि यह जमीन हमारा है या इनका है, अगर बटाईदार है तो यह हमारा कृषि विभाग तो तय नहीं कर सकता है कि यह जमीन आपका है या किसका है ? तो हमलोगों ने इसमें माननीय सदस्य को बताया कि अभी इसमें 20.03.2023 को एक तारांकित प्रश्न आया था, उसमें यही था कि बटाईदार किसानों को पहचान पत्र दिया जाय । महोदय, इसके आलोक में हमलोगों ने पत्रांक-1416 के माध्यम से भूमि सुधार विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

टर्न-9/संगीता/27.03.2023

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, माननीय मंत्री जी ने ये नहीं कहा कि देंगे कि नहीं देंगे, ये इसका तो जवाब दे दें । चूंकि...

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, मैंने माननीय सदस्य को...

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, एक सेकेंड टाईम दिया जाय...

अध्यक्ष : राजस्व विभाग को, पत्रांक-दिनांक आप सुन रहे थे, स्थानांतरित कर दिया गया है कार्रवाई के लिए ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय, एक बात रखना चाहते हैं । माननीय महोदय...

अध्यक्ष : ये लिखे हुए हैं ।

श्री सुदामा प्रसाद : मतलब पहचान पत्र देने के लिए लिखे हैं मंत्री जी ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, फिर से उनको बतलाइए ।

श्री कुमार सर्वजीत, मंत्री : महोदय, विभागीय पत्रांक-1416, दिनांक-20.03.2023 को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुरोध की गई है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री सुदामा प्रसाद : ये तो जवाब नहीं हुआ महोदय ।

अध्यक्ष : आपने प्रश्न ध्यानाकर्षण कर दिया, सरकार ने जवाब बहुत विस्तृत से दिया, इन्होंने लिख दिया है कार्रवाई करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को, इंतजार कीजिए कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग उसपर कार्रवाई करके फिर कृषि विभाग से निश्चित ही समन्वय स्थापित करेंगे इसलिए अब आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री सुदामा प्रसाद : ठीक है धन्यवाद महोदय ।

अध्यक्ष : श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव, अपनी सूचना को पढ़ें ।

सर्वश्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव, पंकज कुमार मिश्र एवं अन्य पांच सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, राज्य के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में रसोइया का कार्य गरीब घर की महिलाएं करती हैं, जिसका मानदेय 1650/- रुपये प्रतिमाह है यानी 55 रुपये प्रति दिन देय है । इतनी महंगाई में अल्प मानदेय राशि से घर-परिवार चलाना बहुत मुश्किल होता है । इन रसोइयों को चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का दर्जा देने से इन लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है ।

अतएव राज्य के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में रसोइया का कार्य करने वाली महिलाओं को चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का दर्जा दिलाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, समय चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : महोदय, कब तक ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, आसन तय करता है, अगली तिथि जब रखेंगे तो सरकार जवाब देगी ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय संसदीय कार्य विभाग के मंत्री जी ने कहा कि जो अगली तिथि तय होगी सरकार उसपर अपना जवाब देगी । अब माननीय सदस्य श्री पवन कुमार जायसवाल अपनी सूचना को पढ़ें । अगर ध्यानाकर्षण नहीं रहता श्री पवन कुमार जायसवाल जी का तो ये 10 आदमी नहीं आते सदन में । आप अपनी सूचना को पढ़िए ।

सर्वश्री पवन कुमार जायसवाल, प्रमोद कुमार सिन्हा एवं अन्य नौ सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (परिवहन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद है कि आपने ध्यानाकर्षण को स्वीकृत किया ।

अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग की अधिसूचना सं0-684, दिनांक-11.08.2021 द्वारा अधिसूचित मोटरगाड़ी (संशोधन-1) नियमावली, 2021 दिनांक-15.09.2021 द्वारा राज्य के अन्तर्गत सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रित/ गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को तत्काल अंतरिम मुआवजा 5 लाख / जरूरत अनुसार भुगतान कर मदद पहुंचाने की व्यवस्था लागू है, लेकिन दिनांक-22.12.2022 से

राज्य के सभी जिलों में सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को मुआवजा मिलना एवं आवेदन लेना भी बंद कर दिया गया है ।

अतः जनहित में मानवीय संवदेना के मद्देनजर राज्य में जिला स्तर पर दुर्घटना में मृत/ घायलों के आवेदन प्राप्त करने तथा अंतरिम मुआवजा देने के लिए निर्देश जारी करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, परिवहन विभाग ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, परिवहन विभाग की गजट संख्या-683, दिनांक-11.08.2021 एवं 684 दिनांक-11.08.2021 के द्वारा सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके आश्रित/उत्तराधिकारी को 5 लाख रुपया अंतिम मुआवजा भुगतान का प्रावधान किया गया है । सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या-3362/ 2022 रेणु देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक- 21.12.2022 को पारित आदेश द्वारा परिवहन विभाग की गजट संख्या-683 एवं 684, दिनांक-11. 08.2021 तथा आम सूचना दिनांक-01.12.2021 के क्रियान्वयन को स्थगित कर दिया गया है । फलस्वरूप, मृतकों के परिजनों को अंतरिम मुआवजा का भुगतान सम्प्रति नहीं किया जा रहा है । मृतकों के परिजनों एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-165 से 175 तक के तहत जिला स्तर पर पूर्व से गठित दावा न्यायाधिकरण में दावा दायर करने का विकल्प उपलब्ध है ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, यह काफी अहम प्रश्न था । माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से हम यह जानना चाहेंगे कि जबसे यह बंद हुआ है, माननीय न्यायालय का आदेश आया है तबसे राज्य में कितने आवेदन लिए गए हैं ? महोदय, डी0टी0ओ0 को पत्र गया राज्य स्तर के परिवहन पदाधिकारी का और पूरे बिहार में आवेदन लेना बंद कर दिया गया है । महोदय, न्यायालय का रोक क्यों लगा, रोक इसलिए लगा कि पहले आपदा से पूरा पैसा दिया जाता था मृतक के परिजन को, लेकिन जबसे परिवहन में आया यह नियम बन गया कि जब कोई मृत होगा तो उसके परिजन को जो पैसा देना है, राज्य सरकार अपने स्तर से दे देगी लेकिन बाद में इंश्योरेंस कंपनी से या फिर जो गाड़ी मालिक होगा उससे प्रतिपूर्ति किया जाएगा । इसके मामले में इंश्योरेंस कंपनी कोर्ट गया या गाड़ी, जो एजेंसी है कोर्ट गया तब स्टे हुआ । हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा विषय है, राज्य सरकार ने बड़ा दिल दिखाया, आपने 4 लाख से 5 लाख कर दिया, पहले सामूहिक दुर्घटना पर यह प्रावधान था अब एकल भी दुर्घटना होता है, कोई मृत होगा तो उसको 5 लाख देने का प्रोविजन हो गया तो राज्य सरकार कोर्ट का निर्णय यह है

कि जो प्रक्रिया है, गलत है, उसपर रोक है, अपने स्तर से पूर्व की तरह परिवहन विभाग से 5 लाख रुपया देने में क्या दिक्कत है और राज्य में आवेदन लेने पर रोक लगा है कि नहीं लगा है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा 21.12.2022 को पारित आदेश है और जब उच्च न्यायालय में मामला चल रहा है तो जब तक निर्णय नहीं हो जाता है तब तक हमलोग क्या कर सकते हैं उसमें और अभी उसमें एक विकल्प भी है कि अगर वैसा है तो दावा दायर करने का भी विकल्प दिया हुआ है ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : दावा दायर किसको करना है, अध्यक्ष महोदय मंत्री जी पहले यह बतायें कि यह दावा दायर करना किसको है ? जिसके घर में कोई मृत होगा, उसके परिजन को तो आपको अनुदान देना था, दावा दायर कौन करेगा ? दावा दायर किसको करना है मंत्री जी बताएं ।

श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री : मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-165 से 175 तक के तहत जिला स्तर पर न्यायाधिकरण में दावा दायर कर सकते हैं ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, यह कमिटी इसके लिए बना है कि...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्यों की जो ध्यानाकर्षण सूचना है, यह सही मायने में महत्वपूर्ण है और सरकार की नीतियों के अनुरूप ही उसके क्रियान्वयन के लिए माननीय सदस्यों ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है, तो ये अच्छी बात है और जो माननीय सदस्य की सूचना से या जो पवन जायसवाल जी ने सूचना दी है उसी से स्पष्ट है कि पहले सरकार इसको आपदा से या मुख्यमंत्री जी का जो राहत कोष होता है, उससे ये पैसा 4 लाख रुपया मृतक के परिवार को देती थी सरकार के द्वारा बाद में जो वाहन से दुर्घटना में मरते हैं वो क्या होता था कि उनका जो इंश्योरेंस क्लेम होता है वह एक मुद्दा बीच में आ गया और इंश्योरेंस कंपनी सब इसमें अपना जो मृतक के या गाड़ी मालिक के दावा को वे लोग स्वीकृत करके और उनके द्वारा इसमें भारी घोटाला किया जाने लगा । किसी भी दुर्घटना की आड़ में जो इंश्योरेंस का अमाउंट होता है उसकी स्वीकृति देकर उसका घालमेल किया जाने लगा । इसलिए महोदय, सरकार ने निर्णय लिया कि चूंकि वाहन दुर्घटना में जो मृत होते हैं उनको मुआवजे का प्रावधान या क्षतिपूर्ति का प्रावधान, गाड़ी मालिक को क्षतिपूर्ति और जिनकी मृत्यु होती है उनको मुआवजा, इसका प्रावधान इंश्योरेंस में रहता है तो ये धीरे-धीरे जो उधर से ये लोग पिछले दरवाजे से पैसा निकालने लगे, उसको रोकने के लिए सरकार ने जान-बूझकर ये नई

योजना परिवहन विभाग के माध्यम से चलायी और इसमें जो मृतक होते हैं उनके परिवार को फायदा यह भी बढ़ाया गया कि उधर से 4 लाख मिलता था और इसके माध्यम से 5 लाख रकम दिया जाने लगा और महोदय, सरकार ने क्योंकि जो मृतक होते हैं वे तो तत्क्षण परिवार पीड़ित रहता है, दर्दनाक मर्माहत स्थिति में रहता है तो उनको फिर इंश्योरेंस के चक्कर में पड़कर उनको पैसा मिलने में देर न लगे इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो मृतक पीड़ित परिवार है उनको तो हम अपने पैसा तत्काल दे देंगे...

(क्रमशः)

टर्न–10/सुरज/27.03.2023

(क्रमशः)

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : और हम गाड़ी मालिक और इंश्योरेंस वाले क्लेम को फरिया के हमलोग निकाल लेंगे सरकार उनसे बाद में ले लेगी । तो ये जो भी महोदय किया गया था ये सरकार सिर्फ मृतक परिवारों के सहानुभूति में और उनके हित में ही निर्णय ली थी लेकिन इसी बीच में मामला कोर्ट में चला गया है । ये जरूर बात है कि इससे जो स्थगन आदेश न्यायालय का प्राप्त हुआ है इससे दुर्घटना पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलने में तत्काल व्यवधान हुआ है लेकिन सरकार इस पर गंभीर है क्योंकि इसी सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने ही यह व्यवस्था शुरू की थी और मृतक परिवारों को अधिक से अधिक मुआवजा या मदद करने के लिये ही इस योजना को ये नया स्वरूप दिया गया था । लेकिन अब न्यायालय ने इसमें हस्तक्षेप किया है तो हमलोग न्यायालय के माध्यम से भी इसके निष्पादन की व्यवस्था में लगे हैं और तत्काल अगर इसमें दिक्कत होगी तो हमलोग इसका दूसरा रास्ता भी खोज रहे हैं । आपका कहना बिल्कुल सही है, हमलोग इसका रास्ता निकाल रहे हैं ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना है कि राज्य में जो आवेदन नहीं ले रहे हैं जिला स्तर पर परिवहन विभाग या एस0डी0ओ0 के यहां आवेदन लेना था तो हम माननीय मंत्री जी से चाहेंगे कि यह बहुत गंभीर विषय है 5345 डेथ हुआ है इस बीच में 2021 के बाद से लेकर अभी तक । तो उन लोगों का आवेदन नहीं लिया जाना ये कहां तक न्यायसंगत है ? कोर्ट का क्या निर्णय आयेगा ये एक अलग विषय है । पहला तो ये कि आवेदन लेने का निर्देश जारी करने का सरकार विचार रखती है कि नहीं रखती है ? दूसरा कि ये जो पांच लाख देने की बात है पहले की तरह परिवहन विभाग से पांच लाख का चूंकि मामला फंसा ये है कि आप कह

रहे हैं कि इंश्योरेंस से लेंगे और जो डी0एम0 या एस0डी0ओ0 जो दावा निर्धारिण करेंगे उसके आधार पर प्रतिपूर्ति किया जायेगा, लिया जायेगा उसके लिये मामला कोर्ट में गया है । पहले पूरा पैसा चार लाख राज्य सरकार अपने स्तर से भुगतान करती थी । मुख्यमंत्री जी का दिल अगर बड़ा है तो चाहेंगे कि ये मृतक का मामला है उनके परिजनों को राज्य सरकार अपने स्तर से पांच लाख रुपया देने का विचार रखती है कि नहीं रखती है और आवेदन प्राप्त करने का निर्देश जारी करने का विचार रखती है कि नहीं ?

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, सरकार अगर विचार नहीं रखती देने के लिये तो ये प्रावधान क्यों करती । सरकार तो देना ही चाहती है और उसी के लिये तो इसका निदान निकाल रही है और माननीय सदस्य जो कठिनाई बता रहे हैं उसको जरूर देखेंगे और वैसे भी जो मृत्यु होती है उस आवेदन में तीन ही आवश्यक कागजात होते हैं । एक तो यू0डी0 केस जो दर्ज होता है उसकी संख्या और प्राथमिकी का रिपोर्ट चाहिये । दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिये और तीसरा सी0ओ0 जो पी0ओ0 होता है मतलब घटनास्थल जो होता है वह जिस अंचलाधिकारी के क्षेत्राधीन होता है उनका एक प्रतिवेदन चाहिये जो अपर समाहर्त्ता जिला में जाता है । अगर कोई अभी आवेदन नहीं भी दे पा रहे हैं तो सरकार इस बात को जरूर देखेगी कि उनका दावा लैप्स नहीं करे, वह हमलोग देखेंगे ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे जी ।

श्री विजय शंकर दूबे : महोदय, माननीय सदस्य का कॉल अटेंन्सन सामयिक है । अब जब से माननीय उच्च न्यायालय का सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या-3362 में स्टे का आदेश आया। उसके बाद से सरकार ने आवेदन लेना ही बंद कर दिया या सरकार आदेश दी या नहीं दी । महोदय, नये मोटर व्हिकल एक्ट के अंतर्गत माननीय चौधरी जी जो कह रहे थे ए0डी0एम0 को नहीं, नये मोटर व्हिकल एक्ट के अनुसार आवेदन करना है डी0टी0ओ0 को और डी0टी0ओ0 अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी से जो चैनल बताया चौधरी जी ने सही बताया उससे प्रतिवेदन लेकर के इसका निष्पादन, निस्तार कलेक्टर के आदेशानुसार पांच लाख रुपये का भुगतान हो जाता था...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिये ।

श्री विजय शंकर दूबे : लेकिन महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि आवेदन लेना ही सरकार बंद कर दी, वैसी हालात में बेनिफिसयरी की क्या हालत होगी । लगभग 23 सौ लोगों की मौत हुई है महोदय तो उसके परिजन कहां जायेंगे, किस अदालत में जायेंगे ?

सरकार इसमें निदेश जारी करे और माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप संसदीय कार्य मंत्री के अलावे विभाग की भी जानकारी रखते हैं । सरकार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को निदेश जारी करे डी0टी0ओ0 को कि आवेदन लेकर संकलित करे, जांच-पड़ताल होती रहे चूंकि लाभुक को, कोई विधवा हो गयी, वह विधवा कहां जायेगी ? रिलिफ चाहिये महोदय मैं आसन से यह निवेदन कर रहा हूं कि...

अध्यक्ष : जो पूरक है वह पूछें ।

श्री विजय शंकर दूबे : जी महोदय पूरक ये है कि माननीय चौधरी जी बता दें कि सरकार निदेश जारी कब तक करेगी आवेदन लेने का ?

अध्यक्ष : माननीय संसदीय कार्य मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, जो बातें इन्होंने कही है सच पूछते हैं तो उसके संबंध में हम पहले ही बता चुके हैं कि अभी आवेदन देने में दिक्कत हो रही है । इसके निदान-निवारण की व्यवस्था सरकार कर रही है और दूसरा हमने यह भी कहा कि इस बीच में कोई पीड़ित परिवार अगर कठिनाईवश आवेदन नहीं कर पाया है तो उनका क्लेम लैप्स नहीं कर जाय उसको भी सरकार देखेगी हमने ये भी कहा । तीसरी बात, जो उन्होंने कहा डी0टी0ओ0 कार्यालय में ऑनलाइन अप्लाई करते हैं । हमने अप्लाई कहां करना है ये बात तो कही नहीं थी । जो बात आपने कही कि डी0टी0ओ0 कार्यालय में आवेदन करने के बाद वह अंचलाधिकारी के और बी0डी0ओ0 के कार्यालय से प्रतिवेदन मांगते हैं । हमने तो सिर्फ ये कहा था तीन तरह के कागजातों की जरूरत होती है । पहला जो एफ0आई0आर0 प्राथमिकी दर्ज होती है यू0डी0 केस और नेचुरल डेथ केस का । दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होता है । तीसरा, अंचलाधिकारी का प्रतिवेदन जो होता है वही बात उन्होंने भी कही । हमने तो ये नहीं कहा था कि उनको आवेदन अंचलाधिकारी के यहां देना पड़ता है। आवेदन तो जहां डालना है, वहां डालना है और मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि जो भी इस बीच में मृतक परिवार हैं अगर आवेदन करने में कहीं दिक्कत हो रही है तो ये तीनों कागजात जो हमने कहा वह अवश्य कर लें और सरकार जरूर जो माननीय सदस्य दूबे जी ने कहा है ये परिवहन विभाग को जरूर कहा जायेगा कि आप इसको देखकर इसकी पहल करिये ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी जी, भूमिका में नहीं ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, हम बैठ जाते हैं प्रणाम करते हैं । मेरा साइन था अध्यक्ष महोदय हमको नहीं बुलवाया गया, दूबे जी को बुलवाया गया । हम खड़े हुये थे पहले से ही...

अध्यक्ष : फिर कंट्रोवर्सी में जा रहे हैं, कहिये न, पूछिये, पूछिये ।

श्री संजय सरावगी : आपका व्यवहार हमलोग...

अध्यक्ष : आपको खड़ा करा दिये, आप पूछिये ।

श्री संजय सरावगी : मेरा साइन है अध्यक्ष महोदय । पहले यह बोलते हैं कि कंट्रोवर्सी में जा रहे हैं, बताइये न अध्यक्ष महोदय । नहीं बोलें हमलोग अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : आपको जितना...

श्री संजय सरावगी : मेरा साइन था अध्यक्ष महोदय इसमें पहले ।

अध्यक्ष : तो हम कहां कह रहे हैं कि आपका साइन नहीं है, आप पूछिये ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : समय की कमी है उसमें पूछियेगा तो अच्छा रहेगा ।

श्री विजय शंकर दूबे : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य तीसरी बार जीतकर आये हैं । आसन पर टीका-टिप्पणी और आसन के व्यवहार की बात आप नहीं कह सकते हैं और टीका-टिप्पणी करना वर्जित है...

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं आसन पर टिका-टिप्पणी नहीं कर रहा हूं । दूबे जी भी वरिष्ठ लोग हैं...

अध्यक्ष : असल बात है इन्हें थोड़ा ज्यादा मैं समय दे देता हूं...

श्री संजय सरावगी : नहीं, नहीं अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : और इनके बहुत सारे मामले को भी स्वीकार भी कर लेता हूं, यही हमारी गलती है।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, तो सुधार कौन लायेंगे...

अध्यक्ष : हां, ठीक बात है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : माननीय सदस्य सुधार लायेंगे कि आसन सुधार लायेगा ?

अध्यक्ष : बोलिये ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, अधिकांश बातें आ गयी । पहले आपदा से चार लाख रुपया मिलता था और इंश्योरेंस से जो पैसा मिलता था वह अतिरिक्त मिलता था । यह आपदा वाला चार लाख अतिरिक्त मिलता था और जो इंश्योरेंस से मिलता था, वह तो मिलता ही था मृतक के परिजनों को । सरकार ने क्या किया आपदा वाली राशि को बंद कर दिया और जो इंश्योरेंस से पैसा मिलता था, उसमें पहले सरकार पांच लाख दे रही थी और फिर इसकी प्रतिपूर्ति इंश्योरेंस कंपनी से कर रही थी ।

(क्रमशः)

टर्न-11/राहुल/27.03.2023

श्री संजय सरावगी (क्रमशः) : अध्यक्ष महोदय, यह सरकारी आंकड़ा है कि वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना में 8896 मौतें हुई और यह स्टे दिनांक-21.12.2022 में लगा है । वर्ष 2022 में जो 8896 मौतें हुई उसमें से 2000 लोगों को भी वाहन दुर्घटना का

पैसा नहीं मिला, वह परिवहन विभाग की लापरवाही हो या अनुमंडल अधिकारी का विलंब से रिपोर्ट जाना हो...

अध्यक्ष : अब मैं कहूंगा तो यही कहियेगा कि हमको रोक रहे हैं, इसको भाषण के रूप में नहीं आप पूरक पूछिये ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो पूरक हैं एक तो दिनांक-21.12.2022 को स्टे लगा तो उसके पहले जिनकी दुर्घटना में मौत हुई है तो क्या सरकार उनको पांच लाख की प्रतिपूर्ति की राशि देगी और दूसरा महोदय यह बहुत गंभीर विषय था सब लोग मान रहे हैं कि दिनांक-21.12.2022 को न्यायालय ने जो स्टे किया तो इस तीन महीने में न्यायालय में परिवहन विभाग ने क्या-क्या अपील की, क्या प्रयास किया कि वह स्टे हट जाय यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। सभी लोग जान रहे हैं यह बहुत गंभीर विषय हैं..

अध्यक्ष : मतलब दो पूरक आपने पूछे हैं ।

श्री संजय सरावगी : जी अभी ये दो हैं महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने तो कहा है कि सरकार प्रयत्नशील है न्यायालय द्वारा यह जो स्थगन आदेश है उसको भी वैकेट कराने के लिए और जो प्रयास की बात है तो सरकार प्रयास में क्या करती है, माननीय न्यायालय से अनुरोध करती है और क्या करती है । हम लोगों ने अनुरोध किया है और जहां तक ये पिछले आंकड़े बता रहे हैं हम तो कह रहे हैं कि इस बीच में थोड़ा व्यवधान हो रहा है लेकिन मृतकों के आश्रितों को मुआवजा या उनको मदद देने की जहां तक बात है उससे कोई वंचित नहीं रहे सरकार इसको देख रही है ।

श्री संतोष कुमार मिश्रा : महोदय, मेरा भी पूरक है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री संतोष कुमार मिश्रा ।

श्री संतोष कुमार मिश्रा : महोदय, मेरा पूरक यह है कि मेरे पास माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश आया है उसकी भी कॉपी है । दो चीजें हैं, जो बातें आ रही हैं उससे सरकार इसके प्रति संवेदनशील तो दिख रही है लेकिन जैसा कि सभी लोगों द्वारा बताया गया कि आवेदन नहीं लिये जा रहे हैं तो आवेदन इसलिए भी लिये जाने चाहिए महोदय, चूंकि 6 महीने का ही प्रावधान है मोटर व्हीकल एक्ट के तहत । मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 कहता है कि 6 महीने तक ही आवेदन दे सकते हैं तो क्या सरकार यह विचार रखती है, परिवहन विभाग/परिवहन मुख्यालय को निर्देशित करेगी कि वह 6 महीने से बढ़ा दी जाय और दूसरी चीज महोदय सरकार की संवेदनशीलता तो यहां इस आदेश में भी जाहिर होती है मैं कोट करना चाहता हूं,

अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि एक जहानाबाद का मामला था महोदय, District Transport Officer Jehanabad-cum-District Transport Officer, Head Quarter, on behalf of Respondent No. 2, namely, the Secretary, Transport Department, Bihar, Patna. It appears महोदय, चीफ जस्टिस ने यह कोट किया है कि It appears that "some proposal" is under consideration and is likely to be placed before the Cabinet for approval. जब कोर्ट ने यह Remark दिया है कि As such, time is sought for, enabling the Government to take appropriate action. इसका मतलब जो चीफ जस्टिस हैं वे खुद कह रहे हैं, सरकार को ये मौका दे रहे हैं कि यह जो आया है रेणु देवी द्वारा 3362 में तो सरकार क्यों नहीं इस आदेश को वैकेट करने के लिए...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री संतोष कुमार मिश्रा : वही पूछ रहा हूं महोदय । एक तो समय-सीमा, छः महीने की जो समय-सीमा है क्या उस पर चूंकि अभी स्थगन आदेश आया हुआ है तो सरकार उसपर निर्देशित करने का...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री संतोष कुमार मिश्रा : और दूसरा ये कि जब...

अध्यक्ष : अब मंत्री जी खड़े हो गये हैं ।

श्री संतोष कुमार मिश्रा : जब वैकेट करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय खुद ही प्रेरित कर रहा है तो क्यों नहीं सरकार उसको वैकट करने का अनुरोध करती है...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण किया जाय ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, इसमें भी बात पुरानी ही है जिन बातों की चर्चा हो गयी । उन्होंने जो कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि सरकार किसी के कहने से कुछ कर रही है । यह योजना दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को मदद करने की सरकार ने किसी के कहने से नहीं बनायी है और आपने जो आदेश पढ़ा है उसमें भी कोर्ट ने उसी बात का जिक्र किया है जो सरकार ने कोर्ट को सूचित किया है कि हम लोग इस पर अलग से निर्णय ले रहे हैं, कोर्ट ने सिर्फ इतना ही कहा है कि आपने जो सूचित किया है ये निर्णय ले लीजिये और महोदय हम सदन को यही बताना चाह रहे हैं और यही हमने कहा है कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार से विचार कर रही है चूंकि सरकार का यह अपनी नीति के संरक्षण का मामला है । हमने जो नीति बनायी है पीड़ितों को मदद करने की वह नीति हमारी चलती रहे और पीड़ित परिवारों को मदद मिलती रहे । इसलिए सरकार स्वयं इस पर गंभीर है और हम लोग निर्णय लेंगे ।

श्री संतोष कुमार मिश्रा : महोदय, सरकार को तो कह ही रहा है कोर्ट, चीफ जस्टिस ने खुद कहा है तो आप जितनी जल्दी से जल्दी इसको वैकेट करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष अपना प्रतिवेदित करेंगे उतनी ही जल्दी यह निर्णय आ जायेगा...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य को यह फर्क समझना चाहिए कि उसमें सरकार ने जो कोर्ट को सूचना दी है उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि आपके यहां कैबिनेट में मामला जाने वाला है इसलिए इस पर निर्णय ले लीजिये । अब कौन मामला कैबिनेट में जा रहा है यह सूचना कोर्ट को कहां से मिलेगी । आप इतना नहीं समझते हैं कि यह सरकार उनको सूचना देगी तभी तो कोर्ट को मालूम है कि कैबिनेट में मामला जाने वाला है यह ऐसे कैसे मामला जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मिश्रा जी स्थान ग्रहण कीजिये ।

माननीय शिक्षा मंत्री जी सदन में आ गये हैं राजीव कुमार जी और अन्य जो हस्ताक्षरी हैं उनके ध्यानाकर्षण का जवाब देना चाहते हैं । माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

सर्वश्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव, पंकज कुमार मिश्र एवं अन्य पांच सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (शिक्षा विभाग) का वक्तव्य ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा दी गयी ध्यानाकर्षण सूचना के संदर्भ में कहना है कि मध्याह्न भोजन योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है । भारत सरकार द्वारा रसोईया-सह-सहायक को एक हजार रुपया प्रतिमाह की दर से मानदेय निर्धारित किया गया है । इसमें केन्द्रांश की राशि 600 रुपये मात्र एवं संगत राज्यांश की राशि 400 रुपया है । भारत सरकार के दिशानिर्देश के आलोक में रसोईया-सह-सहायक का कार्य अंशकालीन माना गया है इस हेतु रसोईया-सह-सहायक को एक हजार रुपया प्रतिमाह मानदेय देने का प्रावधान है । अतः रसोईया-सह-सहायकों को चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है । राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त राज्य योजना मद से 650 रुपया राज्य भत्ता के रूप में रसोईया-सह-सहायक के मानदेय में अतिरिक्त वृद्धि की गयी है । इस प्रकार रसोईया-सह-सहायक को वर्तमान में प्रतिमाह कुल 1650 रुपया मासिक मानदेय के रूप में भुगतान किया जाता है महोदय । महोदय, यह योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है, केन्द्रांश की बढ़ोतरी के लिए केन्द्र सरकार को पत्रांक-395, दिनांक-05.03.2018 फिर पुनः पत्रांक-217, दिनांक-31.01.2019, फिर पत्रांक-2695, दिनांक-22.11.2019 एवं पत्रांक-54, दिनांक-06.01.2023 द्वारा

अनुरोध किया गया है । केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रांश की राशि मद में राशि बढ़ोतरी में राज्य सरकार संगत राज्यांश देने हेतु प्रतिबद्ध है ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, उत्तर हम लोगों ने भी पढ़ा है और हम लोग कहते हैं कि हमारी सरकार न्याय के साथ विकास पर काम कर रही है...

अध्यक्ष : माननीय ललित बाबू, माननीय मंत्री जी तेजप्रताप बाबू आप थोड़े इधर आ जाइये ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार कहती है कि न्याय के साथ विकास कर रहे हैं और सुनवाई और कार्रवाई की सरकार है । अध्यक्ष महोदय, 1650 रुपये मानदेय है जिसमें 400 रुपये बिहार सरकार और 600 रुपये केन्द्र सरकार देती है । बिहार सरकार 650 रुपया अतिरिक्त पैसा देती है, प्रतिदिन 55 रुपये मजदूरी, दूसरी बात है इसमें कहा गया है कि पार्ट टाईम वर्क है । स्कूल खुलता है टीचर के आने से पहले वहां पर रसोईया पहुंचती है और टीचर के जाने के बाद रसोईया जाती है और सभी गरीब घर की महिलायें हैं । अध्यक्ष महोदय, हमने देखा है इसी देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष, गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी जब रेल मंत्री थे तो बोझ उठाने वाले कुली पर उनकी नजर पड़ी तो पद सृजित करके भारत के कुलियों को चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का दर्जा दिये, चौकीदार भी अनुबंध पर था, इसी राज्य में चौकीदार को भी चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का दर्जा दिया गया । ऐसे भी हमलोग जानते हैं कि केन्द्र सरकार गरीब विरोधी है...

श्री पवन कुमार जायसवाल : ऐसे नहीं बोलिए ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : आप मेरी बात सुन लीजिए, अभी नहीं बोलिये ।

(व्यवधान)

तीन-तीन बार, चार-चार बार सरकार ने डिमांड की है, सरकार ने डिमांड की है वर्ष 2019 में , 2022 में और 2023 में डिमांड की है । मनरेगा भी केन्द्र प्रायोजित योजना है और 28 फरवरी को अभी लेटेस्ट में 228 रुपया न्यूनतम मजदूरी तय की गई है और 228 रुपये अगर न्यूनतम मजदूरी भी हम उस गरीब महिला को देते हैं तो 6,840 रुपया होता है । क्या सरकार उन गरीब महिलाओं को चतुर्थवर्गीय कर्मचारी दर्जा न देकर न्यूनतम मजदूरी भी दे सकती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग । माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य ने बड़ी गंभीरता से प्रश्न किया है ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : महोदय, यह केन्द्र प्रायोजित योजना है जैसाकि सरकार के वक्तव्य में स्पष्ट हुआ है और यह बात भी सच है कि केन्द्र सरकार को चार-चार पत्र से स्मारित किया गया है तो जो साहब लोगों की सरकार है, कॉरपोरेट मित्रों के हाथ में देश लुटाने में लगी हुई है, मगर इधर गरीबों पर कोई ध्यान नहीं है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार को राशि देने से थोड़े ही रोका है ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : महोदय, जो अपने कॉरपोरेट मित्रों के हाथों में सब देने में लगी हुई है तो सरकार, राज्य सरकार को देना नहीं चाह रही है । महोदय, यह केन्द्र प्रायोजित योजना है, जरा कुछ गरीबों के लिए उधर से निकाल लीजिए साहब लोग तो कुछ समझ में आये । अभी यह बात स्पष्ट है कि जब केन्द्र प्रायोजित योजना है तो सरकार अपना राज्यांश देगी, अभी सरकार का जो वक्तव्य का पार्ट है कि चतुर्थवर्गीय कर्मचारी घोषणा करने के लिए तो सरकार नहीं कर रही है और माननीय सदस्य से फिर जो हमारे सामने बैठे हुए साहब लोग हैं जरा विशेष राज्य तो गया, स्पेशल पैकेज भी गया तो गरीबों के लिए कुछ उधर से ले आइये ।

श्री राजीव कुमार उर्फ मुन्ना यादव : अध्यक्ष महोदय, ऐसे भी तो 2 करोड़ नौकरी की बात गई, ये लोग जुमला-उमला कह दिये, 15 लाख रुपया को जुमला कह दिये । यह पूरा देश जानता है कि जुमलेवालों की सरकार है, इसका काम केवल डरा-धमकाकर देश को हथियाना उससे ज्यादा कुछ नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं इतना जानना चाहता हूं कि 534 प्रखंड हमारे बिहार में हैं अभी तक लगभग 4 लाख महिलायें हमारे घर की बहू, बेटियां जो गरीब घर की हैं वे इसमें काम कर रही हैं और हम कहते हैं कि दस लाख नौकरियां, दस लाख रोजगार देंगे तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस गरीब घर की महिला का पद सृजित करके दस लाख नौकरी में इसको समायोजित किया जायेगा ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : महोदय, दिखवा लेंगे जो नियमानुकूल जो भी होगा उसको दिखवा लेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने कहा है दिखवा लेंगे ।

अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-12/मुकुल/27.02.2023

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हमने आप आपको दिया था । महोदय, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-105 के तहत अल्प अवधि के लिए अविलंबनीय अति लोक महत्व के विषय पर चर्चा कराये जाने संबंधित सूचना सचिव को विधिवत मैंने आज दी है । आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगातार हमले हो रहे हैं, लोग उद्वेलित हैं इसलिए विनियोग विधेयक के बाद आज ही इस पर चर्चा कराये जाने का हम आपसे आग्रह करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह विधायी कार्य लिया जा रहा है, इसलिए आपने जो सूचना दी है उसको हमलोगों ने सुन लिया है । अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

श्री अजय कुमार : अध्यक्ष महोदय, विधायी कार्य के बाद जब समय बच जाये तो इस पर चर्चा की जाय ।

अध्यक्ष : अभी विधायी कार्य को किया जाय, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है ।

श्री अजय कुमार : ठीक है, अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : यह विनियोग विधेयक है, महत्वपूर्ण है ।

श्री अजीत शर्मा : अध्यक्ष महोदय, वह भी महत्वपूर्ण है ।

अध्यक्ष : वह महत्वपूर्ण है लेकिन इसको नहीं कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा ।

श्री अजीत शर्मा : ठीक है, अध्यक्ष महोदय । इसको करने के बाद, कर लिया जाय ।

विधायी कार्य

राजकीय (वित्तीय) विधेयक

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं इसे पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न है कि

''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023 पर विचार हो''

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक के अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न है कि

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न है कि

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

स्वीकृति का प्रस्ताव

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023 स्वीकृत हो ।''

महोदय, इस पर कोई दूसरे माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं या हम ही बोल लें ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी इस पर बोलना चाहते हैं ।

श्री जीतन राम मांझी : माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा लाया हुआ विनियोग विधेयक (संख्या-2) जो स्वीकृति के लिए आज सदन में पेश किया गया है हम उसके समर्थन में खड़ा हैं । महोदय, हम इसका समर्थन इसलिए करते हैं कि सारे विभागों का बजट पास हुआ है और सिर्फ पास होने से नहीं होता है, विनियोग विधेयक के माध्यम से पैसा निकालने की अनुमति ली जाती है और जब तक अनुमति नहीं मिलेगी तब तक हम एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकते हैं । इसलिए बिहार सरकार जो आज विकास के कार्यक्रम में एक मानदंड कायम किया है उसको और आगे बढ़ाने के लिए इस विधेयक के माध्यम से पैसा सरकार को दिया जाना चाहिए और हम समझते हैं कि समूचा सदन इस बात के लिए जरूर सोचेंगे कि विनियोग विधेयक (संख्या-2) को हमलोग स्वीकृति दें । महोदय, कहना नहीं चाहिए आज नीतीश कुमार जी की सरकार इतने वर्षों में जो काम कर रही है, हम समझते हैं जैसा पहले मैंने कहा कि एक मानदंड कायम किया है और डॉ0 श्रीकृष्ण सिंह के बाद ऐसा कोई मुख्यमंत्री यहां नहीं हुये जो इस बिहार के लिए इतना सुंदर काम, सभी वर्गों के लिए जो काम किया हो वह नीतीश जी कर रहे हैं । माननीय एक सदस्य ने कहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने चाहे जीविका के माध्यम से, चाहे जल-जीवन-हरियाली के माध्यम से, सात निश्चय के माध्यम से या अन्य आयामों के माध्यम से जो बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है इसके लिए सचमुच में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं । हम भी सहमत हैं कि जितना अच्छा काम हुआ है उसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, क्योंकि जिस राज्य को बीमारू राज्य कहा जाता था, जिस राज्य का हर तरह से नाम लेना लोग उचित नहीं समझते थे आज बिहार के लोग बाहर जाकर शान के साथ कहते हैं कि हम बिहारी हैं । महोदय,

इसलिए इस विधेयक को तो पास करना ही चाहिए । महोदय, इसके साथ हम कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान नहीं गया है या लोग दिलाने का काम किये हैं तो हम आज विमर्श के माध्यम से, इस स्वीकृति के माध्यम से हम आपसे कुछ अनुरोध करना चाहते हैं कि सरकार अगर और इन पर ध्यान दे तो निश्चित रूप में बिहार के लिए यह स्वर्णिम युग के रूप में कायम होगा और बिहार का यह कार्यकाल लोग सब दिन याद रखेंगे कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितना अच्छा काम किये थे । अध्यक्ष महोदय, तो इस संबंध में हम विशेष बात यह कहना चाहते हैं कि आप जानते हैं कि शिड्यूल कास्ट/शिड्यूल ट्राइब्स के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है और आरक्षण की बात होती है लेकिन हम कह रहे हैं कि इसमें भारत सरकार अभी जिस-जिस रूप में काम कर रही है कि हमारा आरक्षण का जो क्वांटम है अपने आप खत्म हो रहा है । वह कैसे, चाहे रेलवे हो, चाहे जहाज हो, चाहे फाइनेंस कम्पनियां हों, चाहे और सब जगहों को जिसमें हर चीज को प्राइवेट सेक्टर में लाया जा रहा है और जब तक प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं देंगे तो कहने का मतलब कि बाबा भीम राव अम्बेदकर साहब ने आरक्षण के लिए हमको जो मौका दिया था वह आरक्षण अपने आप समाप्त हो रहा है ।

(क्रमशः)

टर्न-13/यानपति/27.03.2023

श्री जीतन राम मांझी (क्रमशः): तो वैसी परिस्थिति में हम बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहेंगे कि पहले था, 10-20 वर्ष पहले था बिहार में एक आरक्षण आयुक्त हुआ करते थे और आरक्षण आयुक्त देखते थे कि कहां किस विभाग में आरक्षण कितना है या नहीं है और उसके आलोक में आरक्षण की बात की जाती थी, नियुक्तियां होती थीं और इधर 10-20 वर्षों में आरक्षण आयुक्त का जो पद है उसको विलोपित कर दिया गया है । महोदय, शेड्यूल कास्ट/शेड्यूल ट्राइब और अन्य आरक्षित वर्गों के हित में हम कहना चाहेंगे कि आरक्षण आयुक्त की बहाली पुनः की जाय ताकि आरक्षण का लाभ सबलोगों को मिले । यह हम आज इस विधेयक में स्वीकृति के माध्यम से कहना चाहते हैं महोदय और दूसरी बात, एक हम कहना चाहते हैं महोदय कि छात्र-छात्राओं को पोस्ट ग्रेजुएट के बाद और उसके पहले भी 2014 में और 2015 में किसी जाति की, किसी धर्म की बच्चियां होती थीं उनको हमलोग फ्री एजुकेशन देते थे और बहुत सी छात्र-छात्राएं

पढ़ने लग गई थीं और उनको यह सुविधा होती थी लेकिन आज जो नियम है लेकिन कॉलेज और विश्वविद्यालय को, यूनिवर्सिटी को उसके लिए जो डेफिसिट ग्रांट है नहीं मिलता है जिसके चलते छात्राएं हमलोगों के पास भी आती हैं जो गरीब छात्राएं हैं, वह, आपके कही बात के अनुसार तो किसी तरह से पढ़ाई कंप्लीट कर लिया लेकिन अब इतना लाख रुपया बकाया हो गया है, हमलोगों का सर्टिफिकेट जब्त है तो महोदय हम कहना चाहेंगे नारी सशक्तीकरण का साल मनाया गया, आज विश्व में नारियों के लिए जो महत्व है और खुद नीतीश कुमार जी भी नारियों के लिए बहुत अव्वल काम किए हैं, चाहे साइकिल का मामला हो, पोशाक का मामला हो या संवर्द्धन का मामला हो तो हम समझते हैं कि शिक्षा के जगत में भी माननीय मुख्यमंत्री जी एक कदम आगे बढ़कर ऐसा करें कि जो 2014-15 में नियम लागू हुआ था कि छात्राओं के लिए हम मुफ्त एजुकेशन देंगे पोस्ट ग्रेजुएट तक का, चाहे वोकेशनल एजुकेशन हो या साधारण एजुकेशन हो उसको कायम कर दें तो हम समझते हैं कि बिहार आगे और प्रगति करेगा और हमारा जो नारी समाज है उसको और विकास करने का मौका मिलेगा, महोदय मैं यह कहना चाहता हूं । दूसरी बात महोदय, आज बिहार में या कहीं भी जो जातीय संघर्ष होता है या किसी प्रकार की बात होती है उसमें भूमि संबंधी मामला बहुत ज्यादा हुआ करता है तो भूमि संबंधी मामले पर भी हम बिहार सरकार को सजेस्ट करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि उसमें सुधार लाने की कुछ आवश्यकता है और जबतक भूमि सुधार में सक्रिय होकर काम नहीं किया जाएगा तबतक बहुत से लोग जो गरीब तबके के लोग हैं अंधेरे में हैं और आगे नहीं बढ़ सकते हैं । उसमें हम यही कहना चाहते हैं कि चाहे भूदान की जमीन हो या अधिशेष भूमि हो या फिर सरकार की जमीन हो जिसका पैमाना निर्गत नहीं किया गया है वह निर्गत किया जाय । आज हजारों एकड़ जमीन ऐसी है, पड़ी हुई है जहां इन तीनों प्रकार की जमीन पर किसी दूसरे लोग का कब्जा है और उसका पैमाना इशू नहीं हुआ है । महोदय, हम कहना चाहते हैं 2015 में एक निर्णय लिया गया था कि 2015 जून तक, व्यास जी थे सेक्रेटरी और कहा गया था, इस प्रकार की जितनी जमीनें हैं उसका एक मुआयना कर लिया जाय और कितने लोग भूमिहीन हैं उसको भी देख लिया जाय और एक बनाकर के, टीम बनाकर के, अभियान चलाकर के उनलोगों का उसपर दखल दिलाया जाय इसलिए अभियान दखल-देहानी चला था, अगर वह कंप्लीट हो जाता तो आज बिहार में कोई भी आदमी भूमिहीन नहीं होता, सबके पास भूमि होती और जो गैर मजरूआ जमीन है और बिहार सरकार की जमीन है या भूदान की जमीन है उसपर किसी का कब्जा नहीं होता । महोदय, इसमें दो-तीन प्रकार की बातें आती हैं, एक तो है कि जो

पैमाना निर्गत हुआ भी है उसका खतियान कायम नहीं हुआ है और दूसरा खतियान कायम हुआ भी है तो उसपर किसी दूसरे का कब्जा है महोदय । तो वैसी परिस्थिति में हम समझते हैं कि कब्जा हटाकर के जिनके नाम पर खतियान दिया गया है, रसीद कट रही है, लेकर के घूम रहे हैं और उसका कब्जा नहीं बन पा रहा है तो यह भी अभियान चलाकर के, चूंकि गरीबों के लिए यह सरकार कटिबद्ध है और हम देखते हैं कुछ भू माफिया लोग हैं जो पार्टिकुलर टाइप के लोग हैं चाहे उत्तरी बिहार में हों, दक्षिणी बिहार में हों, सौ-सौ एकड़, याद होगा महोदय आपको खगड़िया में एक सहसिया गांव है वहां 700 एकड़ जमीन भूदान की थी, दो ग्रुप आपस में लड़ गए थे, 80 घर मुसहरों का जला दिया गया था इसी संदर्भ में, हम समझते हैं अगर उस जमीन का बंटवारा हो गया होता तो वहां कम से कम 80-85 घर जो भूमिहीन मुसहर परिवार के लोग थे, गरीब परिवार के लोग थे वह सब खेतीबाड़ी से युक्त हो जाते और किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होता इसीलिए महोदय, हम कहना चाहते हैं कि जमीन पर कब्जा कराया जाय । और दूसरी बात महोदय, 2015 में भी यह बात आई थी और आज उसकी नकल झारखंड सरकार कर रही है कि जिसके पास जमीन नहीं है, हम एक एकड़ जमीन खरीदकर के देंगे, मार्केट रेट से खरीदकर के देंगे और उनको खेती करने लायक सारा सामान देंगे, यह काम अगर होता तो हम समझते हैं कि बिहार के गरीबों को बहुत फायदा होता, आज वैसा नहीं हो रहा है और इसी के चलते पलायन होता है, बाहर चले जाते हैं महोदय । इसलिए हम कहना चाहते हैं कि, और वह जो नीति बनी थी उस नीति को पुनः रिवाइव करने की जरूरत है और लोगों को खेत खरीद कर देने की जरूरत है ऐसा मैं समझता हूं महोदय और उसी समय, आज सरकार बहुत उदारतापूर्वक सब जगह दे रही है जमीन रहने के लिए 3 डिस्मिल, 3 डिस्मिल जमीन से काम नहीं होता है महोदय, 5 डिस्मिल जमीन लेने का निर्णय लिया गया था वह निर्णय रद नहीं हुआ है । आज होना चाहिए कि 5 डिस्मिल जमीन दिया जाय, 3 डिस्मिल जमीन में रहने लायक कुछ नहीं हो सकता है और दूसरी बात कि उस समय कहा गया 60 हजार रुपया देते हैं 3 डिस्मिल के लिए, हम समझते हैं कि आज मार्केट में 60 हजार रुपया में 3 डिस्मिल जमीन नहीं हो पाती है इसलिए उसको सीधे कर दिया जाय कि हम मार्केट रेट से जमीन खरीदकर के देंगे और 5 डिस्मिल जमीन देंगे तब लोगों को घर हो सकता है, आवास का हो सकता है । महोदय, यह कम से कम जो नीति बनी थी उसको लागू करना चाहिए महोदय ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य अब आप समाप्त कीजिए ।

श्री जीतन राम मांझी: महोदय, एक मिनट, और दूसरी बात कि विकास मित्र, शिक्षा सेवक, तालिमी मरकज इन सब के बारे में अभी बहुत से प्रश्न यहां आए हैं उस प्रश्न में भी देखा गया है कि उसका सरकारीकरण या वेतनमान की बात करते थे, हम भी कहना चाहते हैं कि विकास मित्र को 25 हजार रुपया और तालिमी मरकज और शिक्षा सेवक को 20 हजार रुपया ऐटलीस्ट दिया जाय महोदय, यह मैं कहना चाहता हूं ।

अध्यक्ष: जी अब स्थान ग्रहण किया जाय ।

श्री जीतन राम मांझी: महोदय, एक मिनट और, ज्यादा हम तो बोलते नहीं हैं और यह बहुत आवश्यक है कि जैसे छात्र-छात्राओं को उस समय हमलोग मुफ्त शिक्षा की बात कह रहे थे तो हम पुन: दुहराना चाहते हैं महोदय कि इतना आवश्यक है कि निश्चित रूप में उनको शिक्षा मुफ्त में देना चाहिए और महोदय, एक चीज और है कि शेड्यूल कास्ट/शेड्यूल ट्राइब ऐक्ट है और उसपर बहुत सी भ्रांतियां आ गई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव दिया था उसके आधार पर पार्लियामेंट में बात आई कि नहीं जैसे 1989 में जैसा ऐक्ट बना था उसी के रूप में रहेगा लेकिन आज हो रहा है क्या कि उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसी के आधार पर आज बेल दे दिया जा रहा है और उसमें बहुत ऐक्शन नहीं हो रहा है । इसलिए महोदय, हम कहना चाहते हैं कि बिहार में पहले था कि विशेष पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे शेड्यूल कास्ट/शेड्यूल ट्राइब ऐक्ट के लिए आज नहीं हैं ।

(क्रमश:)

टर्न-14/अंजली/27.03.2023

श्री जीतन राम मांझी (क्रमश:) : महोदय, बिहार सरकार से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि विशेष पुलिस अधीक्षक शेड्यूल कास्ट/शेड्यूल ट्राइब एक्ट को देखना चाहिए और..

अध्यक्ष : अब स्थान ग्रहण किया जाय ।

श्री जीतन राम मांझी : एक मिनट और महोदय । महोदय, और एस0सी0/एस0टी0 की जो महिला की बात कर रहे हैं पहले था, 155 या 160 सेंटीमीटर की बात, शेड्यूल कास्ट/शेड्यूल ट्राइब में कद छोटा होता है इसलिए हम अनुरोध करना चाहते हैं कि उसको 152 सेंटीमीटर ही रखा जाय ताकि उनकी बहाली हो सके और वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन और लक्ष्मीबाई पेंशन की जो योजना चली है, दो-चार सौ रुपया में कुछ नहीं होता है । अगल-बगल के राज्यों में पंद्रह सौ, दो हजार, पच्चीस

सौ रुपया मिलता है, बिहार में भी कम से कम दो हजार पेंशन इन लोगों के लिए कर दिया जाय यह हम कहना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : अब स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री जीतन राम मांझी : महोदय, और जो दिव्यांग लोग हैं, यहां सर्वे नहीं हुआ है, लाखों-लाख है, लगता है 25-30 लाख दिव्यांग हैं, उनके लिए एक आयोग बने, उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की जाय ।

अध्यक्ष : जी, स्थान ग्रहण किया जाय ।

श्री जीतन राम मांझी : महोदय, और फिर अभी-अभी चर्चा चल रही थी रसोइया के बारे में, रसोइया में कोई बड़ा नहीं होता, सब छोटे घर के लोग होते हैं, लाखों लोग लगे हुए हैं, सरकार का नियम है कि हम इतना लाख नौकरी देंगे, नौकरी तो नहीं, न्यूनतम वेतन तो दे दिया जाय, जिससे कि उन लोगों का काम हो सके । बस बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, बहुत समय आपने दिया । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, विगत दो मार्च से सदन में बजट पर विमर्श हो रहा है, मांग पर वाद-विवाद भी हुआ है और मांगें सदन से पारित हुई हैं । आज स्वीकृति प्रस्ताव पर अगर कोई सदस्य कुछ संक्षिप्त में बोलना चाहते हैं तो अपनी बात रख सकते हैं । माननीय सदस्य श्री जनक सिंह जी । आप बोलिए, नाम पुकार दिया हूं आप बोलिए ।

श्री जनक सिंह : महोदय, लिस्ट भेज दिये हैं, माननीय और लोग हैं ।

अध्यक्ष : आप बोलिए, भेज दिये हैं लिस्ट तो होगा, आप नहीं बोलेंगे ?

श्री जनक सिंह : महोदय, सीरियल बना हुआ है ।

अध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य श्री नीरज कुमार सिंह ।

श्री नीरज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर हमें बोलने का मौका दिया आपने इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, अपने नेता प्रतिपक्ष का भी और सचेतक महोदय का भी आभार व्यक्त करते हैं । साथ ही साथ अपने क्षेत्र की जनता का जिन्होंने हमें लगातार पांचवीं बार विधान सभा में भेजने का काम किया मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं । महोदय, मैं बोलने से पहले एक शायरी के साथ शुरू करना चाहता हूं -

''मेरी कलम मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है,
कि मैं इश्क भी लिखना चाहूं, तो इंकलाब लिखा जाता है ।''

महोदय, मैं यह शायर इसलिए कहा हूं कि मैं वर्ष 2005 से लगातार विधायक हूं । जिस समय से माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री हुए हैं मैं उनके साथ लगातार हूं और एन0डी0ए0 की सरकार बनी थी और एन0डी0ए0 की सरकार में निश्चित रूप

से काफी बेहतर काम हुए, सुशासन भी स्थापित हुए निश्चित रूप से, इसमें कहीं कोई दो राय है लेकिन जब-जब गठबंधन बदलता है तो पूरे राज्य का क्या माहौल होता है वह हमें बताने की मजबूरी है और हम बताएंगे हीं और लोगों को निश्चित रूप से हम मानते हैं कि जो विरोधी सदस्य जो आज सत्ता पक्ष में बैठे हैं उनको कहीं न कहीं दिल पर लगेगी, तितकी लगेगी । महोदय, मैं अपनी बात पढ़ना चाहता हूं । महोदय, विनियोग विधेयक स्वीकृत करने हेतु सरकार ने सदन में प्रस्ताव रखा है । महोदय, मोटा-मोटी विनियोग विधेयक का अर्थ यही होता है कि विधायिका, कार्यपालिका को खजाने की चाभी सौंप दें और खजाने से व्यय करने की अनुमति दे । महोदय, यह सवाल है कि ये अनुमति किसको दें । महोदय, हम अनुमति देते हैं खर्च करने के लिए लेकिन महोदय, एक कहावत है कि-

''क्या बिल्ली को दूध की रक्षा करने दिया जा सकता है,
क्या लूटेरे को खजाने की चाभी सौंपी जा सकती है ।''

महोदय, हम जानते हैं कि इनके पास बहुमत है जिसके कारण ये खजाने को लूटने में सक्षम हैं । महोदय, हम आज वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक आय-व्यय के ऊर्जा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग सहित सभी विभागों के विनियोग विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं । यदि हम शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास विभाग के कार्य को देखें तो यह निराशाजनक है । महोदय, शिक्षा क्षेत्र में प्राथमिक मध्य विद्यालयों का भवन नहीं है, सभी विषयों के शिक्षक नहीं हैं। क्लास में उनकी काफी कमी है । एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूल में पांचवीं क्लास के बच्चे, तीसरी क्लास का पुस्तक नहीं पढ़ पाते हैं । महोदय, शिक्षकों का इतना अभाव है, पिछले दिनों मैं अपने क्षेत्र में कई स्कूलों में गया । मैंने पूछा कि कितने छात्र हैं तो बताया गया कि साढ़े पांच सौ, छह सौ लेकिन पूछा कि शिक्षक कितने हैं तो दो-तीन, तो क्या ये पांच सौ-छह सौ छात्रों को दो-तीन शिक्षक पढ़ा सकते हैं ? महोदय, स्वास्थ्य विभाग के तहत सरकारी अस्पतालों की दुखद स्थिति है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मानक के अनुसार दवा उपलब्ध नहीं है, गंदगी का अंबार लगा है, जिला अस्पतालों में ऑपरेशन थियेटर नहीं है, आई0सी0यू0 की तो बात ही छोड़िये, साठ दिनों में हालात ठीक करने की बात उप मुख्यमंत्री जी बोले थे, क्या फिर इस विभाग को खर्च की अनुमति देकर लोक धन लूट का खेल शुरू किया जाय । महोदय, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जल जीवन हरियाली सहित सभी योजनाओं के लूट का खेल चल रहा है, जीविका दीदी अपना मानदेय बढ़ाने के लिए प्रदर्शन कर रही हैं कोई सुनवाई नहीं हो रही है । स्वच्छता योजना के तहत शौचालय पर बार-बार रुपया उठाया जा

रहा है लेकिन यह योजना अभी तक सफल नहीं हो पा रही है । आवास योजना में अभी भी राज्य में कमीशन ली जा रही है और गरीब-गुरबा लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं । महोदय, क्या फिर इसी लूट के लिए इन्हें धन खर्च करने की अनुमति दी जाय । महोदय, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की बात ही निराली है । महोदय, इस विभाग के अपर मुख्य सचिव पर औपनिवेशिक मानसिकता का नशा ऐसा चढ़ा है कि वे खुले आम बिहारी अस्मिता पर प्रहार कर रहे हैं । साथ ही बिहारी एवं बिहार के पदाधिकारियों को मां-बहन की गाली देते हैं । इनका ध्यान शराबबंदी पर नहीं है । महोदय, ये मुख्यमंत्री जी के चहिते अधिकारी हैं । इन्हीं की कृपा है कि हर जगह, चारों ओर शराब मिल रही है । जहरीले शराब पीने से लोग मर रहे हैं और गरीब लोग पकड़ा रहे हैं महोदय, और उनके संरक्षक आजाद हैं । महोदय, सबसे बड़ी बात है कि शराब पीने से सिर्फ गरीब लोग पकड़ा रहे हैं, महोदय, आपने कहीं भी नहीं देखा होगा कि अमीर लोग शराब पीने में पकड़ाए, अमीर लोग शराब में जेल गए । महोदय, जो शराब की स्थिति है यह काफी दर्दनाक और दुखद है । अभी तक सात लाख से ज्यादा लोग पकड़े गए हैं, पकड़े गए गरीब साहूकार जो कर्ज लेकर केस लड़ते हैं एवं दिन-प्रतिदिन इनका पूरा परिवार अंततः तबाह हो रहा है । महोदय, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2016 से 2021 की अवधि में शराब पीने से मौत की संख्या केवल 23 दिखाई गई है, परंतु अन्य रिपोर्ट में इस अवधि में 20 से अधिक शराबकांड में 200 से ज्यादा व्यक्तियों की मौत हुई है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप संक्षिप्त में बोलें ।

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, बीस मिनट बोलना है हमको । अभी तो पांच मिनट भी नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : पांच मिनट कैसे नहीं हुआ ?

श्री नीरज कुमार सिंह : महोदय, डाटा है थोड़ा उसको रख देते हैं । इंडियन एक्सप्रेस विश्लेषण में सिर्फ 2021 में 9 जहरीली शराब में से 106 से ज्यादा लोगों की मौत बताई गई है । वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 में कई घटनाएं घटीं जिसमें से सैकड़ों लोग जहरीली शराब से मरे हैं । महोदय, 24 अक्टूबर, 2021 को सिवान में 5 लोगों की मौत, 2 अक्टूबर, 2021 को मुजफ्फरपुर में 6 लोगों की मौत, 2 नवंबर, 2021 को गोपालगंज में 20 लोगों की मौत, 3 नवंबर, 2021 को बेतिया में 15 लोगों की मौत, 5 नवंबर, 2021 को समस्तीपुर में 6 लोगों की मौत, 9 नवंबर, 2021 को मुजफ्फरपुर में 4 लोगों की मौत, 21 मार्च, 2022 को भागलपुर में 22, बांका में 12, मधेपुरा में 3 लोगों की मौत, 5 अगस्त, 2022 को सारण में 9 लोगों

की मौत, 15 दिसंबर, 2022 को सिवान में 5 लोगों की मौत, 13 दिसंबर, 2022 को छपरा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत, 15 दिसंबर, 2022 को बेगूसराय में 1 लोगों की मौत, 23 जनवरी, 2023 को शराब पीने से सिवान में 8 लोगों की मौत लेकिन मुख्यमंत्री जी को अपने अपर मुख्य सचिव में क्या खूबी दिख रही है पता नहीं महोदय ।

(क्रमशः)

टर्न-15/सत्येन्द्र/27-03-2023

श्री नीरज कुमार सिंह (क्रमशः) महोदय, शराबबंदी से सरकार को अरबों रू0 राजस्व की क्षति हो रही हैं साथ ही अवैध शराब बिक्री से लगातार अवैध उगाही हो रही है और इससे कौन कौन महागठबंधन के लोग, पुलिस पदाधिकारी एवं मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारी अपना अपना घर भर रहे हैं, यह सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को शायद सब पता होना चाहिए । सरकार को कहीं न कहीं ऐसे घटित मामले में शर्म आनी चहिए महोदय और ऐसे पदाधिकारी के रहते कभी भी शराबबंदी सफल नहीं हो सकता है । महोदय, जब शराबबंदी हुई थी तो पक्ष और विपक्ष हमलोग साथ मिलकर, महोदय शराबबंदी का जो प्रस्ताव आया था, उस पर हम सबों ने उसका समर्थन किया था लेकिन महोदय, हमारा एक चीज कहना है शराबबंदी के बिन्दू पर कि जो शराब पीने वाले को पकड़ा जाता है । आज शराब पीने वाले ज्यादा से ज्यादा गरीब लोग ही जेल जा रहे हैं और जो अमीर लोग हैं वह कभी नहीं पकड़ाते हैं । महोदय, पुलिस प्रशासन को, जिला हेडक्वार्टर में सबको पता है कि कौन कौन बाबू लोग बैठकर महफिल लगाते हैं, कौन कौन पदाधिकारी लोग महफिल लगाते हैं, कौन कौन शराब पीते हैं, सब पता है लेकिन वे लोग नहीं पकड़ाते है । दूसरा महोदय, दूसरा बिन्दु है कि शराब बंदी अगर है तो शराब आता कहां से है राज्य में? ये सबसे अहम सवाल है, आप शराब पीने वाले को पकड़ते हैं लेकिन महोदय आप उनको नहीं पकड़ते है जो शराब लाते हैं । आखिर शराब लाने वालों पर क्या कार्रवाई हो रही है? शराब लाने वालों पर सबसे विशेष तौर से कार्रवाई होनी चाहिए और देखना चाहिए कि शराब कहां से आता है, कौन लाता है, कैसे आता है । इसको विशेष तौर पर रोकने की आवश्यकता है महोदय । इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, हम तो कहते हैं कि जो शराब बेचने वाले इस राज्य में है..

अध्यक्षः माननीय सदस्य । बहुत सारे सदन के सदस्यों के द्वारा यह सूचना दी गयी है मेरे पास कि हम भी इस विनियोग पर कुछ बोलना चाहते हैं इसलिए हम आप तमाम लोगों से कहेंगे कि एक व्यक्ति जो बोल रहे हैं वह पांच मिनट से ज्यादा न बोलें।

श्री जनक सिंहः जो हमारा समय है, उसी समय में बोल रहे हैं ।

अध्यक्षः इसमें बजट जो हुआ, भिन्न भिन्न विभाग का हुआ और उसमें सब लोगों ने बोला है। अब वह जो आप सोच रहे हैं, मैंने समय नहीं बांटा है। चूंकि विनियोग है इसलिए समय नहीं बांटा है । ये तो बात को समझिये, आप माननीय पुराने सदस्य हैं।

श्री नीरज कुमार सिंहः ठीक है महोदय, मैं संक्षिप्त कर रहा हूॅ । पांच-सात मिनट और दिया जाय । महोदय, मैं अपने इलाके से शुरू करता हूॅ महोदय, वर्ष 2008 में हमारे यहां फ्लड आया था और उस फ्लड को अंतर्राष्ट्रीय फ्लड का दर्जा दिया गया था महोदय और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार वहां भिजिट किये और उन्होंने आश्वस्त किया कि जो कोशी के बाढ़ से तबाह हुआ है, पहले से बेहतर कोशी इलाके को बनायेंगे । महोदय, मैं बताना चाहता हूॅ कि उस फ्लड में कोशी` इलाके का न कोई सड़क बचा, न पुल पुलिया बचा, न स्कूल बचा, न अस्पताल बचा, कुछ भी नहीं बचा था सब कुछ पूरी तरह धवस्त हो गया था महोदय । इतने साल बीत गये लेकिन अभी तक वहां पर पूर्णरूपेण से न सड़कें बन पायी है ,न पुल पुलिया बन पाया है, न स्कूल का भवन बन पाया है तो महोदय, मैं उदाहरण के तौर पर 2-4 चीज कहना चाहता हूॅ ,उस समय जिन किसानों के खेत कट गये, जिन किसानों के खेतों में 20-20 फीट के गड्ढे हो गये थे और मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि जिनने फसल बर्बाद हुए, जिनके खेतों में गड्ढे हुए, मैं तमाम चीजों का मुआवजा दूंगा । महोदय, अभी तक मुआवजा की बात तो छोड़ दीजिये, मैं कल भी अपने क्षेत्र में गया था, अभी हमारे आदरणीय मांझी जी बतला रहे थे कि किस तरह जमीनों का विवाद है । महोदय, वहां गरीबों के खेत में आठ फीट बालू आ गया है और सैकड़ों एकड़ में 8 फीट, 10 फीट बालू भरा हुआ है और आज किसान परेशान हो रहा है कि हमारा जमीन कौन है,उन जमीन खो गया है महोदय ,किसान परेशान हो रहे हैं और अधिकारियों के यहां दौड़ रहे हैं कि हमारा जमीन मापी कर अलग करा दिया जाय लेकिन वर्षो बीतने के बाबजूद अभी तक जमीन की लड़ाई चल ही रही है। लोगों को अपनी जमीन का पता नहीं चल रहा है और हमको लगता है महोदय कि यह पूरे राज्य का विषय है । सभी सदस्यों के पास इस तरह का मामला आया होगा । महोदय, जहां तक खन्न विभाग का मामला है, बड़ा ही कठिन मामला है, कोशी के इलाके में मुख्यमंत्री जी कहे थे कि खेतों से हम अपने सरकारी खर्च से बालू हटवा देंगे और खेतों को ठीक करा देंगे लेकिन आज स्थिति यह है कि बालू हटाना तो दूर, अगर कोई गरीब किसान अपने खेत से ट्रेक्टर पर बालू निकाल कर उसे फेंकने जाता है, बेचने की बात तो छोड़ दीजिये अगर फेंकने जाता है तो पुलिस महाराज वहां पहुंचती है और कहती है कि

ट्रेक्टर को थाना ले चलो और ट्रेक्टर को थाना जाने से पहले ही दलाल उनके पीछे लग जाता हैं और कहता हैं कि वहां कम से कम 25 हजार फाईन होगा इसलिए 10 हजार दे दो छूट जाओगे। महोदय, ये स्थिति इस इलाके की है और पूरे राज्य में..

अध्यक्षः माननीय सदस्य, अब स्थान ग्रहण कर लीजिये ।

श्री नीरज कुमार सिंहः महोदय, 2-3 मिनट ।

अध्यक्षः अब एक मिनट नहीं, बैठ जाईए ।

श्री नीरज कुमार सिंहः महोदय, ये स्थिति पूरे राज्य में बनी हुई है और हर जगह लूट का माहौल है । अभी क्वेश्चन आवर में विपक्ष के सदस्य कह रहे थे कि थाने का हाल यह है कि बिना पैसा लिये कोई एफ0आई0आर0 नहीं होता है । यह सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे थे महोदय, हमलोग बोले तो दोषी हैं लेकिन यह सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं । गृह विभाग पर बहस नहीं कराना महोदय इससे दुखद बात और नहीं हो सकता है कि इस विधान-सभा में उस पर बहस नहीं हो रहा है।

अध्यक्षः स्थान ग्रहण किया जाय । माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद । बहुत बोल लिये, अब कितना बोलियेगा ।

श्री सुदामा प्रसादः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । सरकार को तो खजाने की चाबी मिलनी ही चाहिए और अगर ताला नहीं खुलेगा तो पैसा कैसे खर्च होगा और यह विकास के लिए जरूरी है तो मैं सबसे पहली बात ये रखना चाहता हूँ । माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को रखा कि सरकार को निर्णायक होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि भूमि सुधार का मामला जो वर्षों वर्षों से अटका पड़ा है,इसके लिए वर्ष 2010 में भूमि सुधार आयोग का गठन भी किया गया था और उस आयोग ने कहा था कि बिहार में 21 लाख 85 हजार एकड़ जमीन है और वह सिलिंग से फाजिल जमीन, भूदान की जमीन, बिहार सरकार की जमीन अगर भूमिहीनों में बांटी जाय तो बिहार का तेजी से विकास होगा । उस आयोग की सिफारिश यह भी कि 80 प्रतिशत, उस समय 77 प्रतिशत था कि 77 प्रतिशत से ज्यादा खेती बटाईदारों द्वारा की जाती है । खेती के मुख्य कारक बटाईदार किसान है इसलिए अगर बिहार में खेती को आगे बढ़ाना है, उत्पादन को बढ़ाना है तो बटाईदार किसान को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें भी पहचान की जरूरत है ताकि हजारों करोड़ का जो कृषि बजट है, उसका वे लाभ ले सकें । मैं समझता हूँ कि इस मामले में भारी गैप है, इसको सुधारना चाहिए और ऐसा कर हमलोग सुधार सकते हैं । महोदय, हमारे विधान-सभा क्षेत्र सहार में

एक गांव है, धौरी गांव वहां वर्ष 1974 में 84 लोगों को पर्चा मिला सोन दियारी की जमीन का अस्थायी पर्चा जिसका साल साल में रिन्यूवल होता था..

अध्यक्ष: मुख्य बातें रखी जाय । तीन बजे माननीय मंत्री वित्त विभाग बोलेंगे ।

श्री सुदामा प्रसाद: उनलोगों को स्थायी पर्चा दे दिया जाय और महोदय, कृषि विकास का मुख्य आधार सोन नहर में कदवन डैम है जो सन् 1990 से वह योजना इंतजार कर रही है, अगर वह डैम हमलोग बनवा देते हैं और सोन नहरों का आधुनिकीकरण करवा लेते हैं तो समझिये कि पूरे बिहार को वह इलाका अनाज खिलायेगा । इसलिए यह योजना जरूरी है । एक महत्वपूर्ण बात यह कहनी है जल जीवन हरियाली के बारे में कि जो योजना चल रही है, हमलोग देख रहे हैं, कहीं कहीं ये योजना गरीब उजाड़ो अभियान के रूप में परिवर्त्तित हो जा रहा है । महोदय, जो आहर पोखर की जमीन है, उसका रकबा लेकर जो अधिकारी नापी करने के लिए जाते हैं, नापी पिंड से होना चाहिए लेकिन जो जाते हैं और वह पिंड पर जो एक झोपड़ी लगाकर के, चिमकी तानकर के रहता है, वहीं से वे लोग नापी शुरू करते हैं और कहते हैं कि इससे जल संचय प्रभावित हो रहा है, ये खाली करो नहीं तो जे0सी0बी0 लगाकर उजाड़ देंगे तो महोदय जल का संचय जो है आहर की जमीन में है और उस जमीन को दबंगों ने काटकर अपने खेत में मिला लिया है इसलिए खेत के तरफ से जमीन की मापी होनी चाहिए और अंतिम बात शराबबंदी के बारे में , शराबबंदी अच्छी योजना है इससे यहां घरेलु हिंसा में बहुत कमी आयी है, आज सड़क पर झगड़े नहीं हो रहे हैं लेकिन जो केस किये जा रहे हैं, मुझे लगता है कि इसकी समीक्षा करनी चाहिए उत्पाद विभाग को कि जितने लोगों पर केस हुआ, जो लोग जेल भेजे गये, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है । महोदय, हम समझते हैं कि कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले 80 प्रतिशत से ज्यादा लोग जेल गये हैं, इसकी एक समीक्षा होनी चाहिए।

अध्यक्ष: अब स्थान ग्रहण कीजिये। माननीय सदस्य श्री अजय कुमार ।

टर्न–16/मधुप/27.03.2023

श्री अजय कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक पर बोलने के लिए मैं खड़ा हूँ और सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि सरकार का बजट जो है वह एक तरीके से सभी बजट सर्वसम्मति से ही पास हुये थे क्योंकि उस समय विपक्ष के लोग रहते नहीं थे। जब ये सर्वसम्मति से पास हुये तो इन्हें खर्च करने के लिए निश्चित तौर पर इजाजत दी जानी चाहिए । सरकार ने पिछले दिनों जो काम किया वह काम दिखाई भी पड़ता है, उससे इनकार कैसे किया जा सकता है ? सड़क के मामले में,

बिजली के मामले में, और कई मामले में सरकार ने काम किया है । इसीलिए निश्चित तौर पर सरकार के कई हिस्से जो बजट के हैं उसमें हम समझते हैं कि न सिर्फ खर्च करने का बल्कि उस बजट को आने वाले समय में जब अगली बार बजट पेश करें तो उसको बढ़ाने की भी जरूरत है ।

महोदय, एक-दो मेरा सुझाव है कि जब आप खर्च कीजिएगा बजट को तो शिक्षा विभाग, माननीय मंत्री जी नहीं बैठे हुए हैं लेकिन सरकार तो बैठी हुई है, शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसको बिना ठीक किये हुये, बिना सुधारे हुये बिहार का विकास बिल्कुल संभव नहीं है । अगर विकास करना है तो हमें बिहार को पूरे तौर पर शिक्षित करना है, वास्तविक शिक्षा देना है और ऊँची शिक्षा की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा । चूंकि यह बात हम इसलिये कह रहे हैं क्योंकि आज देश के अंदर जो निजीकरण का दौर चला है उसमें पूरे तौर पर शिक्षा को डिमोलिश करने की कोशिश केन्द्र की सरकार ने किया है । 2020 की नई शिक्षा नीति, अगर उसके स्क्रिप्ट को पढ़ लिया जाय तो वह यह बताता है कि उसके अंदर पूरे तौर पर 100 प्रतिशत तक उसमें देशी-विदेशी पूँजीपतियों को पूँजी निवेश करने का मौका उसमें देने की उसमें इजाजत दी गयी है । अगर हम बिहार में सचेत नहीं होंगे और बिहार में अगर उस कदम को रोकने की कोशिश अपने हुनरों से नहीं करेंगे तो यह संभव नहीं हो पायेगा और तब बिहार के बच्चे ऊँची तालिम पाने में पीछे रह जायेंगे और बिहार का बच्चा शिक्षित नहीं हो पायेगा । उन बच्चों को शिक्षित करने में माननीय जीतन राम मांझी जी बोल रहे थे, मैं उन बातों का समर्थन करता हूँ कि एक बड़ी आबादी है मिड डे मील वर्कर रसोइया का, वह किस तबके से आती हैं, वे दलित आती हैं, महादलित आती हैं, अल्पसंख्यक आती हैं, वह विधवा आती हैं और उसे जो मानदेय दी जा रही है 1650 रू0 दी जा रही है । 1650 रू0 मानदेय देकर वह 8 घंटा काम करती हैं । अगर हमें उस तबका को उपर उठाना, ऊंचा उठाना है तो उसके मानदेय पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उसको किसी भी कीमत पर काम से महरूम करने की बात नहीं होनी चाहिए । यह हमारा इसके साथ कहना है।

दूसरा एक इम्पोर्टेंट सवाल को हम उठाकर अपनी बात को खत्म करना चाहते हैं और वह उठाना चाहते हैं हम जमीन के सवाल को । जमीन के सवाल पर हम यह जानते हैं और सब लोगों को, सदन को मालूम है, पूरे देश और दुनिया को मालूम है कि हमारा देश ने 1970 में सीलिंग ऐक्ट कानून बनाया था । उस कानून को कोई एक पार्टी ने नहीं बनाया था बल्कि सभी दल के लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर में पारित किया था और उसके बाद वह कानून बना था । उस कानून में साफ

तौर पर लिखा हुआ था कि एक इंसान को जरूरत से ज्यादा जमीन रखने का हक नहीं होगा और जरूरत से ज्यादा जो जमीन होगा, सीलिंग ऐक्ट से जो फाजिल जमीन होंगे, वे सभी जमीन सरकार की जमीन होगी । सरकार ने यह फैसला भी किया था, आजादी के बाद जमीन के डिकंसंट्रेशन की बात कमीशन ने भी किया था कि अगर देश का विकास चाहते हो तो जमीन का जो कंसंट्रेशन है उसे भंग करना पड़ेगा । कुल मिलाकर जमीन सीलिंग ऐक्ट से फाजिल जमीन भूमिहीनों के बीच में आपको देना पड़ेगा ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें ।

श्री अजय कुमार : मैं बस अब खत्म कर रहा हूँ, सर ।

अध्यक्ष : आप बड़े सजग सदस्य हैं और समय का ख्याल करते हैं ।

श्री अजय कुमार : 30 सेकंड में मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ । मैं यह बात इसलिये कह रहा हूँ क्योंकि आज उसे कमजोर करने की कोशिश हो रही है । सीलिंग ऐक्ट कानून केन्द्र की सरकार ने बनायी थी लेकिन आज केन्द्र की सरकार उस कानून को डिमोलिश करने के लिए लगी हुई है । चूंकि उसने अपने रिजोलुशन में लिया कि शहर के अंदर जो सीलिंग ऐक्ट बना हुआ है, उसकी हम समीक्षा करेंगे । देश के अंदर यदि समीक्षा लागू करने से पहले किया जायेगा तो पूरे तौर पर वह समझ जो है वह नष्ट हो जायेगी । इसलिये बिहार सरकार से हम अपील करना चाहते हैं कि बिहार के अंदर जो फाजिल जमीन है, आप उस जमीन को लेकर बिहार के भूमिहीनों के बीच बॉट दीजिये, बिहार की तरक्की होगी, बिहार का उत्पादन बढ़ेगा, बिहार की आर्थिक स्थिति बढ़ेगी । मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक शब्द कहते हुये, माननीय मंत्री जी बैठे हुये हैं, जितने भूमिहीन हैं जिनको पर्चा मिला हुआ है उनको दाखिल कब्जा करवा दीजिये, पर्चाधारी को कब्जा करवा दीजिये और जो जमीन आपके पास है जमींदारों का उस जमीन को गरीबों के बीच में बॅटवा दीजिये, बिहार का बड़ा कल्याण होगा । मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य डॉ0 रामानुज प्रसाद, अपना पक्ष रखें । समय मात्र 5 मिनट । सभी जो दल हैं उनके एक-एक लोगों से मैं बोलवाने का निर्णय लिया हूँ ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक जो लाया गया है उसके पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । निश्चित तौर पर सरकार को जब एलोकेशन हो गया बजट का सब्जेक्टवाइज, तो उन सबको खर्च करने की चाबी मिलनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि पूरा सदन बहुमत से, सहमति से देगा ।

अध्यक्ष महोदय, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, माननीय मांझी जी भी बोल रहे थे, अन्य साथियों का भी सुझाव आया था, सभी लोगों के और भी सुझाव आयेंगे लेकिन मैं यह समझता हूँ कि नीति हम जो भी बना लें, नियत हमारे जो भी हों उसको अगर लागू करने वाली जो संस्थाएँ हैं, लागू करने वाली जो सिस्टम है, उसको अगर हम चुस्त-दुरूस्त नहीं करते हैं तो हम नीति बनायेंगे भी लेकिन लागू करने वाले जो बैठे हैं, उनकी नियत और उनके काम करने का, उनकी कार्य प्रणाली, वर्किंग स्टाइल जो है वह हमको सक्सेस नहीं होने देगा । साथी हमारे कह रहे थे, मांझी जी ने भी कहा कि फलां मुख्यमंत्री जी के बाद फलां मुख्यमंत्री जी करें लेकिन इन्होंने यह नहीं कहा कि 15 साल का बीच में जो समय था, वह 15 साल का लालू-राबड़ी का शासन और कुछ किया हो या नहीं किया हो, सड़कें रंगी हो या नहीं रंगी हो, रंग-रोगन हुआ हो या नहीं हुआ हो लेकिन सामाजिक न्याय की बात अवश्य हुई और सामाजिक न्याय हुआ । गरीबों, वंचितों को हक मिला, बराबरी में खड़ा होने और बैठने का हक मिला था । हम कहना चाहते हैं अपने साथियों से और अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि अम्बेडकर साहब ने कहा था, संविधान निर्मात्री सभा में अम्बेडकर साहब ने कहा था कि देश में वंचितों के हक, चाहे वह वंचित जिस तबके से आते हों, वंचितों का हक मारने का सबसे जो बेहतर तरीका होता है दक्षिणपंथियों का, वह साम्प्रदायिकता का मुलम्मा चढ़ाते हैं और राष्ट्रीयता की चासनी में सारे हक वंचितों का लूट लेते हैं । आज इस देश में वही दौर चल रहा है । हमारे साथी कह रहे हैं चाहे भूमि के अधिग्रहण या भूमि पर कानून हम बना लें, हम आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए कानून बना दें लेकिन वह लागू तब होगा जब हम रिफॉर्म्स करेंगे । एक हमारे साथी विपक्ष के भी कह रहे थे, मैं खुद मानता हूँ कि जब से यह गठबंधन की सरकार बनी है, सिस्टम से कोऑपरेशन हमें नहीं मिल रहा है । हमलोग जो विधायक के रूप मे महसूस कर रहे हैं, जो पदाधिकारी बैठे हैं, जो कर्मचारी बैठे हैं, उनका जो माइंड सेट है, वे जो कर रहे हैं, उसका आउट-कम डे-टु-डे लाइफ में हमारे पीपल्स को, हमारे लोगों को, हमारे वोटर्स को झेलना पड़ रहा है ।

अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करें ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, तीन सुझाव है सरकार को, बहुत छोटा-छोटा ।

अध्यक्ष : अभी समय नहीं है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करें और इस कानून को बाध्यकारी बनायें कि कोई कर्मचारी अगर गड़बड़ करता है चाहे वह किसी विभाग

में दिये जाने वाले आरक्षण के जो लाभ हैं, उनको अगर चाहे बी0पी0एस0सी0 से मारा जा रहा हो, अवर सेवा चयन पर्षद से मारा जा रहा हो, अनुसूचित जाति के मारे जा रहे हों या दूसरे किसी भी माध्यम से मारे जा रहे हों, उसको दंडित किया जाय । यह जिम्मेवारी तय हो । दूसरा, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम चाहते हैं सतत विकास तो हमें एकाउंटेबल गवर्नमेंट बनाने के लिए...

अध्यक्ष : यह दूसरा नहीं है, तीसरा है ।

डॉ0 रामानुज प्रसाद : एक और है, अध्यक्ष महोदय । यह आज देख रहे हैं कि जो देश में हो रहा है, जो माहौल बनाया जा रहा है, विपक्ष को समाप्त करने का जो हथकंडा अपनाया गया है, उसमें हम कहना चाहते हैं कि हमारे बिहार की सरकार, देश के अन्य राज्यों ने भी बनाया है, बिहार में भी यह कानून बने कि कोई भी केन्द्रीय एजेन्सी हमारे बिहार में बिहार सरकार की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं कर सके, प्रवेश नहीं कर सके ।

...क्रमशः...

टर्न–17/आजाद/27.03.2023

.... क्रमशः .....

डॉ0 रामानुज प्रसाद : किसी को प्रताड़ित नहीं कर सके, किसी को लांछित नहीं कर सके, किसी को दंडित नहीं कर सके । अध्यक्ष महोदय, सरकार से मेरा एक सुझाव है और सरकार अगर चाहती है कि हमारी सुशासन की सरकार का जो तगमा है, उसको आगे बढ़ाये तो आपको निश्चित करना पड़ेगा हमलोगों को मिलकर, सामाजिक न्याय तो हम देख रहे हैं कि छूट रहा है, जा रहे हैं , भागा जा रहा है तो न्याय के साथ विकास की बात को भी सुनिश्चित हमें करना होगा, न्याय के साथ विकास की बात करनी होगी, हमको अपने सिस्टम को .....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब स्थान ग्रहण किया जाय । माननीय सदस्य श्री शकील अहमद खाँ, अपना पक्ष रखें ।

माननीय सदस्य रामानुज बाबू, आप अपना स्थान ग्रहण करें । सभी दलों के सदस्यों को अपना पक्ष रखने का समय मिलना चाहिए । आपका समय 5 मिनट ।

श्री शकील अहमद खाँ : बहुत–बहुत शुक्रिया हजरत । मैं कुछ और सोच कर आया था लेकिन हमारे एक प्रतिपक्ष के भाई ने एक मुहावरा अपने भाषण की शुरूआत में कही । आजकल मुहावरा के साथ दिक्कत क्या है कि किसी एक शब्द से आहत होकर के केस हो जायेगा और केस होकर जेल हो जायेगा और सदस्यता चली जायेगी तो मुहावरा आजकल ध्यान से देखें कि माहौल कैसा है ?

देश का जो माहौल सर बना है, हमारा देश तो विभिन्न मान्यताओं का देश है .....

अध्यक्ष : आप तो मुहावरा को संक्षिप्त नहीं करते हैं, आप तो सब जानते हैं ।

श्री शकील अहमद खॉं : महोदय, मैं तो एक तंज की बात कर रहा था, मैं उसकी खूबसूरती को समझता हूँ । इस मुल्क में हुआ यह है और हमारे प्रदेश में भी हो रहा है । फैज अहमद फैज बहुत मशहूर शायर थे और उन्होंने यह कहा है -

''निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन कि कुर्बान हो जाऊं,
चली है रस्म कि कोई न सर उठाकर चले,
जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले(घूमने को निकले),
बदन चुराकर चले, नजर झुकाकर चले ।''

अगर ऐसी रीत इस देश में जिसकी सांस्कृतिक विरासत और जिसकी मान्यतायें हजारों साल से वसुधैव कुटुम्बकम् की हो, वहां जिस तरह का अधिनायकवाद आज चल रहा है, उससे देश, समाज और हमारी सभ्यता की जो पूँजी है, जो रूह है, उसपर कुठाराघात पड़ने वाला है और हो रहा है । इसलिए मैं जितनी बातें भी मुझसे पहले वक्ताओं ने कही है, मांझी जी ने कही, इन सब लोगों ने कही और जो सुझाव दिये हैं ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: शांति-शांति ।

श्री शकील अहमद खॉं : जो सुझाव दिये हैं, मैं उसके पक्ष में हूँ क्योंकि पक्ष और विपक्ष के लोग सरकार को सुझाव देते हैं और सरकार उसपर अमल करती है । लेकिन दिक्कत यह है कि जब तक माहौल सही नहीं होगा, सामाजिक ताने-बाने सही नहीं होगा, तब तक मामलात ठीक नहीं होते हैं । इस बार बजटरी प्रोविजन के जितने भी विभाग पर बहस यहां पर हुई हैं, उन बहस में पक्ष और विपक्ष की बातें तो चली है लेकिन अफसोसनाक सूरतेहाल यह है कि जो केन्द्र की जिम्मेदारी है, खासतौर पर बजट को लेकर के, मैंने पहले भी कहा था कि हमारा देश फेडरल स्ट्रक्चर का है। हमारी सहायता जो हमारी पूँजी है, जो हमारा हक है, जितना हमको सेंट्रल से मिलना चाहिए या उदारवादिता जितनी सेंट्रल से होनी चाहिए, क्योंकि हमारा बिहार एक पिछड़ा इलाका है, पिछड़ा राज्य है । ऐसे में यू0पी0ए0 के जमाने में .....

(व्यवधान)

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : आप बैठिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए । जनक बाबू, विनियोग है । वो अपना पक्ष रख रहे हैं । उनको जो फीलिंग है, वे बोल रहे हैं । आप स्थान ग्रहण करें, विघ्न पैदा न करें ।

श्री शकील अहमद खॉं : महोदय, ये लोग हमारा समय खा रहे हैं । केन्द्र को जितना पैसा केन्द्रांश का हेल्थ डिपार्टमेंट में, सड़क डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट हमें देना चाहिए था, उसमें ईमानदारी नहीं बरती गई और यह अफसोस है क्योंकि मंत्री और मिनिस्टर लोगों ने यहां पर अपनी बातें रखी हैं, यह अफसोस का मुकाम है । महोदय, बस दो मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ ....

अध्यक्ष : बस दो मिनट में ।

श्री शकील अहमद खॉं : सर, बस दो मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ । सर, मैं जानता हूँ कि इनकी तकलीफ की वजह क्या है ? सर, ऐसा है .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना पक्ष रखते रहिए । दो मिनट ।

श्री शकील अहमद खॉं : इस देश में पार्लियामेंट के अन्दर क्रोनोलॉजी समझायी जाती है, एक मामला आया था तो क्रोनोलॉजी समझायी गयी थी, एक क्रोनोलॉजी मैं भी आपको सुनाता हूँ, बहुत ही मजेदार है । 13 अप्रील, 2019 को चुनावी भाषण में कर्नाटक के कोनार में एक बात कही जाती है, 16 अप्रील, 2019 को एक केस वहां नहीं होता, गुजरात में होता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है, 7 मार्च, 2022 को शिकायतकर्त्ता स्टे के लिए रिक्यूस्ट करता है .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिए । माननीय सदस्य

श्री शकील अहमद खॉं : उसके बाद 7 फरवरी को जब राहुल गॉंधी, अदानी और केन्द्र सरकार के रिश्तों के बारे में 20 हजार करोड़ रू0 के मामलात की बात करते हैं....

अध्यक्ष : अब आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री शकील अहमद खॉं : तो उनके ऊपर जिस तरह के हमले हुए, विपक्ष के ऊपर जिस तरह का हमला हुआ है, वह इतिहास में भारत के आजाद इतिहास में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब स्थान ग्रहण कीजिए, आपका दो मिनट से ज्यादा हो गया, अन्य सदस्यों को बोलवाना है ।

श्री शकील अहमद खॉं : 30 सेकेंड है सर, हम अपने तमाम जो लोग हैं सर, वो भी फैज की नज्म है –

बोल कि लब आजाद हैं तेरे,
बोल कि जुबॉं अब तक तेरी है,
बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है,
जिस्म वजॉं की मौत से पहले,
बोल कि सच जिन्दा है,
बोल जो कुछ कहना है, कह ले ।

धन्यवाद । बहुत-बहुत शुक्रिया । जय हिन्द-जय बिहार ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुधांशु शेखर, अपना पक्ष रखें ।

(व्यवधान)

श्री सुधांशु शेखर : अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा लाया गया विनियोग विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ ...

अध्यक्ष : आप बैठिए । उनको जो बोलना था, बोल चुके । आप अपनी बात बोलना जारी रखिए ।

(व्यवधान)

श्री सुधांशु शेखर : बोलने से पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय सचेतक श्री श्रवण कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और मैं अपने क्षेत्र हरलाखी विधान सभा के सभी मतदातागण को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंदिर में भेजने का काम किया है । अध्यक्ष महोदय, आज विनियोग है । राज्य सरकार सभी वर्गों के लिए खासकर ....

अध्यक्ष : आपका समय 5 मिनट है । माननीय सदस्य, 5 मिनट से ज्यादा नहीं ।

श्री सुधांशु शेखर : खासकर कमजोर वर्ग के बच्चों-बच्चियों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए कटिवद्ध है और इसके लिए अनेक योजनायें संचालित की जा रही है । वर्तमान में कुल बजट का बड़ा भाग लगभग 20 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जाता है । राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों .....

अध्यक्ष : हमने बहुत देखा है, आप हमें न समझाईए, बहुत देखे हैं । माननीय सदस्य, आपने जिनका नाम दिया, ये अपने पक्ष को जितना रखना चाहिए था, उतना इन्होंने रखा और कहीं पर कोई टोका-टोकी नहीं हुई ।

जनक सिंह जी, आप हमें पाठ न पढ़ाईए । नहीं-नहीं, आप हमें क्या पाठ पढ़ाईयेगा, आसन जो है, आपने जिनका नाम दिया, मैंने उनसे बोलवाया और जितना वे बोलें, उतना बोले और लोग शांति से उनकी बात सुने । इसलिए आपलोग भी बैठकर शांति से बात को सुनिए । बैठिए माननीय सदस्यगण ।

आप हमें ऊंगली न दिखावें, आप हमें खूब जानते हैं । अगर आपको जाना है तो जाईए ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन का बहिगर्मन किये)

श्री सुधांशु शेखर : अध्यक्ष महोदय, राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए 90,000 शिक्षकों के नियोजन की कार्रवाई की जा रही है । 25 फरवरी, 2022 को सभी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र एक साथ देने की तिथि निर्धारित की गयी है । राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक हेतु 40,518 पद एवं मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक हेतु 8386 पदों का सृजन किया गया है । बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वर्ष 2021 में भी पूर्व के वर्षों की तरह इन्टरमिडिएट एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन कर परीक्षा फल देश में सबसे पहले रिकार्ड समय में प्रकाशित कर कीर्तिमान स्थापित किया है । जिसके फलस्वरूप सी0बी0एस0ई0 सहित देश के कई परीक्षा बोर्डों से उत्तीर्ण छात्र बिहार बोर्ड के संस्थानों में 11वीं कक्षा में नामांकन ले रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं स्वास्थ्य विभाग पर बोलना चाहता हूँ । मैं कहना चाहता हूँ कि आई0जी0आई0एम0एस0, पटना में 100 बेड का स्टेट कैंसर इन्स्टीच्यूट की स्थापना की गयी है । साथ ही यहां अतिरिक्त 1200 अतिरिक्त बेड के अस्पताल भवन का निर्माण कराया गया है ।

राज्य के 243 विधान सभा क्षेत्रों में स्वास्थ्य उपकेन्द्र/अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराया गया है । राज्य के 243 विधान सभा क्षेत्र में एक-एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ 5 स्वास्थ्य उप केन्द्र एवं 136 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र यथा कुल 1379 स्वास्थ्य संस्थान के निर्माण हेतु 1754.99 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है .....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, 5 मिनट है । सरकार को विनियोग विधेयक पर बोलना है।

टर्न-18/शंभु/27.03.23

श्री सुधांशु शेखर : महोदय, मैं अपने क्षेत्र की समस्या पर कुछ बोल देना चाहता हूँ । महोदय, मधवापुर प्रखंड के उतरा पंचायत है यहां पंचायत सरकार भवन लगभग पांच वर्षों से नहीं बना है । ये पांच वर्ष पहले ही स्वीकृत हुआ था, लेकिन अभी तक विभागीय कारणों से नहीं बना है । हमारे मधवापुर प्रखंड के जो सहारघाट नेता जी चौक है वहां महादलित की संख्या लाखों में है, वहां जल जमाव के कारण काफी दिक्कत होती है । वहां पर मैं नाला निर्माण करवाने की मांग करता हूँ । महोदय, मेरे

मधवापुर प्रखंड के सहार उतरी पंचायत के एन0एच0–104 सड़क के खटखटी चौक से भारत नेपाल बार्डर अकरहर घाट जाने वाली मुख्य सड़क में एस0एस0बी0 कैंप में उत्तर पुल का निर्माण बहुत ही जरूरी है । हरलाखी प्रखंड के रानीपट्टी से इटहरवा जानेवाली मुख्य सड़क में जंजीर पुल है, वहां पुल का निर्माण करवाना है । बिसौल पंचायत के रामपुर से महथौर के बीच पुल का निर्माण करवाना है । महोदय, बेनीपट्टी प्रखंड के बनातपुर से सलेमपुर जानेवाली सड़क में पुल निर्माण करवाना है । बेनीपट्टी प्रखंड के सहरौल पंचायत से सहरौल करहरा जानेवाली सड़क में नहर पर पुल निर्माण करवाना है । हमारे हरलाखी प्रखंड का भवन जर्जर है । उसके चारदीवारी एवं भवन का कार्य जल्द से जल्द करवा दीजिए । मैं यही कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सूर्यकान्त पासवान, दो मिनट में अपनी बात रखें ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं विनियोग विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, सरकार को चाभी मिलनी चाहिए सरकार ने सभी क्षेत्रों में चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ग्रामीण विकास हो, ग्रामीण कार्य हो सारे क्षेत्रों में काम किया है । महोदय, मैं पूर्व मुख्यमंत्री मांझी जी ने जिन सवालों को रखा मैं उनके समर्थन में हूँ निश्चित रूप से रसोइया, सफाई कर्मी, ममता दीदी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को मानदेय के बदले वेतन भुगतान किया जाय । महोदय, हमारे विधान सभा क्षेत्र बेगुसराय जिले के बखरी विधान सभा क्षेत्र 3200 एकड़ जमीन हदबन्दी से फाजिल है । मैं इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ । महोदय, तमाम गरीबों के बीच वह जमीन बटा हुआ है, लेकिन उसका कागजात उनके पास नहीं है। महोदय, विनोबा भावे की जमीन गरीबों को पट्टा मिला हुआ है, लेकिन अभी तक उसपर दखल कब्जा नहीं हुआ है, गरीब वह पट्टा लेकर के घूम रहा है, लेकिन दखल कब्जा उनको नहीं मिल रहा है । महोदय, आपने बासगीत का पर्चा दिया है वह भी पर्चा हमारे विधान सभा क्षेत्र के अंदर हजारों हजार की संख्या में बचा हुआ है उसको भी देने का आग्रह करता हूँ ।

अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : महोदय, प्रखंड स्तर पर डिग्री महाविद्यालय स्थापित किया जाय क्योंकि प्रत्येक पंचायत में आपने टेन प्लस टू उच्च विद्यालय की स्थापना की है ।

अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करें । प्रभारी मंत्री वित्त विभाग ।

श्री सुर्यकान्त पासवान : आपने गरीब परिवारों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए.....

अध्यक्ष : पासवान जी, आप बैठ जाइये ।

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो हमने विनियोग संख्या-2 विधेयक, 2023 पेश किया था । मैं आभारी हूँ आपका और सदन का जो पिछले कुछ समय से इस विधेयक पर ये सदन विमर्श कर रहा है । मैं विशेष रूप से आभारी हूँ पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन मांझी जी का जिन्होंने इस विमर्श की शुरूआत की । उन्होंने शुरूआत ही नहीं की कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये हैं । उसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि लगभग 8 हैं जिन्होंने अपनी राय रखी है । मैं सबको सरकार की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि जो उन्होंने सुझाव दिये हैं सरकार निश्चित रूप से हम उसपर गंभीरता से विमर्श करेंगे, विचार करेंगे और यथासंभव उसको लागू करने की कोशिश भी करेंगे । महोदय, हालांकि विपक्ष से तो एक ही माननीय सदस्य ने कुछ बातें रखी थी मैं उनकी बातों का क्योंकि जो अपने पक्ष के थे उनकी बातों के बारे में तो बाद में भी बताता, मैं चाहता था कि उनके रहते उन्होंने जो बात उठायी है उसके बारे में मैं सरकार की तरफ से स्थिति स्पष्ट करता, लेकिन पता नहीं क्यों कि वे आज फिर हमलोगों को भी और पूरे सदन को उदास करके चले गये । महोदय, सबसे बड़ी बात जो इस बजट सत्र में हमने देखी है लगता है कि विपक्ष का संसदीय प्रणाली के प्रति विश्वास ही घटता जा रहा है । महोदय, ये कोई तरीका है क्या, ये कोई प्रणाली है कि आप अपनी बात कभी रखकर और कभी बिना रखे, बिना सरकार की बात सुने सदन से बाहर चले जाते हैं। महोदय, अब सदन समाप्ति की ओर है, अब ये सत्र समाप्ति की ओर है । महोदय, आसन साक्षी है आपने प्रतिदिन जब भी सरकार के उत्तर का वक्त आता है तो निर्णय एक ही रहता है और आप सभी सदस्यों के आचरण और आवभाव से शुरू से ही जब द्वितीय पाली प्रारंभ होती है इस सदन में तो आप गौर करके देखियेगा तो लगता है कि ये पूर्व नियोजित निर्णय करके आते हैं कि बाहर हमको जाना ही जाना है, केवल प्रतिदिन कारण अलग खोजते हैं- कभी देखते हैं कि आपके बारे में कुछ आपत्तिजनक बोलकर आरोप लगाकर, कभी कुछ सरकार के बारे में बात करके मतलब कारण बदल जाते हैं और निर्णय वही रहता है कि हमको सदन में नहीं रहना है । महोदय, हमको डर इस बात का है, आशंका जो दिख रही है, संभावना जो दिख रही है इनके सदन में नहीं रहने या सदन से बाहर ही चले जाने को कहीं जनता ने गंभीरता से ले लिया तो जनता इनको अंदर भेजेगी क्यों ? इनको भेजेगी क्यों जब इनको सदन में रहकर जनता की बातों को कहने का, उठाने का न कोई मकसद है, न कोई इच्छा है, न कोई भाव है, न कोई इसमें रूचि है, न दिलचस्पी है तो आखिर जनता इनको क्यों भेजेगी ? जब ये न अपनी बात कहेंगे, न सरकार की बात सुनेंगे । महोदय, यह सदन तो विमर्श का होता है । महोदय, ये

बजट सत्र है और सारे सदन के लोग जानते हैं कि ये विशेष सत्र मतलब महत्व के मामले में अति विशिष्ट सत्र होता है क्योंकि इस सत्र में ये अपनी विधायिका जो इसके कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व होते हैं उनका बहुत ही श्रृंखलाबद्ध तरीके से निर्वहन करती है । महोदय, जब से यह सत्र प्रारंभ हुआ है जो श्रृंखला है अलग-अलग प्रस्तावों की उसपर अगर गौर करेंगे तो शुरूआती दिन में ही 27 फरवरी को वह एक संवैधानिक व्यवस्था है महामहिम यहां आकर हम सभी माननीय सदस्यों को संबोधित करते हैं, जो सेंट्रल हॉल में होता है ।

क्रमशः

टर्न-19/पुलकित/27.03.2023

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (क्रमशः) : फिर उसके बाद 27 तारीख को और फिर 28 तारीख को सरकार बजट प्रस्तुत करती है । फिर जो अलग-अलग मतलब समूहों में एक विभाग के द्वारा अलग-अलग अनुदानों की मांग प्रस्तुत की जाती है, उस पर पूरे तीन घंटे का विमर्श होता है, फिर सदन उसकी अनुमति देता है और फिर जब सारे विभागों की मांगों के संबंध में सदन की सहमति बन जाती है, अनुमति मिल जाती है, चाहे सीधे तौर पर हो या आप जो मुखबंध के माध्यम से करते हैं, गिलोटिन के माध्यम से करते हैं । उसके बाद चौथा चरण है जो आज के दिन आया है, उसे विनियोग विधेयक में लेते हैं । महोदय, सब चरण का अलग-अलग महत्व होता है । महामहिम जब आते हैं, अभिभाषण जो देते हैं वह भी सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की ही रूप-रेखा प्रस्तुत करते हैं । वे मौटे तौर पर रूप-रेखा प्रस्तुत करते हैं उस पर इस सदन ने दो दिन विमर्श किया, 28 तारीख को और 01 तारीख को ।

महोदय, 01 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस सदन में सदस्यों के बीच विमर्श हुआ, उसका विस्तार से उन्होंने सरकार की तरफ से उत्तर दिया । फिर हमने वित्त मंत्री के रूप में जो 28 तारीख को बजट पेश किया था उस पर 02 और 03 तारीख को इस सदन ने विस्तार से विमर्श किया और हम बजट में और कुछ नहीं करते हैं । जो कार्यक्रमों की सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों की रूप-रेखा जो महामहिम सरकार की तरफ से प्रस्तुत करते हैं उनको लागू करने की हमारी क्या योजना है या कैसे हम लागू करना चाहते हैं, उसपर सरकार अपना इरादा बताती है । महोदय, उसके बाद फिर तृतीय चरण में जो अनुदानों की मांग आती है, उसमें जो अलग-अलग योजनाएं होती हैं । किन योजनाओं में हम कितनी राशि खर्च करना चाहते हैं और वह राशि खर्च वाली हमें कहां से प्राप्त होगी, उन सबका विस्तृत विवरण हमलोग देते हैं, सदन को बताते हैं और सदन जब उसकी भी

स्वीकृति दे देता है मतलब खर्च करने की भी स्वीकृति दे देता है, योजनाओं की भी स्वीकृति दे देता है तब आज विनियोग विधेयक के माध्यम से जो राज्य की संचित निधि होती है, जिसको कंसोलेटिड फंड कहते हैं, उसमें से सदन द्वारा अनुमोदित योजनाओं, कार्यक्रमों और जो हमने प्राक्कलन प्रस्तुत किया है बजट के माध्यम से उसके क्रियान्वयन के लिए वह संचित निधि से राशि निकालने की अनुमति सदन से लेते हैं । जो आज हमने सदन में प्रस्तुत किया है और अभी पिछले समय से इसपर विमर्श चल रहा है लेकिन विपक्ष का जो रवैया है । महोदय, लगता है जनता इसको जरूर गंभीरता से लेगी और इनके सदन से बार-बार बाहर चले जाने को जैसा कि हमने कहा, जनता गंभीरता से लेकर ऐसा बाहर करेगी कि फिर अंदर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी । ये तो एक तरह से संसदीय प्रणाली और इस जनतंत्र को अपमानित करने की प्रक्रिया है । ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, सबलोग अपनी बात कहते हैं और सुननी भी चाहिए । सरकार के बारे में बोल तो दिये नीरज जी, कई तरह की बात, जो खाली गरीब पकड़ाते हैं शराब में लेकिन कौन-कौन पकड़ाये हैं और कहां-कहां से बिहार की पुलिस अगल-बगल के प्रदेश तो छोड़िये अरूणाचल प्रदेश, असम और मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ मतलब कहां-कहां जाकर पुलिस ने पिछले कई वर्षों में कितनी गिरफ्तारियां और कितने जो शराब के असली माफिया हैं, जो आपूर्त्तिकर्ता हैं, जो बाहर बैठकर के इससे मुनाफा कमाते हैं, हमलोगों ने मतलब यहां की पुलिस ने कैसे उन लोगों को जाकर पकड़ा है, हम उनको बताना चाह रहे हैं लेकिन अब चले ही गए, उनको तो रूचि है नहीं किसी चीज में और गरीबों को पकड़ने की बात है । मुख्यमंत्री जी ने तो स्पष्ट निदेश दे दिया है कि इस शराबबंदी कानून के तहत गरीबों को अकारण परेशान नहीं किया जाए, यह मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निदेश दे दिया है और कोई पदाधिकारी शराबबंदी कानून की आड़ में गरीबों को अकारण परेशान करता है तो सरकार उसपर सख्ती से कार्रवाई करेगी । सरकार ने भी और मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निदेश है कि इस व्यवसाय में जो लोग जुड़े हैं, जो मूल रूप से इसके माध्यम से मुनाफा कमाते हैं और लखपति, अरबपति बन रहे हैं, सरकार की भी नजर में और सरकार की दृष्टि केन्द्र में भी वही लोग हैं और सरकार उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करना चाह रही है ।

महोदय, अब वे चले गये इसलिए हम उनके बारे में क्या कहें । महोदय, अब बजट के बारे में क्योंकि सारी प्रक्रिया जितनी भी हमने कही । बजट है फिर उसके बाद अनुदान की मांग है, आज विनियोग विधेयक है सब तो उसी के माध्यम से है । बजट के बारे में हमने बताया कि 28 तारीख को हमने पेश किया था जिसको 03 तारीख को सदन ने पूरे तरीके से विमर्शित किया है फिर समझिये कि

उसी के बाद 07 तारीख से लेकर पिछले 24, 25 तारीख तक अलग-अलग अनुदानों की मांग पर विमर्श करके उसको पारित किया है । आज उसी आधार पर हमलोग विनियोग कर रहे हैं । पैसे निकालने की स्वीकृति चाह रहे हैं और बजट के दिन हमने बताया था कि बजट के बारे में आप सबलोग सोचेंगे तो यह बहुत ही अच्छा बजट है । एक तो इस बजट का आकार देखिये, 2,62,000/- करोड़ के आसपास का आकार है । ये पिछले वर्ष की तुलना में 10.18 प्रतिशत बढ़ा हुआ है और उतना ही नहीं इस बजट का लगभग 65 प्रतिशत, महोदय, यह बहुत ही शानदार बजट की विशेषता है, खासियत है । लगभग 65 प्रतिशत इस बजट की राशि का हमलोग विकासात्मक कार्यों पर खर्चा कर रहे हैं । यह बड़ी बात है और इसी तरीके से हमने जो कहा कि इसके बाद पिछले वर्ष में हमारी उपलब्धि शानदार रही है । महोदय, उस दिन हमने बताया था कि पिछले वर्ष जब पूरे देश में औसत प्रगति की दर 8.7 रही थी तो आपके बिहार ने 10.98 यानी 11 प्रतिशत की विकास दर हासिल की थी, जब देश 8.7 पर भी अटक गया था, रूक गया था, यह हमारी उपलब्धि थी । महोदय, इस वर्ष के भी जो अनुमानित आंकड़े हैं, इस वर्ष के भी वे देश में ये 6 प्रतिशत ही औसत उपलब्धि आने की संभावना है जबकि हमलोग फिर द्वि अंक में ही रहेंगे, डबल डिजिट में ही रहेंगे, 10 प्रतिशत से नीचे नहीं जायेंगे । महोदय, यह हमारी उपलब्धि है और इसके आधार पर हम इस बार के बजट में और भी कई खासियत, विशेषता लिये हम बिहार की जनता की सेवा करना चाहते हैं । महोदय, एक जो सबसे बड़ी खासियत हमने बजट में इस बार लायी है कि पिछले दिनों जो हम राजस्व घाटे का बजट पेश कर रहे थे, इस बार हमलोगों ने राजस्व अधिशेष यानी रेवेन्यू सर प्लस बजट पेश किया है । लगभग 4400 करोड़ से ऊपर हमने रेवेन्यू सर प्लस बजट पेश किया है ।

अब ये लोग तो चले गये इनको हम बताना चाह रहे थे कि कैसे केन्द्र सरकार की नीतियां हमेशा बिहार के हितों के प्रतिकूल ही रहती हैं । यह इनको हम बताना चाह रहे थे क्योंकि यह हमारी सरकार की खासियत रही थी, खासकर मुख्यमंत्री के कार्यकाल की कि शुरू से रेवेन्यू सर प्लस बजट हमलोग देते आ रहे थे और उस समय सरकार ने क्या नीतियां बनाई, दिल्ली की सरकार ने, इनकी सरकार ने कि जो राज्य रेवेन्यू डेफिसिट में रहते थे, राजस्व घाटे में रहते थे उसको ये लोग क्षतिपूर्ति करते थे मतलब उसको कंपेंसेट करते थे । महोदय, दुर्भाग्य से कोरोना आया, पिछले दो साल में हमलोग भी उतने, मतलब उस हिसाब से राजस्व संग्रहण नहीं कर सके, खर्चे हमारे और बढ़ गये, कोरोना प्रबंधन से लेकर अन्य

कारणों से, नतीजा हुआ कि पिछले दो-तीन वर्षों से हम भी रेवेन्यू डेफिसिट कर गये थे ।

(क्रमशः)

टर्न-20/अभिनीत/27.03.2023

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (क्रमशः) : महोदय, जो हमारे राजस्व घाटे का बजट हो गया था लेकिन देखिए केंद्र सरकार की नीतियां कैसे हमेशा बिहार के हितों को मारती हैं कि जब हम रेवेन्यू डेफिसिट में चले गये तो केंद्र सरकार ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट देना ही बंद कर दिया । यह सोचिए, कितनी बड़ी नाइंसाफी है लेकिन हमलोगों ने अपने कुशल वित्तीय प्रबंधन और जो भी हमारे पास संसाधन हैं उसका विवेकपूर्ण उपयोग करके हमलोगों ने फिर से महोदय, अपना इस बार का जो 2023-24 का बजट दिया है, फिर से एक बार रेवेन्यू सरप्लस यानी राजस्व अधिशेष का बजट पेश किया है और जैसा कि हमने कहा कि लगभग 4400 करोड़ से ऊपर हमारे बजट में रेवेन्यू सरप्लस है । महोदय, इसका दूसरा पक्ष जो होता है, जो राजकीय घाटा होता है या फिजिकल डेफिसिट होता है, जिसमें हम ऋण लेकर विकासात्मक कार्यों को अंजाम देते हैं उसको भी अगर शामिल कर लिये तो हमारा राजकोषीय घाटा भी जो 2023-24 का, जिस बजट की स्वीकृति या जिसके लिए हम विनियोग मांग रहे हैं उसमें 2.98 प्रतिशत ही है । यानी जो 3 प्रतिशत का परमिशिबल लिमिट है, जो सीमा है एफ0आर0बी0एम0 एक्ट के तहत, यह भी उसके तहत ही है और यह सब कुशल वित्तीय प्रबंधन का एक नमूना होता है, एक तरीका होता है जिसमें बिहार सरकार हमेशा से आगे रही है । महोदय, पूरे देश में हमारा वित्तीय प्रबंधन, हमेशा कुशलता का जो पैमाना होता है उसमें हम हमेशा ऊंचा ही रहते हैं । भले केंद्र सरकार की नीतियां हमलोगों के हितों के प्रति दंडी मारते रहती है लेकिन हमलोग भी बाज नहीं आते हैं और अपने कुशल प्रबंधन से फिर उनके ही पैमाने पर हम अपना स्थान ऊंचा बना ही लेते हैं । महोदय, उसका उदाहरण बता देते हैं । हमारे मांझी साहब जिक्र कर रहे थे । उन्होंने जीविका की बात कही, आज जीविका इस देश में मौन क्रांति का प्रतीक बन गयी है । पूरे देश में इसका अनुकरण हो रहा है । महोदय, आज महिलाओं के विकास या सशक्तिकरण और यह भी ऐसे नहीं, यह उनके आर्थिक स्वावलंबन को बढ़ावा देकर, क्योंकि जबतक आर्थिक रूप से वे स्वावलंबी नहीं होंगी उनका विकास या उनका सशक्तिकरण नहीं हो सकता है, तो जो उनके आर्थिक स्वावलंबन के आधार पर महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण के साथ जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसके सुदृढ़ीकरण के लिए या

ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उनके आर्थिक विकास के लिए और इसके साथ-साथ सामाजिक और लैंगिक न्याय के साथ वित्तीय समावेशन के लिए, इन सारी चीजों का अगर एक जगह किसी एक योजना में केंद्रित होकर वह सबसे प्रस्फुटित हो रहा है तो वह है जीविका अभियान । जो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सोच है । उसमें कितनी चीजें हैं, कभी-कभी महोदय, अगर आप उसकी गहराई में जायेंगे तो अचंभित रह जायेंगे । महोदय, स्वयं सहायता समूह से बात शुरू हुई थी और स्वयं सहायता समूह महोदय, यह जो मूल अवधारणा है यह सिर्फ सूक्ष्म स्वपोषित साख योजना है । जो सेल्फ फाइनेंसिंग की, जो माइक्रो फाइनेंसिंग योजना होती है, यह उसका रूप था स्वयं सहायता समूह लेकिन उसमें मुख्यमंत्री और बिहार मॉडल जो बना है इसका रूप ही कुछ और है और आज इसका जो रूप बन रहा है पूरे देश में मुख्यमंत्रीजी तो विस्तार से कहानी कहते हैं, ये तो चले गये, हम तो इनको बताना चाहते हैं कि अगर हमलोगों की बात ये नहीं समझते हैं तो इनके जो आका हैं उनकी बात तो समझनी चाहिए न । इनके नेता जो बोलते हैं उसको तो समझना चाहिए । महोदय, आप ही का परिसर गवाह है । बिहार विधान सभा का परिसर गवाह है कि 12 जुलाई, 2022 को प्रधानमंत्री आये थे और प्रधानमंत्री ने खुले मन से कहा था कि महिला सशक्तिकरण के बारे में जो बिहार सरकार की उपलब्धि है वह पूरे देश में किसी सरकार की नहीं है । यह इनके प्रधानमंत्री ने कहा था । महोदय, हमको तो चिंता होती है कि जब हमलोगों की बात नहीं समझते हैं तो नहीं समझते हैं, अपने नेता की तो बात समझिए । महोदय, यह कोई एक बार की अनायास घटना नहीं थी, अभी इसी वर्ष 5 से 7 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों का सम्मेलन हुआ । प्रधानमंत्री अध्यक्षता कर रहे थे और उसका विषय था रोजगार सृजन और समावेशी मानव विकास का प्रोत्साहन । अब इसे समझ लीजिए महोदय, कि रोजगार सृजन और समावेशी मानव विकास का प्रोत्साहन और इस पर जो उत्कृष्ट कार्य का खंड था मतलब जो पाठ था उसमें सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को कहा गया कि अपने-अपने प्रदेश में जो इन क्षेत्रों में, जो अच्छे काम हो रहे हैं उसका प्रजेंटेशन दीजिए, प्रस्तुति दीजिए । सारे राज्यों ने जब अपनी प्रस्तुति दी और बिहार की तरफ से जब इसी क्रम में जीविका की प्रस्तुति दी गयी तो जितने बड़े-बड़े अधिकारी पूरे देश के थे और अध्यक्ष प्रधानमंत्री थे उनको सिर्फ और सिर्फ बिहार का जीविका मॉडल ही पसंद आया और इसको प्रथम पुरस्कार देकर पूरे देश को इसका अनुकरण करने के लिए कहा गया । महोदय, अपने नेता की बात समझें, सरकार की तो प्रशंसा करें । जब इतना काम हमलोग कर रहे हैं और मुख्यमंत्रीजी ने तो जीविका के गतिविधियों को

जो विस्तार दिया है, इतने नये-नये आयाम दिए हैं कि पता नहीं आने वाले समय में जीविका क्या रूप लेगी, क्या क्रांतिकारी रूप लेगी, यह समय ही बतायेगा । एक जीविका दीदी की रसोई इन्होंने शुरू करायी है । उसका जो काम हो रहा है वह अपनी जगह पर हो रहा है, मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक अमेरिका के हैं इटन बरनाथ और वे महोदय, जो रसोइया है, जो कुक है जिनको सेफ कहा जाता है और दुनिया में जो कम उम्र के सबसे अमीर रसोइया हैं प्रोफेशनल कुक, सेफ वे आये थे पटना और इस जीविका दीदी की रसोई की ख्याति और प्रसिद्धि पूरी दुनिया में इस किस्म की बढ़ी है कि वे इटन बरनाथ अमेरिका से यह सोचकर बिहार आये कि हमको जीविका दीदी की रसोई देखनी है और वे रसोई में जाकर लिट्टी-चोखा बनाने की कला सीखें । समझ लीजिए, कि दुनिया में कितनी इसको प्रसिद्धि मिल रही है, तो यह मुख्यमंत्री और उसको तो अलग-अलग महोदय, मैं तो अभी समाधान यात्रा में, माननीय मुख्यमंत्रीजी का मैं आभारी हूं कि इन्होंने कुछ जगहों पर मुझे जाने का मौका दिया था, तो मैंने उनके मुँह से जो कहानियां सुनीं, जो बातें सुनीं, उनके अंदर जो आत्मविश्वास देखा, उनकी आँखों में जो आशा की झलक और ललक देखी महोदय, वह शब्दों में बयां ही नहीं हो सकती है । इसलिए आने वाले समय में हमारे मांझी जी इसकी चर्चा कर रहे थे क्योंकि हमलोग गये थे इनके इलाके में भी, जिस इलाके में पहले कह रहे थे हमारे कोई माननीय सदस्य दिन में भी बन्दूकें गरजती थीं । लोग दिन में भी घरों से नहीं निकलते थे ।

..क्रमशः..

टर्न-21/हेमन्त/27.03.2023

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री(क्रमशः) : उन इलाकों में, पथरीले बंजर ईलाकों में आज लेमन ग्रास हो रहा है और महोदय, शाम के वक्त में जो सोलर लाईट से पूर ईलाका जगमग हो रहा था, वह भी हमने देखा है । महोदय, अब सिर्फ एक-दो और मुख्यमंत्री जी की जो योजना हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं, जो काफी क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं । महोदय, आपने भी एक योजना सुनी होगी, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना । सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इसका प्रभाव कितना बड़ा है, यह समझ लीजिए कि यह योजना भी देश में अनोखी और अनूठी योजना है, जो सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार अपने प्रदेश में लागू कर रही है, इसके कम्पोनेन्ट के बारे में, इसके अवयव के बारे में आपने जरूर सुना होगा । आपके ईलाके में भी लोग लाभान्वित हो रहे होंगे, हमारे ईलाके में भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं कि दस लाख का ऋण दिया जाता है और यह पहली योजना है कि जिसमें पांच लाख अनुदान है और पांच लाख लोन है और लोन की भी दो विशेषताएं हैं

कि एक तो वह लोन भी किसी बैंक से नहीं लेना है, सरकार ही लोन देती है, पहली बात । दूसरी बात, सभी लगभग एक युवा वाला छोड़कर बाकी तो अनुसूचित जाति/जनजाति या अतिपिछड़ी जाति या फिर महिलाओं के लिए, उन मामलों में तो ब्याज रहित ऋण दिया जाता है । महोदय, सोच लीजिए कि पांच लाख अनुदान है और पांच लाख ब्याज रहित ऋण है और युवाओं के लिए जो यह योजना है उसमें सिर्फ नाम मात्र का एक प्रतिशत ब्याज रखा गया है और महोदय, मैं इसमें सिर्फ आपको बताना चाहता हूं कि जो अनुसूचित जाति/जनजाति वाला ऋण का मामला है उसमें अभी तक 10,800 के लगभग जिन्होंने ऋण के लिए आवेदन दिया था उनकी स्वीकृति हो गयी है और इसमें 444 करोड़ रुपये सरकार उनको अनुदान और ऋण दे चुकी है । महोदय, इसी तरीके से जो अति पिछड़ा वर्ग है उसमें 7500 की स्वीकृति हुई है और लगभग 6000 को ऋण वितरित किया जा चुका है, जो लगभग 437 करोड़ है और महिलाओं की लगभग 5700 की स्वीकृति है, 4100 को ऋण दिया जा चुका है और 282 करोड़ दिया जा चुका है और युवा, जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि ये सामान्य जातियों के लिए है, जो ऊपर की तीन श्रेणियां हमने कही, जो उससे आच्छादित नहीं है, उस वर्ग के जो युवा हैं, जिनके लिए यह किया गया है, यह लगभग 5794 मतलब लगभग 5800 युवाओं के लिए इस ऋण की स्वीकृति दी गयी है । लगभग 4120 जो युवा हैं, उनको अनुदान और ऋण की राशि उपलब्ध करा दी गयी है, जो लगभग 275 करोड़ से ज्यादा है । महोदय, अब सोच लीजिए कि इसमें रेडिमेट वस्त्र उद्योग, आटा, सत्तू, बेसन जो ग्रामीण कुटीर उद्योग, गांधी जी की जो कल्पना थी उसके हिसाब से, फिर नोटबुक, कॉपी, पेंसिल आदि बनाने की जो योजना होती है वह चल रही है और महोदय, यह सब गांव में जो चल रही है चूंकि जिसको कहते हैं ''फर्स्ट एंड फीलिंग'', सीधा अनुभव हम लोगों को अपने क्षेत्र से भी होता है । इस योजना के तहत कई लाभार्थी हैं, जिन्होंने अलग-अलग जगहों पर उद्योग या अपना काम-धंधा शुरू किया है, ये लोग हम लोगों को भी बुलाते हैं, हमारे कई माननीय सदस्य जाते होंगे । कितना अच्छा लगता है और आज समझिये कि 30,000 इसके लाभार्थी हो चुके हैं। अगर मौटे तौर पर भी देखिये पंचायतों के हिसाब से, तो प्रति पंचायत 5 से 6 लोग, जो विभिन्न श्रेणियों के हैं ये इससे लाभान्वित हो चुके हैं और गांव-घर में अपनी ही जगह पर छोटे-मोटे कुटीर उद्योग चला रहे हैं । महोदय, इससे बड़ी क्रांतिकारी योजना क्या हो सकती है ? गांव में बैठे-बैठे रोजगार सृजन हो रहा है । ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और साथ-साथ सामाजिक लैंगिक न्याय की बात आती है, जो मुख्यमंत्री के विकास का मूल मंत्र है, न्याय के साथ विकास, ये

उसको भी अमलीजामा पहनाता है, इस तरह की योजनाएं हैं । महोदय, इसी तरीके से दूसरी योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना । महोदय, यह भी बहुत ही अनोखी योजना है कि जो गरीब घर के छात्र-छात्राएं हैं, अर्थाभाव में हैं, आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते थे । उनके लिए मुख्यमंत्री जी ने सात निश्चय के तहत विशेष योजना चलाई, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना । मतलब हम उनको पैसा उपलब्ध करायेंगे आगे की पढ़ाई के लिए और कितनी सहज योजना है कि इस पैसे को उनको तभी वापस करना है जब वे रोजगार करने लगें । इस बीच में उनको सिर्फ कि वह नियोजित नहीं हुए हैं, मतलब कि वह कोई नौकरी या रोजगार नहीं कर रहे हैं, बेराजगार हैं, इसके संबंध में एक प्रमाण पत्र देना पड़ता है । महोदय, मैं इसके आंकड़े भी कुछ इसलिए देना चाहता हूं, क्योंकि ये सिर्फ योजनाएं नहीं हैं, ये कोई लोकलुभावन योजनाएं नहीं हैं, ये धरातल पर उतर रही है और इसके जो परिणाम आ रहे हैं, मैं उसके बारे में भी चर्चा करना चाहता हूं । महोदय, यह हमारी जो योजना है, इसमें कुल आवेदन लगभग 3 लाख आये हैं जिसमें से लगभग 2,50,000 स्वीकृत हुए हैं और लगभग 6967 करोड़ रुपये विद्यार्थियों को, छात्र-छात्राओं को ऋण उपलब्ध कराया गया है जिससे उन्होंने आगे की पढ़ाई की है और सिर्फ आगे की पढ़ाई किये हैं या यह सरकार का पैसा है, वह लेकर निकल नहीं गये । उन्होंने जो पढ़ाई की है और जिन लोगों को रोजगार मिला है, उनमें से कुछ लोगों ने ईमानदारी से पैसा लौटाना भी शुरू कर दिया है और महोदय, हमको यह बताते हुए प्रसन्नता है कि जो सूचना स्वयं लाभार्थियों ने दी है उसके हिसाब से लगभग 42 हजार लोग, जो रोजगार पा चुके हैं, वे ऋण वापसी का कार्यक्रम या ऋण वापसी का काम शुरू करना चाह रहे हैं और अभी तक लगभग 27.5 करोड़ रुपया, ऋण जो दिया गया था, वह लोग जो नियोजित हो चुके या जिन लोगों की नौकरी लग गयी या जो लोग पढ़-लिखकर रोजगार भी कर लिये उन लोगों ने अभी तक पैसे भी वापस किये हैं, लगभग 27.5 हजार करोड़ रुपये और महोदय, इससे जो पढ़ाई हुई है, आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि लगभग 65 प्रतिशत, जिन छात्र और छात्राओं ने इस योजना का लाभ लिया है, उन लोगों ने तकनीकी शिक्षा ग्रहण की है । मतलब बी0टेक किया है, बी0एस0सी, आई0टी0 किया है, एम0टेक0 किया है, इस तरह की पढ़ाई की है छात्रों ने ऋण लेकर । उसी तरीके से उसके बाद की संख्या है, जिन लोगों ने व्यावसायिक शिक्षा ली है । व्यावसायिक शिक्षा, एम0बी0ए0, बी0बी0ए0 इस तरह की शिक्षा ली है । महोदय, यह समझिये कि जो लोग, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण प्रतिभाएं हैं, अर्थाभाव हैं, आगे की पढ़ाई से वंचित रह जाते थे और उनकी प्रतिभा गांव में ही, घर में ही कुंठित होकर रह जाती थी,

(क्रमशः)

टर्न–22/धिरेन्द्र/27.03.2023

...क्रमशः...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, आज बिहार सरकार की मदद से न सिर्फ वे आगे की पढ़ाई कर रहे हैं बल्कि पढ़–लिखकर उनमें जब क्षमतावर्धन होता है तो वे नौकरी भी पा रहे हैं, अपने गाँव–समाज की तरक्की भी कर रहे हैं और पैसे भी लौटा रहे हैं । इसलिए महोदय, ये सब कुछ योजनाएँ हैं जो बिहार सरकार की सबसे महत्वपूर्ण और ये दूसरों को राह दिखाने वाली योजनाएँ हैं और इन योजनाओं के अलावा भी अन्य योजनाएँ हैं, अब तो वे चले गए जो हम कह रहे थे, जो इनके नीरज कुमार सिंह उर्फ बब्लू सिंह जी थे, वे कह रहे थे कि दारू बंदी में सिर्फ गरीब लोग पकड़ाते हैं । हम उनको बताना चाह रहे हैं कि पिछले वर्ष, अभी तो इस वर्ष का भी बता देंगे, अभी पिछले वर्ष 2021–22 में 41 बड़े–बड़े शराब कारोबारी जो थे वे पकड़ाये थे । इस वर्ष 2022–23 में भी लगभग 106, हजारों गिरफ्तारियाँ हुई हैं लेकिन महोदय, मैं सिर्फ 106 उन गिरफ्तारियों का जिक्र कर रहा हूँ जो इनकी समझ से परे था, इसमें बड़े–बड़े व्यावसायिक, बड़े–बड़े व्यापारी जो शराब का गलत धंधा कर, प्रदेश से बाहर रह कर, यहाँ पर गलत ढंग से शराब भेजकर बिहार को शराबी बना रहे थे और अपने बैठकर, पैसा कमा कर वहाँ लखपति–करोड़पति बन रहे थे । महोदय, उन लोगों को बिहार पुलिस ने सराहनीय काम कर, समझिये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड, ये सब तो हमारे अगल–बगल के प्रदेश हैं, इसमें तो घूस–घूस कर हमलोग निकाले ही हैं उन चोरों और उन माफियाओं को, महोदय, इसके अलावा भी असम, अरूणाचल प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश भी जा कर हमलोगों ने बड़े–बड़े कारोबारी पकड़े हैं लेकिन महोदय, एक चीज बार–बार मेरी समझ में नहीं आती है कि ये लोग जहरीली शराब के मौत की चर्चा बराबर कर देते हैं । किसी की अगर संदेहास्पद स्थिति में मौत होती है तो इन लोगों का, हमारे विपक्ष के सदस्य या पार्टी का, एक ही लगता है लक्ष्य रह जाता है कि कैसे भी साबित कर दो यह जहरीली शराब पीकर मरा है । महोदय, यह मेरी समझ में नहीं आता है कि साबित कर के ये क्या हासिल करना चाहते हैं ? अगर कोई गलत चीज कुछ पीकर या अगर संदेहास्पद स्थिति में भी किसी की मौत हो गई, यह दर्दनाक है, मर्माहत करने वाली घटना है लेकिन उस पीड़ित परिवार को भी आगे मानसिक पीड़ा और बढ़ाने के लिए ये उसको जहरीली शराबखोरी का शिकार बनाना चाहते हैं, अगर साबित कर दिया कि वह जहरीली शराब पीकर मरा, बस इनको लगता है कि बड़ी उपलब्धि मिल गई,

यह क्या उपलब्धि है ? जो दिवंगत हो गए, जो मृत आत्मा हैं उनको भी अपराधी बनाने की आप साजिश कर रहे हैं । शराब पीना सब जानते हैं, यह अपराध है । अभी बोल रहे थे न कि हमलोग भी साथ दिये थे, सही बात है कि साथ दिये थे लेकिन महोदय, आसन गवाह है, इतने जगह गोपालगंज हो, सिवान हो, छपरा हो, जहाँ कहीं भी मौतें हुई हैं, ये जाते भी हैं, आज तक किसी विपक्षी के नेता ने अपने उस संकल्प को दोहराया है कि लोग शराब पीते क्यों हैं ? उस मोहल्ले में गए जहाँ लोग पीकर मरे थे, वहाँ भी किसी बी॰जे॰पी॰ के नेता ने यह कहा कि आप लोग शराब क्यों पीते हो ? महोदय, इसकी कसमें खाई हैं, इन्हीं लोगों ने इसी सदन में कि हम अपने भी नहीं पीयेंगे और दूसरों को भी नहीं पीने के लिए प्रेरित करेंगे । उस कसम का क्या हो गया ? सरकार को कठघरे में खड़ा करने के लिए अपना दायित्व या अपनी मानसिकता भी, जो मौलिक जिसके तहत उन्होंने शपथ ली थी, कसमें खाई थीं, महोदय, उसको भी भूल जाते हैं । इसलिए यह घोर आश्चर्य की बात है, ये बिहार की जनता आखिर देखेगी कि ये जाते हैं तो कोई, आज तक कोई बोलता है । महोदय, सदन में ही इतने नारे लगते हैं, कोई नहीं बोलता है, आखिर बिहार की जनता से कोई अपील भी नहीं करता है जो लोग पीना छोड़ दें, पीते हैं तो दिक्कत होती है और पीने के क्रम में कौन जहरीली है, कौन असली है, इसका कोई बैरोमीटर तो होता नहीं है उनके पास जाँच करने का तरीका । इसलिए महोदय, ये सब योजनाएँ हैं और ये सब कुछ बातें हैं जो हमारी सरकार काम कर रही है और आपकी इजाजत से, सदन का इजाजत लेकर हमलोग बिहार की जनता की सेवा और विकास की चर्चा, सड़क, बिजली, पानी, इन सब की चर्चा में तो और ज्यादा वक्त लगेगा लेकिन इन्हीं सब कुछ उपलब्धियों को हम अगर और आगे बढ़ाना चाहते हैं जिसके लिए हमने बजट प्रावधान आपके सामने लाया था, अनुदानों की माँग स्वीकृत करायी थी और उन्हीं माँगों के हिसाब से काम करने के लिए आज हम राज्य की संचित निधि से पैसा निकालने की अनुमति के लिए आज हमने विधेयक लाया है । हम आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करते हैं कि इसे सर्वसम्मति से स्वीकृति देने की कृपा करें ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023 स्वीकृत हो''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2023 स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 27 मार्च, 2023 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-61 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक 28 मार्च, 2023 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।